प्रारूप–3
(नियम 5 देखिए)

कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन

कुम्भलगढ़ दुर्ग

पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का परिचय तथा प्रबंधन संरचना

संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 तथा संबद्ध नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण में विभाग का प्रमुख महानिदेशक होता है। अतिरिक्त महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक और निदेशकों द्वारा कर्तव्यों का पालन करने में महानिदेशक की सहायता की जाती है। संगठन के पास मण्डलों, संग्रहालयों, उत्खनन शाखाओं, प्रागैतिहासिक शाखा, पुरालेख शाखाओं, विज्ञान शाखा, उद्यान शाखा, भवन सर्वेक्षण परियोजना, मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाओं तथा अंतरजलीय पुरातत्त्व विंग के माध्यम से पुरातत्त्वीय अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कार्य दल है।

राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रखरखाव के लिए सम्पूर्ण देश को विभिन्न मण्डलों में विभाजित किया गया है, जो क्षेत्रीय निदेशालयो के आधीन है। प्रत्येक मण्डल का नेतृत्व एक अधीक्षण पुरातत्त्वविद् द्वारा किया जाता है, जिन्हें कार्य संपादन में उप अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, उप अधीक्षण पुरातात्त्विक अभियंता, सहायक अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, सहायक अधीक्षण पुरातात्त्विक अभियंता सहायता प्रदान करते है, जिनके अधीन लिपिकीय तथा तकनीकी संवर्ग कार्य करते है। प्रत्येक मण्डल के आधीन अनेक उपमण्डल होते है, जिन्हें संरक्षण सहायक द्वारा संचालित किया जाता है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का जोधपुर मण्डल

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जयपुर मण्डल को द्विभाजित करके भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के 26वें मण्डल के रूप में जोधपुर मण्डल का गठन 21 अगस्त 2013 को किया गया। जोधपुर मण्डल का औपचारिक उद्घाटन श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच, तत्कालीन संस्कृति मंत्री, भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी 2014 को किया गया था, जिसका मण्डल कार्यालय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान परिसर, न्यू पाली रोड़, जोधपुर में स्थित है।

पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन

जोधपुर मण्डल के क्षेत्राधिकार में राजस्थान के अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, श्री गंगानगर और उदयपुर कुल 17 जिले है। जोधपुर मण्डल के संरक्षणाधीन 73 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक और स्थल हैं, जिनमें से जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला तथा कुम्भलगढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। जोधपुर मण्डल जैसलमेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर चार उपमण्डल में विभक्त है।

कुम्भलगढ़ दुर्ग

उदयपुर से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में राजसमन्द जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊँची चोटी पर अवस्थित कुम्भलगढ़ दुर्ग अपने सामरिक महत्त्व के कारण राजस्थान के महत्त्वपूर्ण दुर्गो में से एक है, जो द एनशियेंट एंड हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स एंड आरक्योलोजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट, 1951 (राष्ट्रीय महत्व उद्घोषणा) (अधिनियम संख्यांक LXXI वर्ष 1951) के द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व का केन्द्रीय संरक्षित स्मारक तथा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में राजस्थान के पर्वतीय दुर्ग के आधीन विश्व धरोहर घोषित है। उक्त स्मारक भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के जोधपुर मण्डल के नियंत्रण, प्रबंधन तथा रख–रखाव के आधीन है, जो उदयपुर उपमण्डल के अधिकार–क्षेत्र में स्थित है।

वर्तमान में कुम्भलगढ़ दुर्ग पर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के 01 संरक्षक सहायक, 06 बहुल कार्य कर्मचारी तथा 02 दैनिक वेतन भोगी तैनात है। साथ ही, एस.आई.एस. ग्रुप एंटरप्राइजेज के 20 सुरक्षा गार्ड कुम्भलगढ़ दुर्ग पर सतर्कता तथा निगरानी हेतु रखे गए है और स्वच्छता संबंधी कार्यो हेतु बी.वी.जी. इंडिया लिमिटेड से सेवाएं ली जा रही है। उपरोक्त स्मारक पर विभाग द्वारा समय–समय पर विशेष मरम्मत मद के अंतर्गत विभिन्न संरक्षण कार्य कराए गए है, जबकि वार्षिक अनुरक्षण के तहत कुम्भलगढ़ दुर्ग को साफ–सुथरा रखने का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में कुम्भलगढ़ दुर्ग में प्रवेश शुल्क हेतु निम्नलिखित दरें निर्धारित है –

तालिका 1.1

क्रम संख्या	भुगतान का माध्यम	प्रवेश शुल्क की दर
1) भारतीय पर्यटकों तथा सार्क एवम् बिम्सटेक देशों के आगंतुकों के लिए	नगद भुगतान	रुपए 40/–
	नगदी रहित भुगतान	रुपए 35/–
2) विदेशी पर्यटकों के लिए	नगद भुगतान	रुपए 600/–
	नगदी रहित भुगतान	रुपए 550/–

REGISTERED No. EP-503

The Gazette of India

EXTRAORDINARY
PART II—Section 1
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 55] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 1951

MINISTRY OF LAW

New Delhi, the 29th November, 1951

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 28th November, 1951 and is hereby published for general information :—

THE ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS AND ARCHÆOLOGICAL SITES AND REMAINS (DECLARATION OF NATIONAL IMPORTANCE) ACT, 1951.

No. LXXI OF 1951

An Act to declare certain ancient and historical monuments and archæological sites and remains in Part A States and Part B States to be of national importance and to provide for certain matters connected therewith.

[*28th November*, 1951]

BE it enacted by Parliament as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Ancient and Historical Monuments and Archæological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951.

2. Declaration of certain monuments and archæological sites and remains to be of national importance.—The ancient and historical monuments referred to or specified in Part I of the Schedule and the archæological sites and remains referred to or specified in Part II thereof are hereby declared, respectively, to be ancient and historical monuments and archæological sites and remains of national importance.

3. Application of Act VII of 1904 to ancient monuments, etc., declared to be of national importance.—All ancient and historical monuments and all archæological sites and remains declared by this Act to be of national importance shall be deemed to be protected monuments and protected areas, respectively, within the meaning of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, and the provisions of that Act shall apply accordingly to the ancient and historical monuments or archæological sites and remains, as the case may be, and shall be deemed to have so applied at all relevant times.

(505)

Serial No.	Name of monument	Locality
	RAJASTHAN STATE—*concld.*	
	District Kotah	
67.	Old temples, statues and inscriptions	Shergarh
68.	Siva temple and two unpublished Gupta inscriptions	Charchoma
69.	Temple (12th century)	Baran
70.	Temple, fort wall and statues	Dara or Mukandara
71.	Temple with inscriptions	Kanswa
72.	Yupa pillars	Badva.
	District Udaipur	
73.	Fort of Chitor as a whole	Chitor
74.	Fort of Kumbhulgarh as a whole	Kumbhalgarh
75.	Maha Kal and two other temples	Bijholi
76.	Rock inscription (12th century)	Do.
77.	Sas Bahu temples	Nagada
	SAURASHTRA STATE	
1.	Ananteshwar temple	Anandpur
2.	Ashokan Rock	Junagadh
3.	Caves	Do.
4.	Darbargadh Halvad	Halvad
5.	Dhank Caves	Dhank
6.	Gop temple	Gop
7.	House where Mahatma Gandhi was born and Kirtl Mandir	Porbandar
8.	Inscription in the Harsata Mata temple.	Veraval
9.	Jain Temples	Talaja
10.	Jama Masjid	Veraval
11.	Jami Masjid and Rahimat Masjid, Raveli Masjid	Mangrol
12.	Navlakha temple and Stop well	Ghumli
13.	Navlakha temple	Sejakpur
14.	Neminath temple with 3 inscriptions V. S. 1333, 35, 39	Mt. Girnar
15.	Nilakantha temple	Anandpur
16.	Pindara, Durvasa Rishi's Ashram and its site	Pindara
17.	Ra Khengar Mahal (temple)	Mt. Girnar
18.	Ranak Devi's temple	Wadhwan
19.	Sun temple	Than
20.	Surya temple	Sutrapada
21.	Talaja Caves	Talaja
22.	Temples—	Shatrunjay Hil
	Adishwar temple Balabhai's temple Bhulavani temple Chaumukha temple Dalpet Bhai and Bhagu Bhai's shrine Keshwaji Nayak temple Moti Shah's Tuk temple Nandeshwara Dipa temple Panch Pandava temple.	
23.	Vastupal Temple	Junagadh
24.	Varaha Mandir	Kadwar

Serial No.	Name of archæological site or remains	Locality
	SAURASHTRA STATE	
1.	Ancient mound	Darbargadh Shihor
2.	Ditto	Intwa
3.	Ditto	Rangpur
4.	Ditto	Sejakpur
5.	Ditto	Valabhipur
	TRAVANCORE-COCHIN STATE	
1.	Ariyannur Umbrellas. A prehistoric site consisting of seven or more Kudakals or umbrella stones.	Ariyannur
2.	Burial cave of Chovannur	Chovannur
3.	Burial caves of Eyyal	Eyyal
4.	Burial cave of Kandanasseri	Kandanasseri
5.	Burial cave of Kattakampal	Kattakampal
6.	Burial cave of Kakkad	Kunnamkulam
7.	Kudakallu Parambu. A prehistoric site consisting of 50 to 60 Kudakals or umbrella monuments.	Cheramanagad

K. V. K. SUNDARAM,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1951

अधिनियम संख्यांक ग्ग्ग वर्ष 1951 की छवि (अनावश्यक पृष्ठ हटा दिए गए है)

पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन

परियोजना की पृष्टभूमि

कुम्भलगढ़ दुर्ग का राजस्थान के मेवाड़ संभाग के गौरवशाली इतिहास में सदैव विशेष स्थान रहा है, जिसके भ्रमण के लिए देशी पर्यटकों के साथ–साथ विदेशी सैलानी भी अत्यधिक संख्या में कुम्भलगढ़ आते है। शहर की भीड़–भाड़ से दूर, मनमोहक पहाड़ियों और प्राकुतिक मनोहरता के बीच स्थित होने के कारण यह दुर्ग अत्याधिक लोकप्रिय रमणीय स्थल है। कुम्भलगढ़ दुर्ग पर वर्तमान में आगंतुको के लिए वाहन पार्किंग राम पोल के समीप स्थित है, जहाँ स्थान सीमित होने के कारण पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। पीक सीजन में किले के प्रवेश द्वार राम पोल में स्थित वर्तमान पार्किंग में गाड़ी खड़े करने की पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण पर्यटकों द्वारा दुर्ग के पहुँच मार्ग पर दोनों ओर वाहन रोड़ के किनारे खड़े कर दिए जाते है, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों की कतार कई किलोमीटर तक लग जाती है। सिंगल लेन सड़क पर दोनों ओर वाहनों की कतार लगे होने से मार्ग के मध्य केवल एक गाड़ी के संचलन के लिए जगह शेष रह जाती है तथा विपरीत दिशा में अन्य वाहन आने पर यातायात जाम होने की स्थिति हो जाती है। दुर्भाग्यवश, दुर्ग के पहुँच मार्ग पर इस प्रकार से लगने वाले जाम खुलने के लिए पर्यटकों को कई मर्तबा घंटो तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है तथा निस्संदेह यह अवधि आगंतुकों खासतौर पर बच्चो, महिलाओं, बुजुर्गो तथा दिव्यांगो के लिए अत्यधिक पीड़ादायक रही। समय पर ट्रैफिक जाम को हटाना तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखना पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है।

ट्रैफिक जाम के छायाचित्र

पर्यटन के विषय में एक व्यवहारिक तथ्य यह भी है कि आम तौर पर कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी परिचितों से परामर्श करके अपना दौरा कार्यक्रम बनता है, जिससे यात्रा के दौरान उसके परिवार का अनुभव सुखद रहे। ऐसी परिस्थिति में यदि पर्यटक खराब अनुभव लेकर कुम्भलगढ़ से वापिस लौटते है, तो वह अन्य को कुम्भलगढ़ भ्रमण के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। आजकल पर्यटकों द्वारा उनके यात्रा वृतांत सोशल मीडिया और पर्यटक ब्लॉग में ऑनलाइन साझा किए जाते है, जिसका पाठन असंख्य लोगो की संख्या तक किया जा सकता है। ट्रैफिक जाम की समस्या की निरंतरता के दुष्परिणाम यहाँ तक हो सकते है कि पर्यटकों की संख्या में धीरे–धीरे कमी होती चली जाएगी, जो सरकार की पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति के पूर्णतया प्रतिकूल है।

यह मान्यता रही है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में से हर तीसरा सैलानी भ्रमण हेतु राजस्थान आता है तथा विगत 5 वर्ष 2014 से 2018 के आकड़ो के अनुसार 73069 विदेशी सैलानियों ने कुम्भलगढ़ दुर्ग का भ्रमण किया है। यदि खराब अनुभव लेकर विदेशी पर्यटक कुम्भलगढ़ से वापस लौटते है, तो विश्व पटल पर, एक सीमा तक ही सही, भारत की छवि को क्षति पहुँचने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

तालिका 1.2

वर्ष	भारतीय पर्यटकों की संख्या	विदेशी पर्यटकों की संख्या
2014	2,63,300	16,855
2015	3,23,457	15,448
2016	3,93,057	15,142
2017	4,56,772	12,856
2018	5,20,514	12,768
अक्टूबर, 2019 तक	3,93,664	9,872

इस समस्या के स्थाई निदान हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा जिला प्रशासन, राजसमन्द से किले के निकट उपयुक्त स्थान पर भूमि उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया, जिसके सापेक्ष में ग्राम किला कुम्भलगढ़ के 25 खसरा नम्बरों में निहित निजी खातेदारी की 11 बीघा 05 बिस्वा उपरोक्त प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए चयनित की गई।

पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन

महानिदेशक कार्यालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से विचाराधीन भूमि अवाप्ति हेतु आवश्यक सैद्धांतिक स्वीकृति 23/9/2017–एम दिनांक 09.11.17 प्राप्त होने के उपरांत, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के जोधपुर मण्डल द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता नियम, 2016 के नियम 3 के आधीन निर्धारित फॉर्म 1 में जिला कलेक्टर महोदय, राजसमन्द को नियमानुसार आवेदन किया गया, जिसके पश्चात् जिला कलेक्टर महोदय, राजसमन्द द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु आठ सदस्यीय समिति के गठन हेतु आदेश जारी किए गए, जिसकी अधिसूचना संख्या प.12/17( )राजस्व/भू.अ./2018 राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 03.06.19 को प्रकाशित हुई।

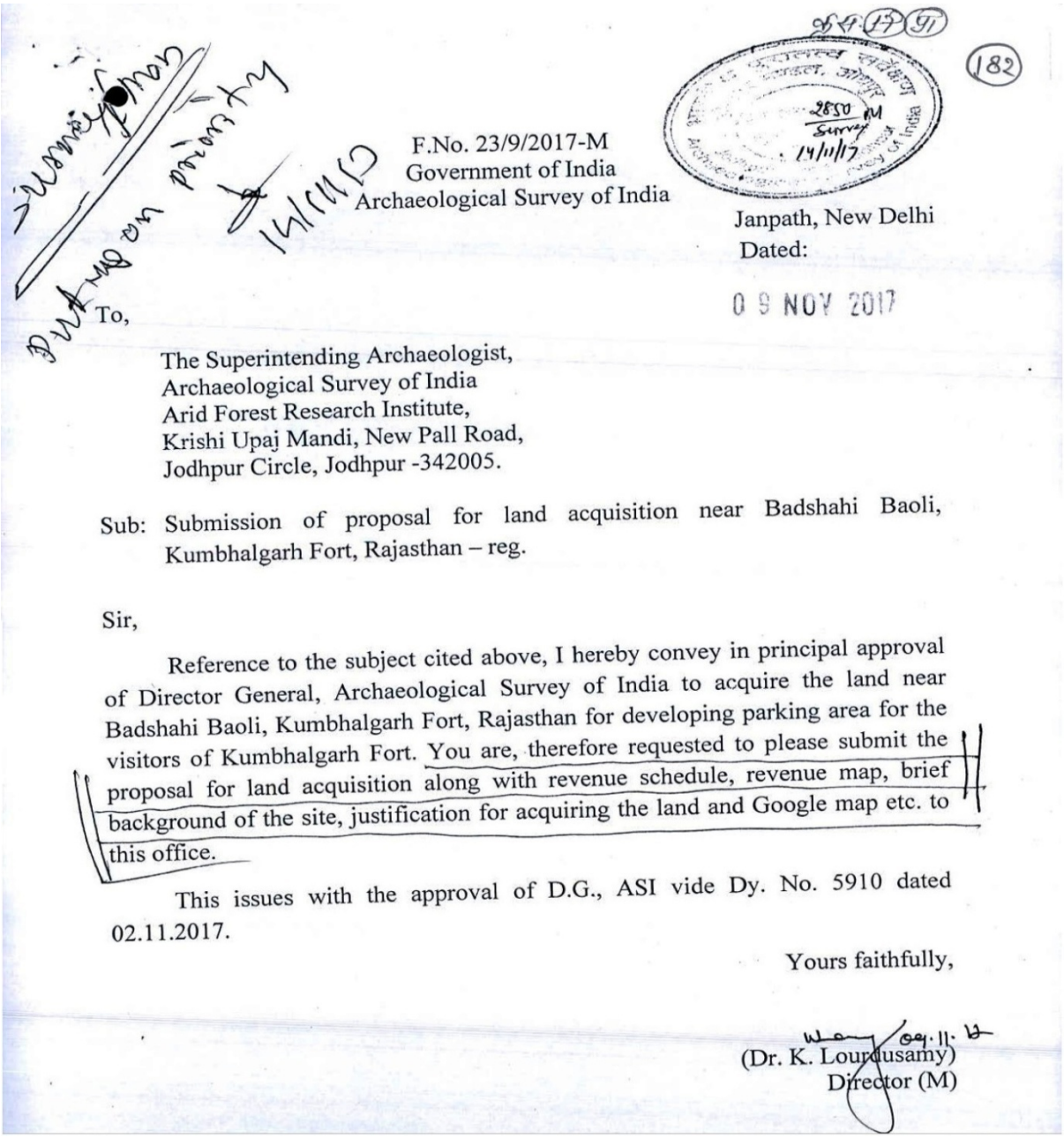

F.No. 23/9/2017-M
Government of India
Archaeological Survey of India
Janpath, New Delhi
Dated:
09 NOV 2017

To,

The Superintending Archaeologist,
Archaeological Survey of India
Arid Forest Research Institute,
Krishi Upaj Mandi, New Pall Road,
Jodhpur Circle, Jodhpur -342005.

Sub: Submission of proposal for land acquisition near Badshahi Baoli, Kumbhalgarh Fort, Rajasthan – reg.

Sir,

Reference to the subject cited above, I hereby convey in principal approval of Director General, Archaeological Survey of India to acquire the land near Badshahi Baoli, Kumbhalgarh Fort, Rajasthan for developing parking area for the visitors of Kumbhalgarh Fort. You are, therefore requested to please submit the proposal for land acquisition along with revenue schedule, revenue map, brief background of the site, justification for acquiring the land and Google map etc. to this office.

This issues with the approval of D.G., ASI vide Dy. No. 5910 dated 02.11.2017.

Yours faithfully,

(Dr. K. Lourdusamy)
Director (M)

महानिदेशक कार्यालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से प्राप्त सैद्धांतिक स्वीकृति

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 13, सोमवार शाके 1941–जून 03, 2019 *Jyaistha 13, Monday, Saka 1941–June 03, 2019*	

भाग 1 (ख)

`महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व-विभाग

कार्यालय जिला कलेक्टर, राजसमन्द

अधिसूचना/आदेश

राजसमन्द, मार्च 6, 2019

संख्या प.12/17( )राजस्व/भू.अ./2018 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केन्द्र व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्न सूची के अनुसार राजसमन्द जिले में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक कुम्भलगढ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) तथा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः-

1. उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ।
2. प्रधान, पंचायत समिति, कुम्भलगढ।
3. अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।
4. उप वन संरक्षक, राजसमन्द।
5. उप निदेशक, कृषि विस्तार, राजसमन्द।
6. कार्यपालक इन्जिनियर, लोक निर्माण विभाग, आमेट।
7. कार्यपालक इन्जिनियर, जल संसाधन विभाग, राजसमन्द।
8. तहसीलदार, कुम्भलगढ।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(6) के अंतर्गत संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ) को उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विवरण निम्न सूची के अनुसार

फार्म नं.2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	कुम्भलगढ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ की निजी खातेदारी की भूमियां किता 25 क्षेत्रफल 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दे।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और /या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम 2013 की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनैअलच परिणाम (सामाजिक समाघात रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार।
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हॉ।
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।

अरविन्द कुमार पोसवाल,
जिला कलेक्टर राजसमन्द।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 03.06.19 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या प. 12/17( )राजस्व/भू.अ./2018

पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प०1(50)राज–6/2016/2 जयपुर दिनांक 27.01.17 के अंतर्गत यह व्यवस्था स्थापित की गई है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना हिन्दी में जारी की जाएगी। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में भी कराया जाना अनिवार्य है। उक्त अध्ययन की अधिसूचना पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम तथा जिला कलेक्टर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी और प्रभावित क्षेत्रों में प्रकाशित की जाएगी एवं समुचित सरकार की वेब साइट पर अपलोड की जाएगी।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति गठन की अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरांत, उक्त अधिसूचना की विज्ञप्ति दो दैनिक समाचार पत्रों यथा राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर में दिनांक 10 जुलाई, 2019 को अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल द्वारा जारी की गई।

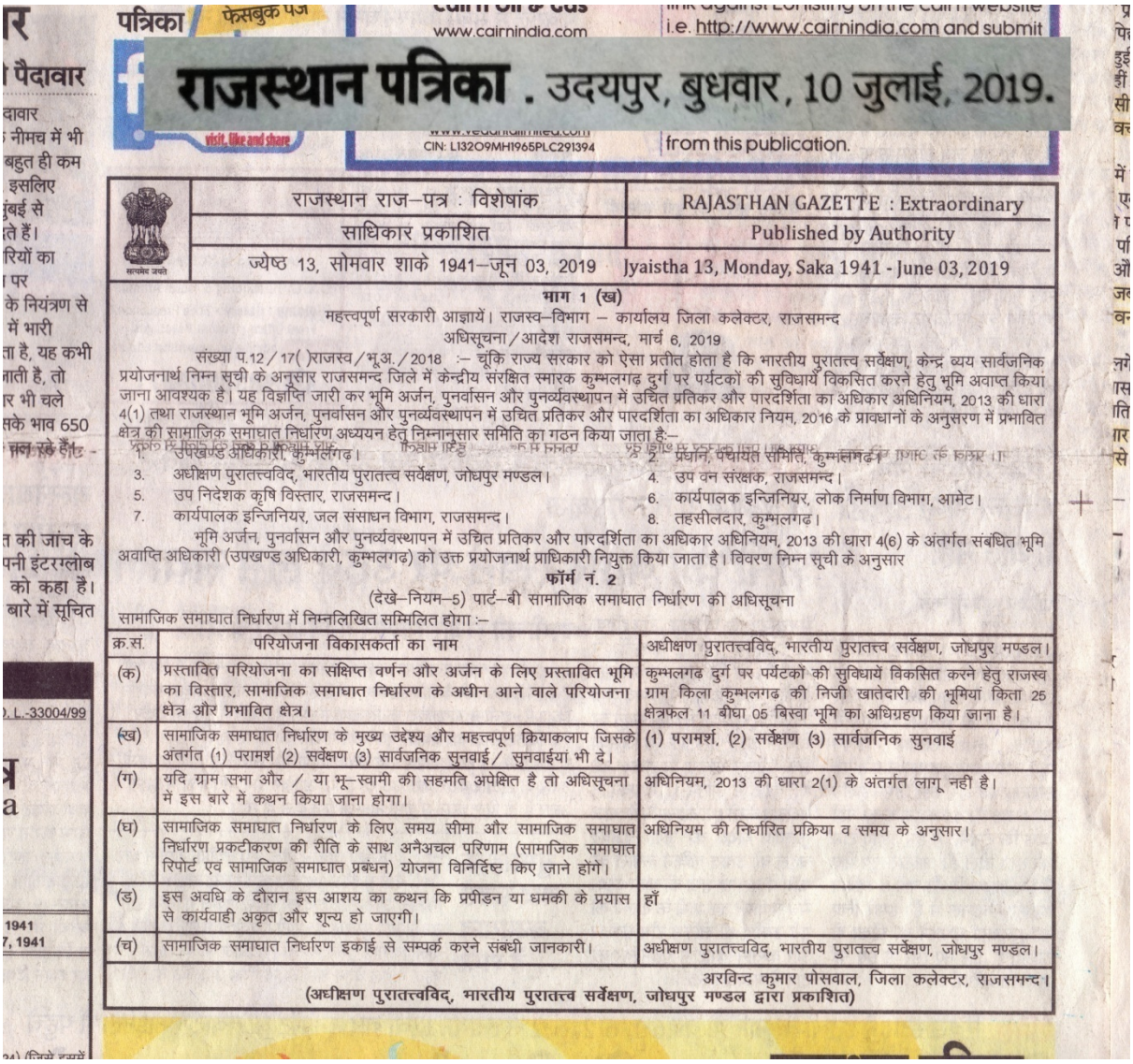

पत्रिका फेसबुक पेज www.cairnindia.com i.e. http://www.cairnindia.com and submit

राजस्थान पत्रिका . उदयपुर, बुधवार, 10 जुलाई, 2019.

visit, like and share CIN: L13209MH1965PLC291394 from this publication.

राजस्थान राज–पत्र : विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE : Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 13, सोमवार शाके 1941–जून 03, 2019	Jyaistha 13, Monday, Saka 1941 - June 03, 2019

भाग 1 (ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें। राजस्व–विभाग – कार्यालय जिला कलेक्टर, राजसमन्द

अधिसूचना/आदेश राजसमन्द, मार्च 6, 2019

संख्या प.12/17( )राजस्व/भू.अ./2018 :– चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, केन्द्र व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्न सूची के अनुसार राजसमन्द जिले में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) तथा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़।
2. प्रधान, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़।
3. अधीक्षण पुरातत्त्वविद, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।
4. उप वन संरक्षक, राजसमन्द।
5. उप निदेशक कृषि विस्तार, राजसमन्द।
6. कार्यपालक इन्जिनियर, लोक निर्माण विभाग, आमेट।
7. कार्यपालक इन्जिनियर, जल संसाधन विभाग, राजसमन्द।
8. तहसीलदार, कुम्भलगढ़।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(6) के अंतर्गत संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़) को उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है। विवरण निम्न सूची के अनुसार

फॉर्म नं. 2

(देखे–नियम–5) पार्ट–बी सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

क्र.सं.	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधीक्षण पुरातत्त्वविद, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	कुम्भलगढ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ की निजी खातेदारी की भूमियां किता 25 क्षेत्रफल 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयां भी दे।	(1) परामर्श, (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और / या भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम, 2013 की धारा 2(1) के अंतर्गत लागू नही है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनैअचल परिणाम (सामाजिक समाघात रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार।
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधीक्षण पुरातत्त्वविद, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।

अरविन्द कुमार पोसवाल, जिला कलेक्टर, राजसमन्द।

(अधीक्षण पुरातत्त्वविद, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल द्वारा प्रकाशित)

दैनिक भास्कर उदयपुर, बुधवार 10 जुलाई, 2019 07

Principal

राजस्थान राज–पत्र : विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE : Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 13, सोमवार शाके 1941–जून 03, 2019	Jyaistha 13, Monday, Saka 1941 - June 03, 2019

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें। राजस्व–विभाग – कार्यालय जिला कलेक्टर, राजसमन्द

अधिसूचना/आदेश राजसमन्द, मार्च 6, 2019

संख्या प.12/17( )राजस्व/भू.अ./2018 :– चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, केन्द्र व्यय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्न सूची के अनुसार राजसमन्द जिले में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) तथा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़।
2. प्रधान, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़।
3. अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।
4. उप वन संरक्षक, राजसमन्द।
5. उप निदेशक कृषि विस्तार, राजसमन्द।
6. कार्यपालक इन्जिनियर, लोक निर्माण विभाग, आमेट।
7. कार्यपालक इन्जिनियर, जल संसाधन विभाग, राजसमन्द।
8. तहसीलदार, कुम्भलगढ़।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(6) के अंतर्गत संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़) को उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है। विवरण निम्न सूची के अनुसार

फॉर्म नं. 2

(देखे–नियम–5) पार्ट–बी सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :–

क्र.सं.	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ़ की निजी खातेदारी की भूमियां किता 25 क्षेत्रफल 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयां भी दे।	(1) परामर्श, (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और / या भू–स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम, 2013 की धारा 2(1) के अंतर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनैअचल परिणाम (सामाजिक समाघात रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार।
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल।

अरविन्द कुमार पोसवाल, जिला कलेक्टर, राजसमन्द।

(अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल द्वारा प्रकाशित)

राजस्थान क
सुसज्जित प्रयो
क्वालिफाईड पै
For
7665010104
FIRS
ENGLISH
MEDIUM
SEPAR
विज्ञान
Co-Educational Hindi
B.Sc.
(Physics, Chemistry, Mat
76650 10109
वाणिज्य
Co-Educational Hindi
B.Com.
(BADM, EAF
82093 9
कला संका
B.A. Geography,
Science, Public Admn
English Lit., Hindi Lit.
Statistics, Drawing &
M.A. Geography,
English Lit.,
95218 9

दो समाचार पत्रों यथा राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर में प्रकाशित विज्ञप्ति

राजस्थान पत्रिका . उदयपुर, गुरुवार, 12 जुलाई, 2019

कुंभलगढ़ पर 11 बीघा जमीन पर पार्किंग के लिए समिति का गठन

भारतीय पुरातत्व विभाग, उपखण्ड अधिकारी ने जमीन आवाप्ति को लेकर बनाई थी कार्य योजना

कुंभलगढ़. विश्व विरासत कुंभलगढ़ दुर्ग पर वाहन पार्किंग की समस्या को लेकर पिछले कई वर्षों से हल्ला पोल से लेकर रामपोल तक सड़क के दोनों किनारों पर वाहनों की कतारें लग जाती है। इससे आए दिन दुर्ग पर पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लम्बे समय तक सिर्फ बैठकों तक ही सीमित रहने वाली योजना इस बार कारगर होती दिखाई दे रही है। दुर्ग पर पार्किंग की समस्या को पत्रिका ने कई बार प्रमुखता से उठाया है। गत 4 जनवरी को भी पार्किंग की समस्या को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों को जल्द मिलेगी पार्किंग की समस्या से निजात, शीर्षक के साथ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। इसी दिन उपखण्ड अधिकारी परसाराम टांक एवं भारतीय पुरातत्व विभाग ने पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए पार्किंग स्थल सम्बन्धी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए समिति की बैठक का आयोजन किया था। इसी क्रम में भारतीय पुरातत्व विभाग जोधपुर मंडल की ओर से बुधवार को समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आठ सदस्यीय सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए समिति का गठन किया है। यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता से भूमि आवाप्ति में अपना कार्य करेगी। समिति में उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़, प्रधान पंचायत समिति कुंभलगढ़, अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर मंडल, उपवन संरक्षक राजसमंद, उप निदेशक कृषि विस्तार राजसमंद, कार्यपालक इंजीनियर लोक निर्माण विभाग आमेट, कार्यपालक इंजीनियर जल संसाधन विभाग आमेट एवं तहसीलदार कुंभलगढ़ शामिल हैं।

तीन दिवसीय महोत्सव का समापन

12 July-2019

मंदिर शिखर पर कलश स्थापित, जयकारों से गंजा वातावरण

समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित आलेख

भूमि से आशय रखने वाले विभाग के तौर पर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल के अधीक्षण पुरातत्त्वविद् द्वारा दिनांक 09.07.19 को पत्र प्रेषित करके कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय, राजसमन्द से निवेदन किया गया कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति गठन की अधिसूचना को जिला कार्यालय, राजसमन्द के सूचना पट्ट पर स्थान प्रदान करते हुए प्रभावित क्षेत्र में स्थित अन्य कार्यालयों पर भी चस्पा करवाने एवं अधिकारिक वेब साइट पर अपलोड किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश पारित किए जाए। साथ ही, अधीक्षण पुरातत्त्वविद् के निर्देशानुसार भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के अधीनस्थ कार्मिको द्वारा अधिसूचना की प्रतियाँ कुम्भलगढ़ में पंचायत समिति भवन, कार्यालय तहसीलदार तथा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पर भी चस्पा की गई।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जन सामान्य की जानकारी हेतु उक्त स्मारक के आस पास सहज दृश्य स्थानों पर भी चस्पा की गई। इसके अलावा, अधिसूचना की छायाप्रतियाँ कुम्भलगढ़ दुर्ग में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा भी स्थानीय लोगो में वितरित की गई। अधिसूचना की प्रति को भूमि हेतु याचक विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट http://www.asijodhpurcircle.in/ पर भी Land Acquisition at Kumbhalgarh Fort शीर्षक के आधीन डाउनलोड करने की सुविधा सहित अपलोड किया गया।

सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण की अधिसूचना के फॉर्म नं. 2 में उल्लेखित (ख) के अनुसार परामर्श, सार्वजनिक सुनवाई तथा सर्वेक्षण को सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप में सम्मिलित किए गए थे।

परामर्श – सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय बैठक क्रमशः दिनांक 17.07.19, 08.08.19 तथा 22.10.19 को स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में संपन्न हुई। प्रथम बैठक में समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उपखण्ड अधिकारी महोदय, कुम्भलगढ़ को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि समिति की समस्त कार्यवाही के सार को हिन्दी में कार्यवृत के रूप में संचित किया जाएगा।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

क्रमांकः– कार्या/2019/ दिनांकः– 17.07.2019

आज दिनांक 17–07–2019 को सायं 05:00 बजे उपखण्ड अधिकारी महोदय, कुम्भलगढ़ की अध्यक्षता में उपखण्ड मुख्यालय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों हेतु सुविधाएँ विकसित करने तथा वाहन पार्किंग समस्या के स्थाई समाधान हेतु भूमि अधिग्रहण प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु गठित समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित हुए :–

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद/विभाग	मोबाईल नम्बर
1	श्री परसाराम टाक	उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़	9784486711
2	श्री राजेन्द्र भारद्वाज	तहसीलदार, कुम्भलगढ़	9413093652
3	श्री नवलाराम चौधरी	खण्ड विकास अधिकारी कुम्भलगढ़	9414616762
4	डॉ. वी.एस. बडिगेर	अधीक्षण पुरातत्वविद्, पुरातत्व विभाग, जोधपुर	8692000783
5	श्री ललित कुमार श्रीमाली	आरपी, सीबीईओ, कुम्भलगढ़	9413772986
6	श्री देवेन्द्र कुमार पुरोहित	वन विभाग, राजसमन्द	9782036519
7	श्री ओंकार बेरवाल	जल संसाधन विभाग, राजसमन्द	9929694441
8	श्री रामपाल खटीक	कृषि विभाग, राजसमन्द	9414116622
9	श्री बाबु सिंह	प्रधान, पंचायत समिति कुम्भलगढ़	8094345735

डॉ. वी.एस. बडिगेर, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जोधपुर द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए समिति की बैठक में स्वागत किया गया तथा इस भूमि अधिग्रहण की अतिआवश्यकता से अवगत कराते हुए सूचित किया गया कि इस प्रयोजन हेतु विभाग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से आवश्यक सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। श्री परसाराम टाक उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ द्वारा समिति के समस्त सदस्यों को नवीन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा बताया गया की समिति का मुख्य कार्य भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित हो रहे परिवारों पर होने वाले आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करना है। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा मामले से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई तथा परियोजना से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसके बाद समिति द्वारा अधिग्रहण हेतु निर्धारित भूमि का स्थल निरीक्षण भी किया गया।

इस क्रम में यह निर्णय लिया गया कि समिति की द्वितीय बैठक तथा जनसुनवाई दिनांक 08–08–2019 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में आयोजित होगी तथा भूमि अवाप्ति से प्रभावित होने वाले परिवारों को उक्त आगामी जनसुनवाई की पूर्व सूचना नोटिस तथा समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी करके यथासमय दी जायेगी।

समस्त सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उपखण्ड अधिकारी,
कुम्भलगढ़

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति की प्रथम बैठक का छायाचित्र

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

क्रमांकः– कार्या/2019/ दिनांकः– 08.08.2019

आज दिनांक 08–08–2019 को प्रातः 10:00 बजे उपखण्ड अधिकारी महोदय, कुम्भलगढ़ की अध्यक्षता में उपखण्ड मुख्यालय पर कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों हेतु सुविधाएँ विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए गठित समिति की द्वितीय बैठक तथा जनसुनवाई सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद/विभाग	मोबाईल नम्बर
1	श्री परसाराम टाक	उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़	9784481711
2	डॉ. वि.एस. बडिगेर	अधीक्षण पुरातत्वविद्, पुरातत्व विभाग, जोधपुर	8692000783
3	श्री विनोद कुमार जैन	सहायक निदेशक, कृषि विभाग	9460029621
4	श्री शैतानसिंह कुम्पावत	अभियंता, पीडब्ल्यूडी विभाग	9166327075

डॉ. वि.एस. बडिगेर, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जोधपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित लोगो को प्रश्नागत भूमि की आवश्यकता, उपयोगिता तथा प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा से अवगत कराया गया। श्री परसाराम टाक, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा अवाप्ति के आधीन आ रही जमीन के खसरा नम्बरों, क्षेत्रफल और मौका स्थिति की जानकारी लोगो की दी गई। जनसुनवाई में उपस्थित लोगो के मन में भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कई सवाल थे, जिन्हें उन्होंने प्रश्नो के रूप में समिति के सामने रखा। सर्वाधिक सवाल भूमि अधिग्रहण के एवज में मिलने वाले मुआवजे की गणना को लेकर थे, जिसके सापेक्ष में एसडीओ द्वारा बताया गया कि अधिनियम में मुआवजे की गणना के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा जमीन के मुआवजे के अतिरिक्त भूमि पर निर्मित संरचनाओ तथा फलदार पेड़ो का भी मूल्यांकन निश्चित कर प्रतिकर दिया जाएगा।

पर्यटकों हेतु सुविधाएँ विकसित करने हेतु भावी योजना के बारे में बताते हुए श्री परसाराम टाक, एसडीओ द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 से सम्पूर्ण देश में संशोधित भू–अर्जन अधिनियम लागू हो गया है, जिसके अंतर्गत प्रभावितों को उचित मुआवजा देने के साथ ही आवश्यकता अनुसार पुनर्वास का दायित्व भी निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित कुटुंबो तथा खातेदारों से परामर्श उपरांत उनकी राय प्राप्त की जा रही है, जिससे भूमि से सम्बद्ध परिवारों पर जमीन के अधिग्रहण से हो रहे वास्तविक प्रभावों का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा सके।

जनसुनवाई में मौजूद श्री अहमद खान ने समिति का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि चयनित भूमि दुर्ग के प्रवेश द्वार से दूर स्थित है और पर्यटकों को एक किलोमीटर से अधिक पैदल चल कर टिकिट काउंटर तक जाना पडेगा, जिस पर अधीक्षण पुरातत्वविद्, पुरातत्व विभाग द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में प्रस्तावित पार्किंग स्थल से दुर्ग के प्रवेश द्वार तक बैटरी संचालित गाड़ियॉ अथवा ऊंट तथा घोड़े की सवारी की सुविधा भी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विभाग के उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य मामलो जैसे किले की संरक्षित सीमा, आरेट पोल के संरक्षण, दुर्ग के भीतर अवस्थित मकानों की मरम्मत की अनुमति आदि विषयो पर भी वार्ता हुई, जिस पर अधीक्षण पुरातत्वविद्, पुरातत्व विभाग द्वारा समूचित जानकारी प्रदान की गई। जमीन के मालिकाना हक पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति पर समिति ने स्पष्ट कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति के पास भूमि के पूरे कागजात है तो वह अपना विधिसम्मत दावा प्रस्तुत कर सकता है। जनसुनवाई में लोगो ने कम डीएलसी दरो का मुद्दा तथा जमीन के एवज में जमीन देने की मांग भी उठाई, जिसपर समिति द्वारा प्रभावितों से लिखित प्रतिवेदन देने को कहा गया, जिससे नियमानुसार उक्त मांगों को सामाजिक समाघात रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति की द्वितीय बैठक में आगामी कार्यवाही पर चर्चा की गई, जिसमे यह निष्कर्ष लिया गया कि जल्द ही प्रभावित क्षेत्र में फील्ड सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उक्त बैठक तथा जनसुनवाई में श्री परसाराम टाक, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़, डॉ. वि.एस. बडिगेर, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जोधपुर, श्री विनोद कुमार जैन, सहायक निदेशक, कृषि विभाग, श्री शैतानसिंह कुम्पावत, अभियंता, पीडब्ल्यूडी विभाग आदि अधिकारियो के साथ श्री अहमद खान, श्री कालू लाल, श्री अली मोहम्मद, श्री अर्जुन आमेटा, श्री चमन कादरी आदि सहित 30 स्थानीय निवासियों ने प्रतिभाग लिया।

समस्त सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक तथा जनसुनवाई सम्पन्न हुई।

उपखण्ड अधिकारी,
कुम्भलगढ़

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

क्रमांकः– कार्या/2019/ दिनांकः– 22.10.2019

आज दिनांक 22–10–2019 को प्रातः 10:00 बजे कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में भूमि अधिग्रहण प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति की तृतीय तथा अंतिम बैठक सम्पन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता उपखण्ड अधिकारी महोदय, कुम्भलगढ़ द्वारा की गई। आज आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित हुए :–

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद/विभाग	मोबाईल नम्बर
1	श्री परसाराम टाक	उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़	9784486711
2	श्री भंवर लाल चोपड़ा	तहसीलदार, कुम्भलगढ़	9001719086 9413611936
3	श्री बाबु सिंह	प्रधान, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़	8094345735
4	श्री नवलाराम चौधरी	खण्ड विकास अधिकारी, कुम्भलगढ़	9414616762
5	डॉ. वि.एस. बडिगेर	अधीक्षण पुरातत्वविद्, पुरातत्व विभाग, जोधपुर	8692000783
6	श्री ललित कुमार श्रीमाली	आरपी, सीबीईओ, कुम्भलगढ़	9413772986
7	श्री किशोर सिंह	रेंजर, वन विभाग, राजसमन्द	9782036519
8	श्री शैतान सिंह राठौड़	एई, पीडब्लूडी, कुम्भलगढ़	9166327075
9	श्री पी० के० बुनकर	ईई, पीडब्लूडी, आमेट	9829810474

खातेदारों/ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रेषित 4 पत्रों में उल्लेखित सुझावों और आपत्तियों पर बैठक में बिन्दुवार चर्चा की गई, जिसमे प्रमुखतः कम डीएलसी रेट, पेड़–पौधों का प्रतिकर, उचित मुआवजा, कुम्भलगढ़ दुर्ग के संरक्षित क्षेत्र में विकास और निर्माण कार्य तथा परियोजना से प्रभावितों को लाभान्वित करने आदि की ओर समिति का ध्यान आकर्षित किया गया है। उक्त बिन्दुओ पर अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, जोधपुर मंडल द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवम् अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 की धारा 19(1) तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act), 2013 के उपबंध 26, 28 तथा धारा 30 (2) में उल्लेखित प्रथम अनुसूची के प्रावधानों के आधार पर समिति को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। उक्त तथ्यात्मक प्रत्युतर के आलोक में आवेदनों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिनके निस्तारण का अंकन रिपोर्ट में किया जाएगा।

श्री कालू लाल आमेटा द्वारा राजस्व अभिलेखों में श्री महादेव जी नीलकंठ जी स्थान देह के नाम दर्ज खसरा नंबर 578 की भूमि को अर्जन से मुक्त करने का निवेदन किया गया, जिसका विशेष संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा राजस्व भू–चित्र के अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि इस जमीन की मौके पर अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्थिति है तथा मंदिर की इस भूमि को अर्जन से मुक्त किए जाने से परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सापेक्ष में अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, जोधपुर मंडल द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि मंदिर के स्वामित्व की प्रश्नागत भूमि अवप्तिधीन जमीन के मध्य स्थित है, परन्तु स्थानीय लोगो की धार्मिक भावनाए इस भू–खण्ड से जुड़ीं होने के कारण मंदिर की भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य रक्वे की जमीन बादशाही बावड़ी के सामने सीमा निर्धारण कर उपलब्ध कराए जाने के विकल्प पर समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जाए। यधपि इस तरह जमीन की अदला–बदली का उल्लेख RFCTLARR Act, 2013 में नहीं है, परन्तु चुकि जमीन पर कोई धार्मिक संरचना अथवा अन्य निर्माण नहीं है तथा भूमि मौके पर खाली है, अतः प्रथम दृष्टया खसरा नंबर 578 को अवाप्त किये जाने में कोई समस्या परिलक्षित नहीं है। फिर भी, यदि कोई व्यक्ति इस बारे में आक्षेप करना चाहते हो तो RFCTLARR Act, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

समिति द्वारा दिनांक 16.09.2019 से 20.09.2019 तक प्रभावित क्षेत्र में लोगो से व्यक्तिगत संपर्क करके डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान आग्रह के आधार पर भरवाए गए प्रश्नावली फॉर्म के नतीजो का विश्लेषण भी किया गया। सर्वे प्रक्रिया में कुल 09 हितधारको, 05 पर्यटकों एवम् 16 स्थानीय निवासियों द्वारा उनके मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार और सुझाव लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र–घ भरा गया था, जिन्हें समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया तथा इन प्रपत्रों में इंगित सुझावों और आपत्तियों में से कई बिन्दु भूमि अधिग्रहण तथा प्रस्तावित परियोजना से संबंधित ना होकर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के विभागीय कार्यो से संबद्ध है, जबकि कुछ मांगे अन्य शासकीय विभागों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। इस बारे में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देते समय भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण उन सुझावों पर नियमानुसार विचार करे, जिन्हें सम्मिलित करके कार्ययोजना को सीधे तौर पर और अधिक लोक कल्याणकारी बनाया जा सकता है। परियोजना से इतर सुझावों और आपत्तियों के संबंध में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा उनके विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा श्री महादेव जी नीलकंठ जी स्थान देह के नाम दर्ज खसरा नंबर 578 की भूमि एवम् परियोजना हेतु वैकल्पिक स्थान की तलाश के लिए कुम्भलगढ़ किले के प्रमुख सड़क मार्ग तथा आस–पास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण भी किया गया। समिति ने परामर्श, सर्वेक्षण और लोक सुनवाई आदि समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है तथा ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार करने हेतु अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2019 निर्धारित की गई है।

समस्त सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उपखण्ड अधिकारी,
कुम्भलगढ़

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति की तृतीय बैठक के छायाचित्र

सार्वजनिक सुनवाई

प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 08.08.19 को स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में संपन्न हुई। उक्त जन सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी करके दी गई, परन्तु नोटिस हस्तगत करने की कार्यवाही के दौरान स्थानीय लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि कई प्रभावित व्यक्ति अन्यत्र निवासरत है, अतः ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों और जन सामान्य को सार्वजनिक सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी की सूचना देने हेतु अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दिनांक 03 अगस्त 2019 को प्रकाशित कराई गई। इसके अतिरिक्त, नोटिस की प्रतियाँ कुम्भलगढ़ में पंचायत समिति भवन, कार्यालय तहसीलदार तथा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी के सूचना पट्ट पर भी लगा दी गई। नोटिस की प्रति को भूमि हेतु याचक विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट http://www.asijodhpurcircle.in/ पर भी Land Acquisition at Kumbhalgarh Fort शीर्षक के आधीन डाउनलोड करने की सुविधा सहित अपलोड भी किया गया।

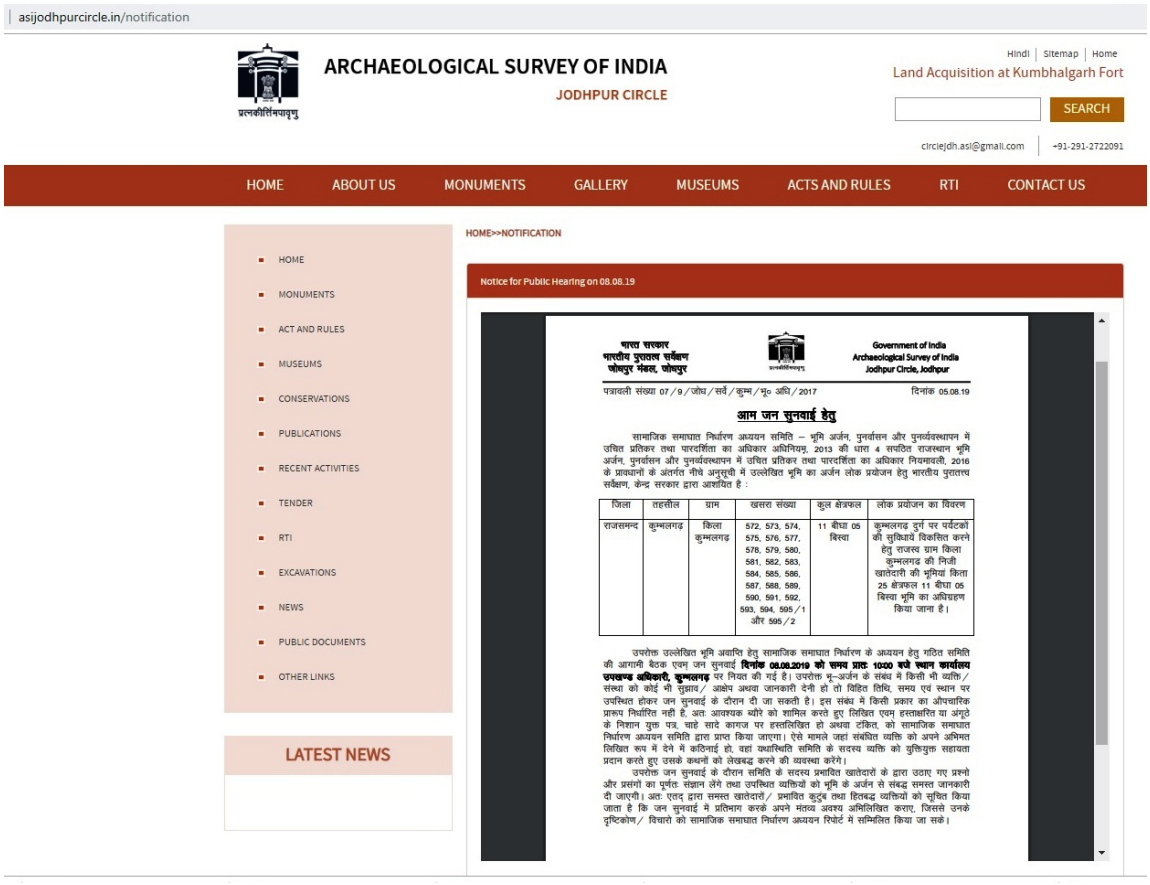

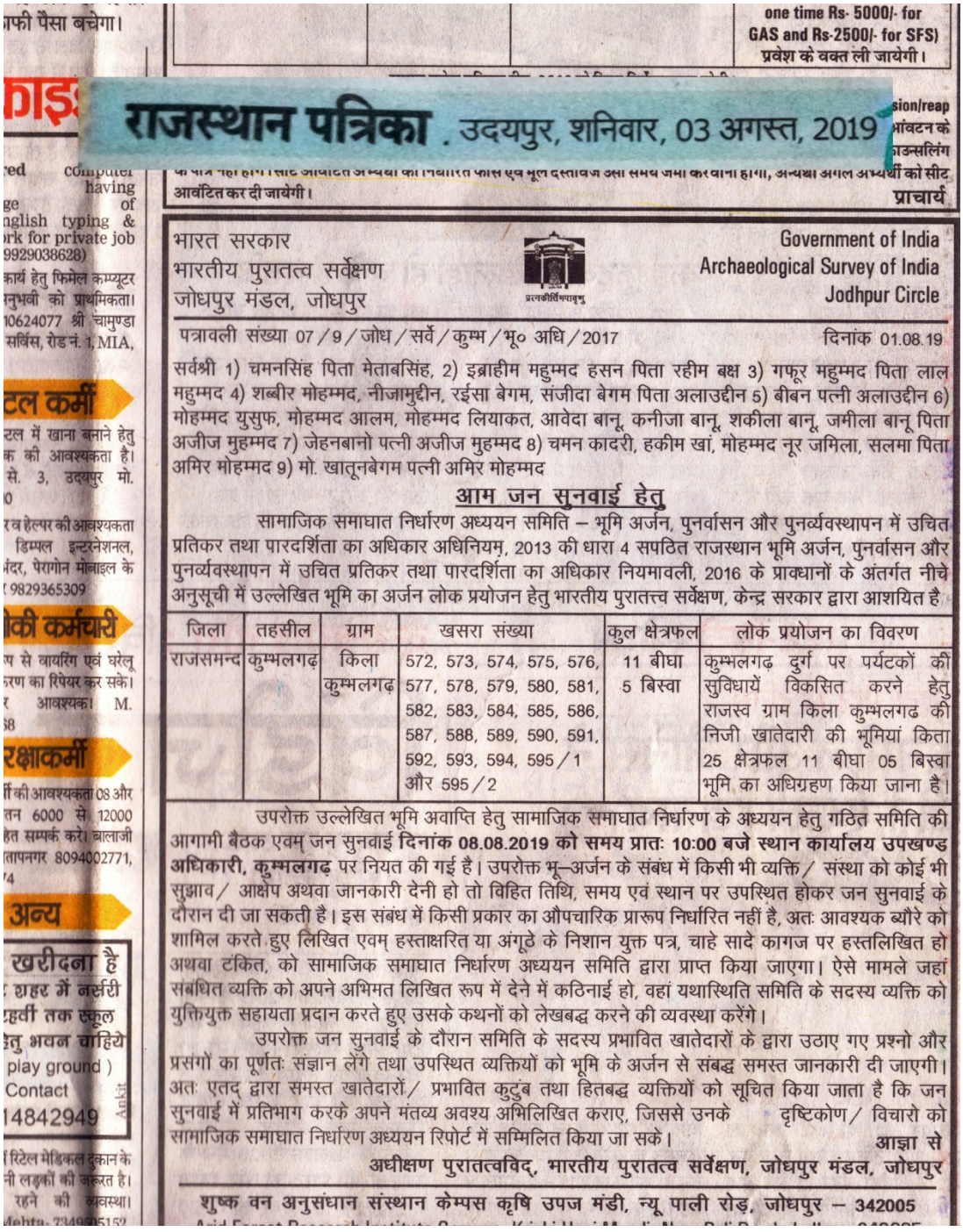

राजस्थान पत्रिका . उदयपुर, शनिवार, 03 अगस्त, 2019

one time Rs- 5000/- for GAS and Rs-2500/- for SFS) प्रवेश के वक्त ली जायेगी।

आवंटित कर दी जायेगी। प्राचार्य

भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
जोधपुर मंडल, जोधपुर

Government of India
Archaeological Survey of India
Jodhpur Circle

पत्रावली संख्या 07/9/जोध/सर्वे/कुम्भ/भू० अधि/2017 दिनांक 01.08.19

सर्वश्री 1) चमनसिंह पिता मेताबसिंह, 2) इब्राहीम महुम्मद हसन पिता रहीम बक्ष 3) गफूर महुम्मद पिता लाल महुम्मद 4) शब्बीर मोहम्मद, नीजामुद्दीन, रईसा बेगम, संजीदा बेगम पिता अलाउद्दीन 5) बीबन पत्नी अलाउद्दीन 6) मोहम्मद युसुफ, मोहम्मद आलम, मोहम्मद लियाकत, आवेदा बानू, कनीजा बानू, शकीला बानू, जमीला बानू पिता अजीज मुहम्मद 7) जेहनबानो पत्नी अजीज मुहम्मद 8) चमन कादरी, हकीम खां, मोहम्मद नूर जमिला, सलमा पिता अमिर मोहम्मद 9) मो. खातूनबेगम पत्नी अमिर मोहम्मद

आम जन सुनवाई हेतु

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति – भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, केन्द्र सरकार द्वारा आशयित है

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
राजसमन्द	कुम्भलगढ़	किला कुम्भलगढ़	572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595/1 और 595/2	11 बीघा 5 बिस्वा	कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ की निजी खातेदारी की भूमियां किता 25 क्षेत्रफल 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

उपरोक्त उल्लेखित भूमि अवाप्ति हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु गठित समिति की आगामी बैठक एवम् जन सुनवाई **दिनांक 08.08.2019 को समय प्रातः 10:00 बजे स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़** पर नियत की गई है। उपरोक्त भू–अर्जन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई भी सुझाव/ आक्षेप अथवा जानकारी देनी हो तो विहित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर जन सुनवाई के दौरान दी जा सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार का औपचारिक प्रारूप निर्धारित नहीं है, अतः आवश्यक ब्यौरे को शामिल करते हुए लिखित एवम् हस्ताक्षरित या अंगूठे के निशान युक्त पत्र, चाहे सादे कागज पर हस्तलिखित हो अथवा टंकित, को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मामले जहां संबंधित व्यक्ति को अपने अभिमत लिखित रूप में देने में कठिनाई हो, वहां यथास्थिति समिति के सदस्य व्यक्ति को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करते हुए उसके कथनों को लेखबद्ध करने की व्यवस्था करेंगे।

उपरोक्त जन सुनवाई के दौरान समिति के सदस्य प्रभावित खातेदारों के द्वारा उठाए गए प्रश्नो और प्रसंगों का पूर्णतः संज्ञान लेंगे तथा उपस्थित व्यक्तियों को भूमि के अर्जन से संबद्ध समस्त जानकारी दी जाएगी। अतः एतद् द्वारा समस्त खातेदारों/ प्रभावित कुटुंब तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जन सुनवाई में प्रतिभाग करके अपने मंतव्य अवश्य अभिलिखित कराए, जिससे उनके दृष्टिकोण/ विचारो को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।

आज्ञा से
अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मंडल, जोधपुर

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान केम्पस कृषि उपज मंडी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर – 342005

जन सुनवाई हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञप्ति

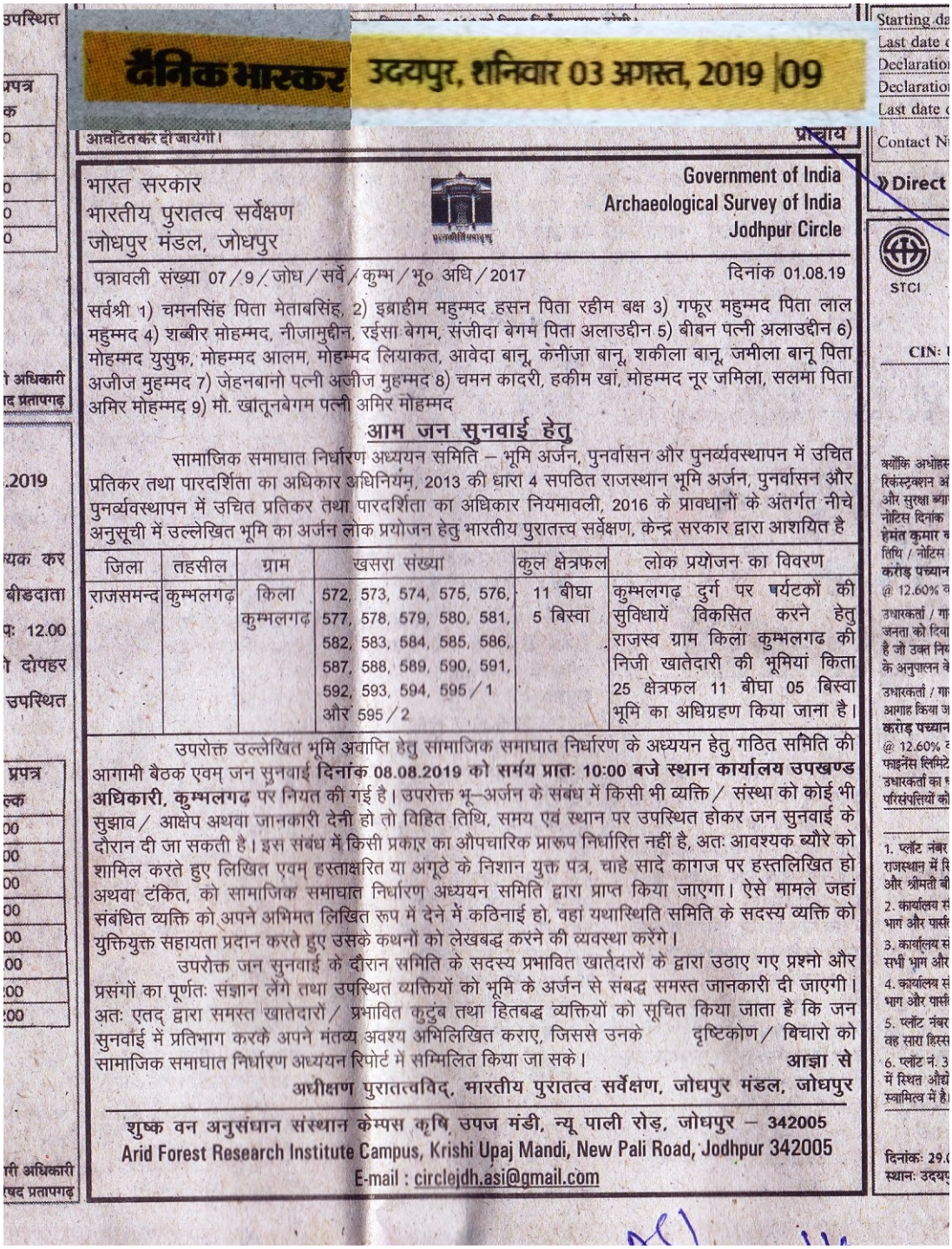

दैनिक भास्कर उदयपुर, शनिवार 03 अगस्त, 2019 | 09

भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
जोधपुर मंडल, जोधपुर

Government of India
Archaeological Survey of India
Jodhpur Circle

पत्रावली संख्या 07/9/जोध/सर्वे/कुम्भ/भू० अधि/2017 दिनांक 01.08.19

सर्वश्री 1) चमनसिंह पिता मेताबसिंह, 2) इब्राहीम महुम्मद हसन पिता रहीम बक्ष 3) गफूर महुम्मद पिता लाल महुम्मद 4) शब्बीर मोहम्मद, नीजामुद्दीन, रईसा बेगम, संजीदा बेगम पिता अलाउद्दीन 5) बीबन पत्नी अलाउद्दीन 6) मोहम्मद युसुफ, मोहम्मद आलम, मोहम्मद लियाकत, आवेदा बानू, कनीजा बानू, शकीला बानू, जमीला बानू पिता अजीज मुहम्मद 7) जेहनबानो पत्नी अजीज मुहम्मद 8) चमन कादरी, हकीम खां, मोहम्मद नूर जमिला, सलमा पिता अमिर मोहम्मद 9) मो. खातूनबेगम पत्नी अमिर मोहम्मद

आम जन सुनवाई हेतु

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति – भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, केन्द्र सरकार द्वारा आशयित है

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
राजसमन्द	कुम्भलगढ़	किला कुम्भलगढ	572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595/1 और 595/2	11 बीघा 5 बिस्वा	कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ की निजी खातेदारी की भूमियां किता 25 क्षेत्रफल 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

उपरोक्त उल्लेखित भूमि अवाप्ति हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु गठित समिति की आगामी बैठक एवम् जन सुनवाई **दिनांक 08.08.2019 को समय प्रातः 10:00 बजे स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़** पर नियत की गई है। उपरोक्त भू–अर्जन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई भी सुझाव/ आक्षेप अथवा जानकारी देनी हो तो विहित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर जन सुनवाई के दौरान दी जा सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार का औपचारिक प्रारूप निर्धारित नहीं है, अतः आवश्यक ब्यौरे को शामिल करते हुए लिखित एवम् हस्ताक्षरित या अंगूठे के निशान युक्त पत्र, चाहे सादे कागज पर हस्तलिखित हो अथवा टंकित, को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मामले जहां संबंधित व्यक्ति को अपने अभिमत लिखित रूप में देने में कठिनाई हो, वहां यथास्थिति समिति के सदस्य व्यक्ति को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करते हुए उसके कथनों को लेखबद्ध करने की व्यवस्था करेंगे।

उपरोक्त जन सुनवाई के दौरान समिति के सदस्य प्रभावित खातेदारों के द्वारा उठाए गए प्रश्नो और प्रसंगों का पूर्णतः संज्ञान लेंगे तथा उपस्थित व्यक्तियों को भूमि के अर्जन से संबद्ध समस्त जानकारी दी जाएगी। अतः एतद् द्वारा समस्त खातेदारों/ प्रभावित कुटुंब तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जन सुनवाई में प्रतिभाग करके अपने मंतव्य अवश्य अभिलिखित कराए, जिससे उनके दृष्टिकोण/ विचारो को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।

आज्ञा से

अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मंडल, जोधपुर

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान केम्पस कृषि उपज मंडी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर – 342005
Arid Forest Research Institute Campus, Krishi Upaj Mandi, New Pali Road, Jodhpur 342005
E-mail : circlejdh.asi@gmail.com

जन सुनवाई हेतु समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित विज्ञप्ति

सार्वजनिक सुनवाई के छायाचित्र

पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन

लोक सुनवाईयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन।

दिनांक 08.08.19 को स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में संपन्न हुई सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु जन सुनवाई के दौरान तथा जन सुनवाई के उपरांत निम्न 04 व्यक्तियों से समिति को पत्र प्राप्त हुए।

01) श्री बशीर मोहम्मद से पत्र दिनांक 08.08.19

02) श्री अहमद खां से पत्र दिनांक 08.08.19

03) सर्वश्री कालू लाल आमेटा, अर्जुन लाल आमेटा व गीता देवी से पत्र दिनांक 08.08.19

04) श्री मकबूल खां से पत्र दिनांक 20.08.19

05) श्री लियाकत अली से पत्र दिनांक 25.11.19

इन पत्रों में उल्लेखित सुझावों तथा आपतियों का ब्यौरा तथा संसद द्वारा पारित अधिनियमों के आलोक में समिति का तथ्यात्मक प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	सुझाव/आपत्ति	समिति का तथ्यात्मक प्रत्युत्तर
01	कुम्भलगढ़ दुर्ग में कई बीघा जमीन खाली बिलानाम पड़ी हुई है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा किया जा सकता है, अतः हमारी खातेदारी जमीन का अर्जन नही किया जाए।	सम्पूर्ण कुम्भलगढ़ दुर्ग पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवम् अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 तथा संबद्ध नियम, 1959 लागु होते है। कुम्भलगढ़ किले की प्राचीर के भीतर अवस्थित सम्पूर्ण भू–भाग उपरोक्त स्मारक का संरक्षित क्षेत्र है तथा पूर्वकथित अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग किसी अन्य रीति से नहीं किया जा सकता। चौगान किले के भीतर और स्मारक मंदिर समूह के निकट स्थित है और यदि इस स्थान को पार्किंग के रूप में विकसित किया गया तो प्रदुषण से ऐतिहासिक संरचनाओं को निश्चित ही हानि पहुचेगी। प्रस्तावित स्थल की भूमि दुर्ग की दीवार से दूर होने के कारण यह दुष्प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा।
02	अर्जन की जाने वाले जमीन के बदले उचित जमीन आवंटित कराई जाए।	चुकि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन मौके पर खाली है तथा किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, अतः भूमि मालिक को अधिग्रहित जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन दिए जाने की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। केवल सिचाई परियोजनाओं के मामलो में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी हितधारक व्यक्ति की स्थिति मॉर्जनल कृषक (सीमान्त किसान) अथवा भूमिहीन तक दुर्बल हो जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को भूमि के बदले जमीन दिए जाने का प्रावधान है।
03	यहाँ की जमीन की डीएलसी रेट कई वर्षो से नहीं बढ़ाई गई है, जिससे अर्जन की जाने वाली भूमि की प्रतिफिट राशी काफी कम है, जिससे अर्जन की जाने वाले वाली जमीन की	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) के उपबंध 26 में भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा धारा 30(2) में उल्लेखित प्रथम अनुसूची के प्रावधानानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो भी प्रतिकर निश्चित किया जाएगा, वह भूमि से आशय रखने वाले विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा देय होगा।

	प्रतिकर राशी का निर्धारण इसी पटवार क्षेत्र के गाँव गवार, आरेट की भागल में प्रचलित को आधार मानकर दिलाया जाए।	
04	जमीन में स्थित पेड़–पौधों जैसे आम इमली, जिनसे प्रतिवर्ष आय होती है, उसे भी प्रतिकर में जोड़कर दिलाया जाए।	RFCTLARR Act, 2013 की धारा 28 के द्वितीय अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए प्रदान की जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्धारण करने में, हितबद्ध व्यक्ति को होने वाली क्षति, जो भूमि पर कब्जे लेने के समय जमीन पर मौजूद पेड़ और पौधों से हो सकती है, पर कलेक्टर विचार करेगे।
05	अर्जन की जाने वाली जमीन में होने वाली गतिविधियों, क्रियाकलापों में हमें वरीयता दी जाए तथा जमीन में पड़ी निर्माण सामग्री के उपयोग की स्वीकृति प्रदान कराए।	वर्तमान में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा अवाप्तिधीन भूमि का उपयोग केवल कुम्भलगढ़ दुर्ग के लिए पर्यटक वाहन पार्किंग हेतु ही किए जाने की योजना है। RFCTLARR Act, 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व भूमि से हित रखने वाले व्यक्ति अपनी जमीन का उपयोग/ उपभोग करने हेतु पूर्णतया स्वतंत्र है।
06	शेष रहने वाली जमीन पर व्यवसाय करने हेतु विशेष छुट दी जाए।	कुम्भलगढ़ दुर्ग समेत किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग किसी अन्य रीति से नहीं किया जा सकता। (विस्तृत टिप्पणी हेतु देखे बिन्दु संख्या 1)
07	मंदिर की जमीन को अर्जन से मुक्त रखा जाए।	राजस्व भू–चित्र के अवलोकन तथा स्थल निरीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि इस जमीन की मौके पर अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्थिति है तथा मंदिर की इस भूमि को अर्जन से मुक्त किए जाने से परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यधपि स्थानीय लोगो की धार्मिक भावनाएं इस भू–खण्ड से जुड़ीं है, परन्तु चुकि जमीन पर कोई धार्मिक संरचना अथवा अन्य निर्माण नहीं है तथा भूमि मौके पर खाली है, अतः प्रथम दृष्टया खसरा नंबर 578 को अवाप्त किये जाने में कोई समस्या परिलक्षित नहीं है। फिर भी, यदि कोई व्यक्ति इस बारे में आक्षेप करना चाहते हो तो RFCTLARR Act, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।
08	श्री मकबूल खां द्वारा यह बताया कि ग्राम किला कुम्भलगढ़ के खसरा नंबर 591 से 595 की भूमि उनके परिवार द्वारा 1979 में क्रय की गई थी, परन्तु नामांतरण उनके परिवार के पक्ष नहीं हो सका। उनका परिवार भूमि का उपयोग–उपभोग तथा कृषि कार्य सालो से कर रहे है, जिसमे एक बावड़ी और कमरा भी निर्मित कराया गया, अतः	राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण (म्युटेशन) संबंधी कार्यवाही सक्षम राजस्व प्राधिकारियों के अधिकार–क्षेत्र का मामला है। इसके अतिरिक्त, जमीन के मालिकाना हक पर किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा ही विधिसम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है। किसी भूखण्ड के वास्तविक हकदार का निर्धारण किया जाना समिति के कार्यक्षेत्र के दायरे में नहीं है।

	जमीन का मुआवजा उनको दिया जाए।	
09	श्री लियाकत अली द्वारा खातेदारों के नाम का उल्लेख समूह व क्रम में करते हुए यह सूचित किया गया कि जमीन का हिस्सा सही तरीके से किया जाए।	समिति के कार्यक्षेत्र के दायरे में नहीं है।

सर्वेक्षण – भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के विभागीय कार्मिकों द्वारा दिनांक 16.09.19 से 20.09.19 तक ग्राम आरेट की भागल, किला कुम्भलगढ़, बिड की भागल, गवार तथा मुख्य केलवाड़ा बाजार व आसपास के आबादी क्षेत्रो में स्थानीय निवासियों तथा दुर्ग के भ्रमण हेतु आने वाले पर्यटकों एवम् हितधारको से व्यक्तिगत संपर्क करके आग्रह के आधार पर डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान प्रश्नावली फार्म के कुल 646 सर्वेक्षण प्रपत्र भरवाए गए। सर्वेक्षण प्रपत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	टिप्पणी
01	सर्वेक्षण प्रपत्र–क (हितधारको के लिए)	09	1) सर्व श्री कालू लाल आमेटा, अर्जुन लाल आमेटा व गीता देवी (खसरा नंबर 572 से 577 और 579 से संबंधित) 2) सर्व श्री बशीर मुहम्मद, अहमद खान सैयद और श्रीमती हुसैना बानु (खसरा नंबर 585 से 590 से संबंधित) 3) सर्व श्री हसन खान और मकबूल खां (खसरा नंबर 591 से 595 से संबंधित) 4) श्री यासीन खान (खसरा नंबर 580 और 581 से संबंधित)
02	सर्वेक्षण प्रपत्र–ख (पर्यटकों के लिए)	210	जिन पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र–घ पर मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार अथवा सुझाव की जानकारी दी गई, उन्हें संबंधित व्यक्ति द्वारा भरे गए प्रपत्र–ख/ ग के साथ नत्थी किया गया है।
03	सर्वेक्षण प्रपत्र–ग (स्थानीय निवासियों के लिए)	427	
	कुल	646 सर्वेक्षण प्रपत्र	

डोर–टू–डोर सर्वे की कार्यवाही पश्चात् निम्नलिखित हितधारको द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र–क भरकर उपलब्ध कराए गए :–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	टिप्पणी
01	सर्वेक्षण प्रपत्र–क (हितधारको के लिए)	कुल 05 सर्वेक्षण प्रपत्र	1) सर्व श्री रफीक मोहम्मद शेख, इब्राहीम शेख व श्रीमती जैनब बानो 2) सर्व श्री मोहम्मद युसूफ व लियाकत अली (खसरा नंबर 591 से 595 से संबंधित)

हितधारक श्री बशीर मोहम्मद सर्वे के दौरान अपनी व्यक्तिगत जानकारी देते हुए

ग्राम गवार में स्थानीय लोग सर्वे के फॉर्म भरते हुए

हितधारको, पर्यटकों एवम् स्थानीय निवासियों से मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार अथवा सुझाव लिखित रूप में प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र–घ भी डोर–टू–डोर सर्वे में सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित हितधारको द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र–क भरकर व्यक्तिगत जानकारी दी गई तथा फॉर्म–घ भरकर सुझाव/आपत्ति व्यक्त किए गए।

01) श्री कालू लाल आमेटा
02) श्री अर्जुन लाल आमेटा
03) गीता देवी जी
04) श्री बशीर मुहम्मद
05) श्री अहमद खान सैयद
06) श्रीमती हुसैना बानु
07) श्री मकबूल खां
08) श्री यासीन खान
09) श्री रफीक मोहम्मद शेख
10) श्री इब्राहीम शेख
11) श्री मोहम्मद युसूफ
12) श्री लियाकत अली

श्री हसन खां तथा श्रीमती जैनब बानो द्वारा कोई विचार फॉर्म–घ पर लिखकर प्रकट नहीं किए गए। श्री मोहम्मद आलम तथा श्री मुश्ताक खान द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र पर स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए गए, परन्तु उनसें प्राप्त सुझावों पर समिति द्वारा विचार किया गया।

फॉर्म–घ भरकर व्यक्त किए गए सुझाव/आपत्ति के सापेक्ष में संसद द्वारा पारित अधिनियमों के आलोक में समिति द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक प्रत्युत्तर तैयार किए गए है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	सुझाव/आपत्ति	समिति का तथ्यात्मक प्रत्युत्तर
	श्री कालू लाल आमेटा	
01	भूमि अर्जन मुआवजा राशी ग्राम केलवाड़ा की सड़क के सटया विकसित भूमि की डीएलसी राशी को आधार मान कर दिलाया जाए।	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) के उपबंध 26 में भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा धारा 30(2) में उल्लेखित प्रथम अनुसूची के प्रावधानानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो भी प्रतिकर निश्चित किया जाएगा, उसकी अदायगी के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग प्रतिबद्ध है।
02	अर्जित की जाने वाली जमीन के पास पड़ी अन्य मेरी जमीन को विकसित करने की अनुमति प्रदान कराई जाए।	सम्पूर्ण कुम्भलगढ़ दुर्ग पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवम् अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 तथा संबद्ध नियम, 1959 लागु होते है। कुम्भलगढ़ किले की प्राचीर के भीतर अवस्थित सम्पूर्ण भू–भाग उपरोक्त स्मारक का संरक्षित क्षेत्र है तथा पूर्वकथित अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग किसी

		अन्य रीति से विकसित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से सभी दिशाओ में 100 मीटर की दूरी प्रतिषिद्ध क्षेत्र है तथा प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर की परिधि विनियमित क्षेत्र है। स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार नवनिर्माण की अनुमति अनुमन्य नहीं है, जबकि प्रतिषिद्ध क्षेत्र में केवल मरम्मत तथा विनियमित क्षेत्र में नवनिर्माण/ मरम्मत का कार्य सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकता है। उपरोक्त अधिनियम के अनुसार बिना अनुमति के किया गया निर्माण/ मरम्मत कार्य अनाधिकृत है तथा अवैध निर्माणकर्ता को कैद, जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाने का प्रावधान है।
03	अर्जित भूमि पर किए जाने वाले विकास कार्यो में हम खातेदारों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए।	वर्तमान में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा अवाप्तिधीन भूमि का उपयोग केवल कुम्भलगढ़ दुर्ग के लिए पर्यटक वाहन पार्किंग हेतु ही किए जाने की योजना है।
04	भविष्य में हमें होने वाले क्रिया–कलापों में हमें वरीयता प्रदान की जाए।	वर्तमान में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा अवाप्तिधीन भूमि का उपयोग केवल कुम्भलगढ़ दुर्ग के लिए पर्यटक वाहन पार्किंग हेतु ही किए जाने की योजना है।
05	मौजा किला कुम्भलगढ़ की आराजी नंबर 578 नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम दर्ज होकर हम पुजारी होकर उपयोग कर रहे है, जिसे पुर्ववत स्थिति कायम रखी जाए।	राजस्व भू–चित्र के अवलोकन तथा स्थल निरीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि इस जमीन की मौके पर अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्थिति है तथा मंदिर की इस भूमि को अर्जन से मुक्त किए जाने से परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यधपि स्थानीय लोगो की धार्मिक भावनाएं इस भू–खण्ड से जुड़ीं है, परन्तु चुकि जमीन पर कोई धार्मिक संरचना अथवा अन्य निर्माण नहीं है तथा भूमि मौके पर खाली है, अतः प्रथम दृष्टया खसरा नंबर 578 को अवाप्त किये जाने में कोई समस्या परिलक्षित नहीं है। फिर भी, यदि कोई व्यक्ति इस बारे में आक्षेप करना चाहते हो तो RFCTLARR Act, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।
06	पेड़–पौधो का नियमानुसार मुआवजा दिलाया जावे।	RFCTLARR Act, 2013 की धारा 28 के द्वितीय अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए प्रदान की जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्धारण करने में, हितबद्ध व्यक्ति को होने वाली क्षति, जो भूमि पर कब्जे लेने के समय जमीन पर मौजूद पेड़ और पौधों से हो सकती है, पर कलेक्टर विचार करेगे।
	श्री अर्जुन लाल आमेटा	
01	हमें भूमि मुआवजा के बदले सरकार को देने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यदि सरकार वास्तव में यह जमीन अधिग्रहित करती है तो यहाँ पर्यटकों के लिए सारी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे पर्यटक ज्यादा	भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) के अनुसरण में जो भी प्रतिकर निश्चित किया जाएगा, उसकी अदायगी के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण प्रतिबद्ध है।

	समय तक यहाँ पर समय व्यतीत करे तथा लोगो को स्थानीय रोजगार से लाभ मिल सके। हम यह चाहते है कि सरकार हमारी पुश्तैनी जमीन के बदले हमें उचित मुआवजा दे।	
	गीता देवी जी	
01	पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार को हमारी जमीन की जरुरत हो तो हम देने को तैयार है, पर सरकार को भी उचित मुआवजा देने की व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए।	भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) के अनुसरण में जो भी प्रतिकर निश्चित किया जाएगा, उसकी अदायगी के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण प्रतिबद्ध है।
	श्री बशीर मुहम्मद	
01	भूमि का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। केलवाड़ा बस स्टैंड से महाराणा प्रताप सर्किल तक जो डीएलसी रेट प्रचलित है, उस डीएलसी रेट के अनुसार हमारी भूमि का मुआवजा दिया जाए। मुआवजा 6 गुना दिया जाए। हमारी भूमि उक्त प्रयोजन हेतु देने में हमें को आपत्ति नहीं है, परन्तु 20 X 20 फीट की जमीन हमें लीज पर कैंटीन/रेस्टोरेंट संचालन हेतु प्रदान की जाए।	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) के उपबंध 26 में भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा धारा 30(2) में उल्लेखित प्रथम अनुसूची के प्रावधानानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो भी प्रतिकर निश्चित किया जाएगा, उसकी अदायगी के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण प्रतिबद्ध है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा अवाप्तिधीन भूमि का उपयोग केवल कुम्भलगढ़ दुर्ग के लिए पर्यटक वाहन पार्किंग हेतु ही किए जाने की योजना है। सम्पूर्ण कुम्भलगढ़ दुर्ग पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवम् अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 तथा संबद्ध नियम, 1959 लागु होते है। कुम्भलगढ़ किले की प्राचीर के भीतर अवस्थित सम्पूर्ण भू–भाग उपरोक्त स्मारक का संरक्षित क्षेत्र है तथा पूर्वकथित अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग किसी अन्य रीति से विकसित नहीं किया जा सकता।
	श्री अहमद खान सैयद	
01	हमारी जमीन के बदले सरकार हमें केलवाड़ा में उतने ही क्षेत्रफल की भूमि देवे। हमारी भूमि पर 2 आम के फलदार पेड़ है, जिनसे हम खातेदारों को सालाना 35000/– की आय होती है, उन पेड़ो का भी उचित	चुकि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन मौके पर खाली है तथा किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, अतः इस मामले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) की धारा 31(1), 38(1) व 105(3) में वर्णित द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि के बदले जमीन मांग स्वीकार योग्य नहीं है। RFCTLARR Act, 2013 की धारा 28 के द्वितीय अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के

	मुआवजा दिया जाना चाहिए। किले तक टूरिस्ट बस नहीं जाती है, अतः कम से कम दुर्ग के भीतर चौगान में पार्किंग बनाई जाए, जहाँ विजय पोल से आसानी से छोटी गाड़ियाँ कारे जा सकती है। केलवाड़ा मुख्य बाजार मेन रोड की डीएलसी दर से मुआवजा दिया जाए। मुआवजा 6 गुना दिया जाए।	लिए प्रदान की जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्धारण करने में, हितबद्ध व्यक्ति को होने वाली क्षति, जो भूमि पर कब्जे लेने के समय जमीन पर मौजूद पेड़ और पौधों से हो सकती है, पर कलेक्टर विचार करेगे। सम्पूर्ण कुम्भलगढ़ दुर्ग अधिनियम पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवम् अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 तथा संबद्ध नियम, 1959 लागु होते है। कुम्भलगढ़ किले की प्राचीर के भीतर अवस्थित सम्पूर्ण भू–भाग उपरोक्त स्मारक का संरक्षित क्षेत्र है तथा पूर्वकथित अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग किसी अन्य रीति से नहीं किया जा सकता। चौगान किले के भीतर और स्मारक मंदिर समूह के निकट स्थित है और यदि इस स्थान को पार्किंग के रूप में विकसित किया गया तो प्रदुषण से ऐतिहासिक संरचनाओं को निश्चित ही हानि पहुचेगी। प्रस्तावित स्थल की भूमि दुर्ग की दीवार से दूर होने के कारण यह दुष्प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act), 2013 के उपबंध 26 में भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा धारा 30(2) में उल्लेखित प्रथम अनुसूची के प्रावधानानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो भी प्रतिकर निश्चित किया जाएगा, उसकी अदायगी के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण प्रतिबद्ध है।
	हुसैना बानु	
01	जमीन उक्त परियोजना हेतु देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने के साथ सरकार को स्थानीय निवासियों के मूलभूत अधिकार को ध्यान में रखकर उनको भी सामाजिक नागरिक होने का अधिकार मुहैया करावे, जिनके शौचालय नहीं है, वो खुले में शौच करने में मजबूर रहे। कृ पया हमारी सुविधाओ का भी ध्यान दिलावे।	सम्पूर्ण कुम्भलगढ़ दुर्ग पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवम् अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 तथा संबद्ध नियम, 1959 लागु होते है। कुम्भलगढ़ किले की प्राचीर के भीतर अवस्थित सम्पूर्ण भू–भाग उपरोक्त स्मारक का संरक्षित क्षेत्र है तथा पूर्वकथित अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग किसी अन्य रीति से नहीं किया जा सकता, जिसके अंतर्गत किसी भी नवनिर्माण पर पाबंदी भी समाहित है।
	श्री मकबूल खां	
01	ग्राम किला कुम्भलगढ़ के खसरा नंबर 591 से 595 की भूमि हमारे परिवार द्वारा 1970 के दशक में क्रय की गई थी, परन्तु जमीन शिकमी कास्तकार वर्ग की होने के कारण नामांतरण नहीं हो सका।	राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण (म्युटेशन) संबंधी कार्यवाही सक्षम राजस्व प्राधिकारियों के अधिकार–क्षेत्र का मामला है। इसके अतिरिक्त, जमीन के मालिकाना हक पर किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा ही विधिसम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है। किसी भूखण्ड के वास्तविक हकदार का निर्धारण किया जाना समिति के कार्यक्षेत्र के दायरे में नहीं है।

	हमारे द्वारा इस संबंध में एक पत्र एसडीएम महोदय, कुम्भलगढ़ को सौंपा गया है तथा पत्र के साथ उन्हें रजिस्ट्री के कागजात, स्टाम्प आदि की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराई गई है। कृपया जमीन का मुआवजा हमें दिया जाए।	
	श्री यासीन खां	
01	दुर्ग के भीतर पीढियों से रह रही आबादी को समस्त मूलभूत आवश्यकता जैसे शौचालय की व्यवस्था आदि सरकार उपलब्ध कराए।	सम्पूर्ण कुम्भलगढ़ दुर्ग पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवम् अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 तथा संबद्ध नियम, 1959 लागु होते है। कुम्भलगढ़ किले की प्राचीर के भीतर अवस्थित सम्पूर्ण भू–भाग उपरोक्त स्मारक का संरक्षित क्षेत्र है तथा पूर्वकथित अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग किसी अन्य रीति से नहीं किया जा सकता, जिसके अंतर्गत किसी भी नवनिर्माण पर पाबंदी भी समाहित है।
	श्री रफीक मोहम्मद शेख	
01	वास्तविक मूल्य भुगतान से परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी।	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) के उपबंध 26 में भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा धारा 30(2) में उल्लेखित प्रथम अनुसूची के प्रावधानानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो भी प्रतिकर निश्चित किया जाएगा, वह भूमि से आशय रखने वाले विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा देय होगा।
	श्री इब्राहीम शेख	
01	भूमि अधिग्रहण की स्थिति में वर्तमान भूमि दर से वास्तविक मूल्य का भुगतान रिकॉर्ड में अंकित हिस्से के अनुसार दिया जाने हेतु निवेदन है।	समिति के कार्यक्षेत्र के दायरे में नहीं है।
	सर्व श्री मोहम्मद युसूफ व लियाकत अली	
01	यह है कि इस खातेदारी जमीन के चले जाने से हमारे को नुकसान होगा। हमारी आमदनी में कमी आएगी, इसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इसका रास्ता यह है कि हमें जमीन के बदले जमीन दी जाए अथवा हमारे परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी	चुकि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन मौके पर खाली है तथा किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, अतः इस मामले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) की धारा 31(1), 38(1) व 105(3) में वर्णित द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि के बदले जमीन, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और परियोजना आय में हिस्सेदारी की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। RFCTLARR Act, 2013 के उपबंध 26 में भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा धारा 30(2)

	जाए अथवा जिस कार्य के लिए हमारी जमीन अवाप्त की जा रही है उसमें हमारी हिस्सेदारी रखी जाए अथवा हमको अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। हम इस जमीन पर वर्ष दो बार फसल बोते है।	में उल्लेखित प्रथम अनुसूची के प्रावधानानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो भी प्रतिकर निश्चित किया जाएगा, उसकी अदायगी के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग प्रतिबद्ध है।
02	सुझाव यह है कि इस जमीन के हिस्से सही तरीके से किए जाए। (1) मोहम्मद (2) इब्राहीम (3) हसन अली (4) गफूर मोहम्मद (5) अल्लाउद्दीन (6) अजीज मोहम्मद (7) अमीर मोहम्मद (8) पुत्रियों का हिस्सा	समिति के कार्यक्षेत्र के दायरे में नहीं है।

A

सर्वेक्षण प्रपत्र–क

(केवल हितधारको के लिए)

नमस्कार। कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ़ की निजी खातेदारी की भूमि (हल्ला पोल से बादशाही बावड़ी के मध्य) का अधिग्रहण प्रस्तावित है। उक्त प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण समिति को आपकी बहुमूल्य राय की आवश्यकता है, जिसका उपयोग समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु किया जाएगा। इस परियोजना तथा भूमि अधिग्रहण पर किसी भी प्रकार के मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार अथवा सुझाव की जानकारी प्रपत्र–घ पर दी जा सकती है, जो सर्वेक्षण दल के सदस्य के पास उपलब्ध है। आपको यह सर्वे फॉर्म भरने में कुछ ही मिनट का समय लगेगा। आपके कीमती समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।

1) नाम ...कालू लाल आमेरा... 2) उम्र ...40 वर्ष...

3) लिंग ...पुरुष... 4) संपर्क नम्बर ...[illegible]...

5) पता ...किला - कुंभलगढ़...

6) जाति ...ब्राह्मण... 7) धर्म ...हिन्दू...

8) शिक्षा ...M.A.... 9) परिवार के कुल सदस्यों की संख्या ...05...

10) आपके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा –

क्रम संख्या	नाम	उम्र	स्थिति
1.	कालू लाल आमेरा	40 वर्ष	स्वयं
2.	श्रीमति ममता आमेरा	38 वर्ष	पत्नी
3.	सुश्री सुनिधि आमेरा	18 वर्ष	पुत्री
4.	श्री पुनित आमेरा	15 वर्ष	पुत्र
5.	श्री पंकज आमेरा	15 वर्ष	पुत्र

11) वर्ग/श्रेणी –

( ) अल्पसंख्यक ( ) अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जनजाति

( ) अन्य पिछड़ा वर्ग (✓) सामान्य

12) आप वर्तमान पते पर कब से निवास कर रहे है – ...40 वर्ष (जन्म)... (साल)

13) क्या आप बीपीएल कार्ड धारक है –

( ) हाँ (✓) नहीं

14) यदि आप निम्नलिखित में से एक है, तो चयन करे –

( ) महिला ( ) वरिष्ठ नागरिक ( ) दिव्यांग

15) आपके परिवार का मुखिया (गृहस्थी का प्रधान) कौन है –

( ) महिला (✓) पुरुष

पृष्ठ 1/3

16) आपके परिवार के मुखिया से आपका संबंध – स्वयं

( ) पुत्र ( ) पुत्री ( ) माता ( ) पिता ( ) पति ( ) पत्नी ( ) रिश्तेदार/अन्य

17) आपके रोजगार की स्थिति –

( ) नौकरीपेशा ( ) बेरोजगार ( ) विद्यार्थी (✓) व्यवसायी ( ) अन्य

18) आपके परिवार की आमदनी का प्रमुख साधन ....व्यापार (प्रलेख लेखक)........

19) आपके परिवार की आमदनी का कोई अन्य स्रोत ......खेती, मजदूरी........

20) आपके परिवार की वार्षिक आय लगभग कितनी है –

( ) ₹1,00,000/– से कम (✓) ₹1,00,000/– से ₹1,50,000/– तक

( ) ₹1,50,000/– से ₹3,00,000/– तक ( ) ₹3,00,000/– से ₹6,00,000/– तक

21) भूमि अवाप्ति से आपके कुटुंब की वार्षिक आय पर कितने प्रतिशत तक प्रभाव पड़ेगा –

( ) 20% से कम ( ) 20% से 40% (✓) 40% से 60% ( ) 60% से अधिक

22) आपके परिवार में महिलाओं की क्या स्थिति है –

( ) चिंताजनक (✓) साधारण ( ) सम्मानजनक

23) क्या आपके कुटुंब में कोई कामकाजी महिला है –

( ) हाँ (✓) नहीं यदि हाँ, तो उनकी संख्या ....

24) आप समाज में स्थिति के अनुसार अपने परिवार को किस वर्ग के अंतर्गत मानते हैं –

( ) अत्यंत गरीब ( ) गरीब (✓) निम्न मध्यम वर्ग ( ) मध्यम वर्ग ( ) धनवान

25) अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि का उपयोग आप वर्तमान में किस प्रकार कर रहे है –

( ) उपयोग में नहीं ( ) चारागाह (✓) कृषि ( ) नर्सरी ( ) पशुपालन ( ) अन्य

26) क्या अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि में इनमें से कोई निजी आस्तियां विधमान है –

( ) बोरवेल ( ) कुआं ( ) हैंडपंप ( ) टयूबवेल

27) अन्य संपत्ति स्वामित्व का विवरण (प्रभावित भूमि के अलावा) –

( ) कृषि भूमि (✓) घर/मकान ( ) दुकान ( ) अन्य ....

28) अन्य घरेलू संपत्ति का विवरण –

(✓) टेलीविजन (✓) फ्रीज ( ) वाशिंग मशीन (✓) कम्प्यूटर ( ) लैपटॉप
( ) एयरकंडीशनर ( ) दुपहिया गाड़ी ( ) चौपहिया वाहन

29) क्या आप दिनांक 08.08.19 को स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में आयोजित जन सुनवाई में उपस्थित थे –

(✓) हाँ ( ) नहीं

30) आपके निवास स्थान से विद्यालय कितनी दूरी पर स्थित है –

(✓) 02 किलोमीटर के भीतर ( ) 02 से 05 किलोमीटर ( ) 05 किलोमीटर से ज्यादा

31) आपके निवास स्थान से स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी दूरी पर स्थित है –

( ) 02 किलोमीटर के भीतर ( ) 02 से 05 किलोमीटर (✓) 05 किलोमीटर से ज्यादा

32) आपके निवास स्थान से आंगनबाड़ी केन्द्र कितनी दूरी पर स्थित है –

( ) 02 किलोमीटर के भीतर (✓) 02 से 05 किलोमीटर ( ) 05 किलोमीटर से ज्यादा

33) आपके निवास स्थान से लोक वितरण केन्द्र (सरकारी राशन की दुकान) कितनी दूरी पर स्थित है–

( ) 02 किलोमीटर के भीतर (✓) 02 से 05 किलोमीटर ( ) 05 किलोमीटर से ज्यादा

पृष्ठ 2/3

34) आपके क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण और स्वास्थ्य, वरिष्ठ नागरिकों तथा निःशक्तजनों के कल्याण, जनहित आदि के कार्यो में क्रियाशील सिविल सोसाइटी संगठनों के नाम बताए –

– कोई नही –

35) क्षेत्र में स्थानीय लोगो की आय का प्रमुख स्रोत क्या है –

( ) खेती–बाड़ी ( ) होटल/रेस्टोरेंट व्यवसाय (✓) नौकरी ( ) व्यापार ( ) अन्य

36) क्षेत्र में स्थानीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है –

( ) चिंताजनक (✓) साधारण ( ) सम्मानजनक

37) क्षेत्र में स्थानीय लोगो के जीवन निर्वाह का क्या स्तर है –

( ) दयनीय (✓) साधारण ( ) अच्छा ( ) बहुत अच्छा

38) नीचे उल्लेखित तालिका में परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पूर्वानुमान का उल्लेख है। कृपया प्रत्येक पंक्ति में अंकित दो विकल्पों की तुलना करके किसी एक का चयन करे –

सकारात्मक पूर्वानुमान	(✓) का निशान लगाए	नकारात्मक पूर्वानुमान	(✓) का निशान लगाए
पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि	✓	कृषि भूमि का नुकसान	
स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी	✓	खातेदारों को आय में हानि	
यातायात व्यवस्था के अनुकूल		पर्यावरण को क्षति	✓

39) पूर्वानुमान के अनुसार नीचे उल्लेखित दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करे –

(✓) उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध होंगे।

( ) उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध नहीं होंगे।

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा समिति को भूमि अधिग्रहण के सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण के लिए सर्वे हेतु दी गई। उक्त जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक 17/09/2019

(हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान)

—— —— ——

(केवल समिति के उपयोग के लिए)

सर्वे दल के सदस्य का नाम देवदत्त दुबे संपर्क नम्बर 9456500676

पदनाम सर्वेक्षक प्रथम श्रेणी कार्यालय का॰ भू॰ सं॰ जोधपुर मण्डल

1) यदि उपरोक्त व्यक्ति ने स्वंय फॉर्म नहीं भरा है, तो उसका कारण – (✓) लागु नहीं

( ) निरक्षर ( ) दिव्यांग ( ) वृद्धावस्था ( ) लिखने में असमर्थ ( ) अस्वस्थ

2) पूर्वकथित बिन्दु संख्या 1 लागु होने की दशा में क्या उपरोक्त व्यक्ति को उद्घोषणा तथा प्रारूप–घ की उपलब्धता के बारे में बताया गया –

( ) हाँ ( ) नहीं (✓) लागु नहीं

(सर्वे दल के सदस्य के हस्ताक्षर) पृष्ठ 3/3

सर्वेक्षण प्रपत्र–घ

कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ़ की निजी खातेदारी की भूमि (हल्ला पोल से बादशाही बावड़ी के मध्य) का अधिग्रहण प्रस्तावित है। उक्त विषय पर आप अपने मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार अथवा सुझाव की जानकारी इस प्रपत्र पर लिखित रूप में सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण समिति को दे सकते है। आपके कीमती समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।

1. भूमि अर्जन मुआवजा राशि ग्राम केलवाडा की सडक के सरमा विकसित भूमि की डी. एल. सी. राशि को आधार मान कर दिलाया जावे।
2. अर्जित की जाने वाली जमीन के पास पड़ी अन्य मेरी जमीन को विकसित करने की अनुमति प्रदान कराई जावे।
3. अर्जित भूमि पर किए जाने वाले विकास कार्यो में हम खातेदारों की भागीदारी सुनिश्चित किया जावे।
4. भविष्य में उसमें होने वाले क्रिया-कलापों में हमे वरियता प्रदान की जावे।
5. मौजा किला-कुंभलगढ़ की आराजी नंबर 578 नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम दर्ज होकर हम पुजारी होकर उपयोग कर रहे, जिसे पूर्ववत स्थिति कायम रखी जावे।
6. पेड-पौधो का नियमानुसार मुआवजा दिलाया जावे।

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा समिति को भूमि अधिग्रहण के सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण के लिए सर्वे हेतु दी गई। उक्त जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक 17/09/2019

कालूलाल आमेटा
(हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान)

----- ----- -----

(केवल समिति के उपयोग के लिए)

सर्वे दल के सदस्य का नाम देवधर दूबे संपर्क नम्बर 9456500676
पदनाम सर्वेक्षक प्रधान श्रेणी कार्यालय भा. पु. स. जोधपुर मण्डल

1) यदि उपरोक्त व्यक्ति ने स्वंय फॉर्म नहीं भरा है, तो उसका कारण – (✓) लागु नहीं

( ) निरक्षर ( ) दिव्यांग ( ) वृद्धावस्था ( ) लिखने में असमर्थ ( ) अस्वस्थ

2) पूर्वकथित बिन्दु संख्या 1 लागु होने की दशा में क्या उपरोक्त व्यक्ति को उदघोषणा पढ़कर बता दी गई –

( ) हाँ ( ) नहीं (✓) लागु नहीं

देवधर
(सर्वे दल के सदस्य के हस्ताक्षर)

पृष्ठ 1/1

हितधारक श्री कालू लाल आमेटा द्वारा भरा गया सर्वेक्षण प्रपत्र–क तथा घ

(निजता बनाए रखने के लिए संपर्क नंबर तथा संपत्ति विवरण हटा दिए गए है)

सर्वे प्रक्रिया में 05 पर्यटकों एवम् 16 स्थानीय निवासियों द्वारा उनके मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार और सुझाव लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र–घ भरा गया था, जिन्हें समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया तथा इन प्रपत्रों में इंगित सुझावों और आपत्तियों में से कई बिन्दु भूमि अधिग्रहण तथा प्रस्तावित परियोजना से संबंधित ना होकर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के विभागीय कार्यो से संबद्ध है, जबकि कुछ मांगे अन्य शासकीय विभागों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। इस बारे में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि भूमि का अर्जन नियमानुसार हो जाता है, तो उस दशा में परियोजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देते समय भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण उन सुझावों पर नियमानुसार विचार करे, जिन्हें सम्मिलित करके कार्ययोजना को सीधे तौर पर और अधिक लोककल्याणकारी बनाया जा सकता है। परियोजना से इतर सुझावों और आपत्तियों के संबंध में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा उनके विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल द्वारा समिति को सूचित किया गया है कि जो बिन्दु प्रस्तावित योजना से संबद्ध है, उन पर उच्च स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त करके बजट तथा जगह की उपलब्धता के अनुसार परियोजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देते समय विचार किया जाएगा।

पर्यटक		
क्रम संख्या	नाम एवं पता	सुझाव/आपत्ति का संक्षिप्त विवरण
01	श्री विजय कुमार डीग, भरतपुर	नेटवर्क की समस्या। यातायात सुविधा टैक्सी/ ई–रिक्शा की सुविधा। रोप–वे की व्यवस्था।
02	श्री जयसिंह आमेर रोड, जयपुर	भवनों के द्वार पर उनके बारे में लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। कटारगढ़ में पानी की व्यवस्था।
03	श्रीमती राजराजेश्वरी उपाध्याय अम्बाबाड़ी, जयपुर	सरकारी कैंटीन का आभाव। कचरा फैलाने वाले पर्यटकों पर निगरानी जरुरी। प्राचीन पेयजल सोत्र (बावड़ी) की सफाई आवश्यक। महलों का लघु इतिहास साइन बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। कटारगढ़ से अनावश्यक सामग्री हटाई जाए। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और कटारगढ़ को सुव्यवस्थित किया जाए। जैयवन्ता बाई, उदयसिंह, महाराणा कुम्भा, बाल प्रताप के वास्तविक छविचित्र लगाए जाए।
04	श्री कमलेश कुमार वैष्णव किशनगढ़	राजकीय स्कूल के विधार्थियों के लिए निशुल्क गाइड की व्यवस्था। बंद कक्षों को खुलवाया जाए।
05	श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत राजसमन्द	दुर्ग के ऊपरी भाग में पीने के पानी, प्राथमिक सुविधाएं, सुलभ शौचालय की व्यवस्था।

स्थानीय निवासी		
क्रम संख्या	नाम एवं पता	सुझाव/आपत्ति का संक्षिप्त विवरण
01	श्री घिसा सिंह गामड़ी	स्थानीय लोगो को वहाँ दुकाने उपलब्ध कराए।
02	श्री प्रवीण सोनी महाराणा प्रताप मार्ग निकट वाया लाखेला	किले से पार्किंग न्यूनतम दुरी पर होनी चाहिए। पार्किंग से दुर्ग तक इको–फ्रेंडली वाहन जैसे ई–रिकशा, साइकिल, ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी की व्यवस्था। पार्किंग में लाइट, पानी, बैठने और टॉयलेट की व्यवस्था हो। स्थानीय दुकानदार लगातार पर्यटकों को लूट रहे है, अतः कुछ दुकानों की व्यवस्था की जाए।
03	श्री विजय दामनी होटल देवी पैलस, केलवाड़ा	पार्किंग में साफ–सफाई, लाइट, पानी, बैठने, टॉयलेट और व्हीलचेयर की व्यवस्था हो।
04	श्री श्याम कुमार केलवाड़ा	पार्किंग में आने–जाने की सुविधा, जल–पान हेतु रेस्टोरेंट, पीने का पानी, वाटर कूलर, टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था हो।
05	श्री पवन कुमार शर्मा होटल पैराडाइज, कुम्भलगढ़	पार्किंग में लाइट, शुद्ध पीने का पानी, व्हीलचेयर और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हो। पार्किंग से किले तक जाने के साधन जरुरी।
06	श्री भारत आमेटा कुम्भलगढ़	पार्किंग से किले तक दिव्यांगो को लाने ले–जाने हेतु दो–तीन इलेक्ट्रिक गाड़ी की व्यवस्था। सार्वजनिक टॉयलेट की व्यवस्था। हल्लापोल पर नया प्रवेश मार्ग बनाया जाए, जिससे सभी बस पार्किंग तक जाया करे।
07	श्री शूरवीर सिंह झाला ग्राम ओलादार	लपको पर कार्यवाही। दिव्यांगो और वृद्धजन के सुविधाएं. लाईसेंस–शुदा गाइड की व्यवस्था। पानी, टॉयलेट, सीसी टीवी की व्यवस्था। स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए। दुर्ग के खाली कक्षों में म्यूजियम बनाया जाए। महाराणा प्रताप के कक्ष को खुला रखा जाए। ट्रेफिक पुलिस लगाए। विजय पोल से गाँव के लिए अलग रास्ता बनाए।
08	श्री जितेन्द्र दान होटल गढ़ कुम्भा, कुम्भलगढ़	पार्किंग व्यवस्थित हो। पार्किंग में छाया, जल, टॉयलेट की व्यवस्था हो। किले के पास म्यूजियम और सरकारी सामान खादी की दुकान हो। खराब रोड ठीक कराए।
09	श्री सुनील कुमार मोदी कांकरोली, राजसमन्द	वृद्धजन, दिव्यांगो, बच्चो को लाने ले–जाने और रास्ते में विश्राम की सुविधा हो। पानी, टॉयलेट की व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था।
10	श्री शंकर सैन निकट खेतपाल जी मंदिर, केलवाड़ा	हल्ला पोल से आगे बड़े वाहन (बस) ले जाने के लिए सड़क चौड़ी की जाए। स्थानीय लोगो का टिकट शुल्क नहीं लगना चाहिए।
11	श्री सुरेश चन्द्र बायती बालाजी किराना स्टोर, केलवाड़ा	कुम्भलगढ़ तक फोर–लेन हाई–वे बनाया जाए। पर्यटकों को ठहरने के लिए बजट अनुसार किराए के कमरे की व्यवस्था। फर्जी गाइड, लपको पर कार्यवाही। दुर्ग के भीतर पवित्र स्थानों पर शराब सेवन पर पाबन्दी। मार्गो पर सड़क संकेत, रोड साईनेज लगवाए। केलवाडा से कुम्भलगढ़ दुर्ग तक की सड़क का दुरुस्तीकरण और खतरनाक मोड़ो पर सुरक्षा दीवार की मांग।
12	श्री सोहन सिंह शिव शक्ति किराना स्टोर, केलवाड़ा	केलवाड़ा से कुम्भलगढ़ दुर्ग तक की सड़क की मरम्मत, समस्त खातेदारों को व्यवसाय हेतु कुछ फीट भूमि वही उपलब्ध कराए। पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान।
13	श्री हरीश सुथार धंगलाया, केलवाड़ा	स्थानीय लोगो से दुर्ग में प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाए। पर्यटकों की सुरक्षा और मंदिरों की पवित्रता हेतु व्यवस्था।

14	श्री कमलेश सिंह चौहान आजाद चौक, केलवाड़ा	पार्किंग स्थल में टॉयलेट और पानी की व्यवस्था। दुर्ग में स्थानीय कैंटीन की व्यवस्था। कुम्भलगढ़ चौराहे से दुर्ग की पार्किंग तक डबल रोड और हेलोजीन लाइट की व्यवस्था। किले में सरकारी दरो पर गाइड उपलब्ध कराए। दुर्ग के भीतर के दुकानदारों के मनमाने रेट लेने पर रोक लगाई जाए।
15	श्री मनीष कुमार नागोरी केलवाड़ा	देशी पर्यटको को दुर्ग में निशुल्क प्रवेश देने अथवा टिकट रेट को कम करने की मांग।
16	श्री मोहन लाल व्यास ब्रह्मपुरी, केलवाड़ा	कुम्भलगढ़ के समस्त पहुच मार्गो का दुरुस्तीकरण। उदयपुर, चारभुजा और राजसमन्द से यातायात की सुविधा की मांग। चारभुजा से केलवाडा के लिए राज्य परिवहन की बसे चलाने की मांग।

पंचायत कार्यालय, केलवाड़ा में लोग सर्वेक्षण प्रपत्र भरते हुए

/

सर्वेक्षण प्रपत्र–ख

(केवल पर्यटकों के लिए)

नमस्कार। कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ़ की निजी खातेदारी की भूमि (हल्ला पोल से बादशाही बावड़ी के मध्य) का अधिग्रहण प्रस्तावित है। उक्त प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण समिति को आपकी बहुमूल्य राय की आवश्यकता है, जिसका उपयोग समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु किया जाएगा। इस परियोजना तथा भूमि अधिग्रहण पर किसी भी प्रकार के मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार अथवा सुझाव की जानकारी प्रपत्र–घ पर दी जा सकती है, जो सर्वेक्षण दल के सदस्य के पास उपलब्ध है। आपको यह सर्वे फॉर्म भरने में कुछ ही मिनट का समय लगेगा। आपके कीमती समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।

1) नाम राजराजेश्वरी उपाध्याय .... 2) उम्र 32 ....

3) संपर्क नम्बर [illegible] .... 4) शिक्षा M.A. M.A. History B.A BA (H)

5) पता Ambabari jaipur ....

6) आप कितनी अवधि के लिए कुम्भलगढ़ के दौरे पर है 4 घंटे .... (दिन)

7) कुम्भलगढ़ में पर्यटन सुविधा के बारे में आपका अनुभव कैसा है?

( ) बुरा ( ) औसत ( ) अच्छा (✓) बहुत अच्छा

8) क्या इस सर्वे से पूर्व आपको ज्ञात था कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है –

( ) हाँ (✓) नहीं

9) यदि इस सर्वे से पूर्व आपको ज्ञात था कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, तो इसका स्रोत बताए –

( ) स्थानीय लोग ( ) एएसआई कार्मिक ( ) विज्ञप्ति ( ) अधिसूचना ( ) समाचार पत्र

10) क्या कुम्भलगढ़ दुर्ग भ्रमण के दौरान आपको वाहन पार्किंग में परेशानी हुई –

(✓) हाँ ( ) नहीं

11) क्या कुम्भलगढ़ दुर्ग भ्रमण के दौरान महसूस हुआ कि पर्यटकों के वाहनों की तुलना में पार्किंग का स्थान सीमित है –

(✓) हाँ ( ) नहीं

12) नीचे उल्लेखित तालिका में परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पूर्वानुमान का उल्लेख है। कृपया प्रत्येक पंक्ति में अंकित दो विकल्पों की तुलना करके किसी एक का चयन करे –

सकारात्मक पूर्वानुमान	(✓) का निशान लगाए	नकारात्मक पूर्वानुमान	(✓) का निशान लगाए
पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि	✓	कृषि भूमि का नुकसान	
स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी	✓	खातेदारों को आय में हानि	
यातायात व्यवस्था के अनुकूल	✓	पर्यावरण को क्षति	

पृष्ठ 1/2

13) नीचे उल्लेखित दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करे –

(✓) उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध होंगे।

( ) उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध नहीं होंगे।

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा समिति को भूमि अधिग्रहण के सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण के लिए सर्वे हेतु दी गई। उक्त जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक 20/9/19.

(हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान)

(केवल समिति के उपयोग के लिए)

सर्वे दल के सदस्य का नाम देवधर दुबे संपर्क नम्बर 9456500676

पदनाम सर्वेक्षक पुरातत्व श्रेणी कार्यालय भा॰ पु॰ स॰ जोधपुर मण्डल

1) यदि उपरोक्त व्यक्ति ने स्वंय फॉर्म नहीं भरा है, तो उसका कारण – (✓) लागु नहीं

( ) निरक्षर ( ) दिव्यांग ( ) वृद्धावस्था ( ) लिखने में असमर्थ ( ) अस्वस्थ

2) पूर्वकथित बिन्दु संख्या 1 लागु होने की दशा में क्या उपरोक्त व्यक्ति को उद्घोषणा तथा प्रारूप–घ की उपलब्धता के बारे में बताया गया –

( ) हाँ ( ) नहीं (✓) लागु नहीं

देवधर

(सर्वे दल के सदस्य के हस्ताक्षर)

पृष्ठ 2/2

सर्वेक्षण प्रपत्र–घ

कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ़ की निजी खातेदारी की भूमि (हल्ला पोल से बादशाही बावड़ी के मध्य) का अधिग्रहण प्रस्तावित है। उक्त विषय पर आप अपने मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार अथवा सुझाव की जानकारी इस प्रपत्र पर लिखित रूप में सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण समिति को दे सकते है। आपके कीमती समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।

- सरकारी कैंटीन का अभाव दृष्टिगोचर होता है, पार्किंग के साथ कैंटीन सुविधा होने से सरकारी आय में अभिवृद्धि होगी, जिससे विभाग और अधिक सुविधा प्रदान कर सकता है।
- दुर्ग में गार्ड कचरा फैलाने वाले पर्यटकों पर भी निगरानी रखें तो बेहतर होगा।
- विभाग प्राचीन पेयजल स्रोत (बावड़ी) की सफाई पर भी ध्यान दे।
- साइनबोर्ड और लगवाये जायें, जिन पर महलों का लघु इतिहास अंकित हो।
- दुर्ग निर्माता महान सम्राट महाराणा कुम्भा के निजी निवास कटारगढ़ से समस्त अनावश्यक सामग्री हटाई जाय।
- महाराणा प्रताप की जन्मस्थली एवम् कटारगढ़ को सुव्यवस्थित करके वहां पर्यटकों को मंदिर संस्कृति का अनुभव कराये जाये। जिस शूरमां ने धरती मां को अलंकृत किया उसका जन्मस्थान देवालय से कमतर नहीं है।
- जैवन्ताबाई, उदयसिंह जी, महाराणा कुंभा, बाल प्रताप के वास्तविक छविचित्र भी लगाये जा सकते है, जो विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करेंगे।

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा समिति को भूमि अधिग्रहण के सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण के लिए सर्वे हेतु दी गई। उक्त जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक 20/9/19

(हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान)
G.G.U.S. teacher

(केवल समिति के उपयोग के लिए)

सर्वे दल के सदस्य का नाम देवेन्द्र दुबे संपर्क नम्बर 9456500676

पदनाम सर्वेक्षक प्रधान श्रेणी कार्यालय भा. पु. स. जोधपुर मण्डल

1) यदि उपरोक्त व्यक्ति ने स्वंय फॉर्म नहीं भरा है, तो उसका कारण – (✓) लागु नहीं

( ) निरक्षर ( ) दिव्यांग ( ) वृद्धावस्था ( ) लिखने में असमर्थ ( ) अस्वस्थ

2) पूर्वकथित बिन्दु संख्या 1 लागु होने की दशा में क्या उपरोक्त व्यक्ति को उद्‌घोषणा पढ़कर बता दी गई –

( ) हाँ ( ) नहीं (✓) लागु नहीं

देवेन्द्र
(सर्वे दल के सदस्य के हस्ताक्षर)

पृष्ठ 1/1

पर्यटक श्रीमती राजराजेश्वरी उपाध्याय, जयपुर द्वारा भरा गया सर्वेक्षण प्रपत्र–ख तथा घ

(निजता बनाए रखने के लिए संपर्क नंबर तथा मकान संख्या को हटा दिया गया है)

(A65)

सर्वेक्षण प्रपत्र–ग

(केवल स्थानीय निवासियों के लिए)

नमस्कार। कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ़ की निजी खातेदारी की भूमि (हल्ला पोल से बादशाही बावड़ी के मध्य) का अधिग्रहण प्रस्तावित है। उक्त प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण समिति को आपकी बहुमूल्य राय की आवश्यकता है, जिसका उपयोग समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु किया जाएगा। इस परियोजना तथा भूमि अधिग्रहण पर किसी भी प्रकार के मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार अथवा सुझाव की जानकारी प्रपत्र–घ पर दी जा सकती है, जो सर्वेक्षण दल के सदस्य के पास उपलब्ध है। आपको यह सर्वे फॉर्म भरने में कुछ ही मिनट का समय लगेगा। आपके कीमती समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।

1) नाम सुरेश चन्द्र बागोती 2) उम्र 63

3) संपर्क नम्बर .... 4) शिक्षा 12 वी

5) पता बालाजी किराना स्टोर, बस स्टैण्ड, केलवाड़ा

6) क्या इस सर्वे से पूर्व आपको ज्ञात था कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है –

( ) हाँ (✓) नहीं

7) यदि इस सर्वे से पूर्व आपको ज्ञात था कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, तो इसका स्रोत बताए –

( ) स्थानीय लोग ( ) एएसआई कार्मिक ( ) विज्ञप्ति ( ) अधिसूचना ( ) समाचार पत्र

8) क्या आपको महसूस हुआ कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों के वाहनों की तुलना में पार्किंग का स्थान सीमित है –

(✓) हाँ ( ) नहीं

9) क्या आपको लगता है कि कुम्भलगढ़ दुर्ग के आस–पास अन्य कोई भूमि विकल्प के रूप में इस परियोजना हेतु उपलब्ध है –

( ) हाँ (✓) नहीं यदि हाँ, तो उसकी अवस्थिति ....

10) क्या आपको लगता है कि किसी ऐतिहासिक स्थान के समीप पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करना लोक प्रयोजन के दायरे में आता है –

(✓) हाँ ( ) नहीं

11) क्या कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने से स्थानीय लोगो की आमदनी में वृद्धि होगी –

(✓) हाँ ( ) नहीं

12) नीचे उल्लेखित तालिका में परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पूर्वानुमान का उल्लेख है। कृपया प्रत्येक पंक्ति में अंकित दो विकल्पों की तुलना करके किसी एक का चयन करे –

सकारात्मक पूर्वानुमान	(✓) का निशान लगाए	नकारात्मक पूर्वानुमान	(✓) का निशान लगाए
पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि	✓	कृषि भूमि का नुकसान	
स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी		खातेदारों को आय में हानि	✓
यातायात व्यवस्था के अनुकूल	✓	पर्यावरण को क्षति	

पृष्ठ 1/2

13) नीचे उल्लेखित दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करे –

(✓) उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध होंगे।

( ) उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध नहीं होंगे।

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा समिति को भूमि अधिग्रहण के सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण के लिए सर्वे हेतु दी गई। उक्त जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक 18/09/19

सुरेश चंद कामती

(हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान)

(केवल समिति के उपयोग के लिए)

सर्वे दल के सदस्य का नाम देवधर दुबे संपर्क नम्बर 9456500676

पदनाम सर्वेक्षक प्रथम श्रेणी कार्यालय भा. पु. स. जोधपुर मण्डल

1) यदि उपरोक्त व्यक्ति ने स्वंय फॉर्म नहीं भरा है, तो उसका कारण – ( ) लागु नहीं

( ) निरक्षर ( ) दिव्यांग ( ) वृद्धावस्था (✓) लिखने में असमर्थ ( ) अस्वस्थ

2) पूर्वकथित बिन्दु संख्या 1 लागु होने की दशा में क्या उपरोक्त व्यक्ति को उद्घोषणा तथा प्रारूप–घ की उपलब्धता के बारे में बताया गया –

(✓) हाँ ( ) नहीं ( ) लागु नहीं

देवधर

(सर्वे दल के सदस्य के हस्ताक्षर)

पृष्ठ 2/2

A-65

सर्वेक्षण प्रपत्र–घ

कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु राजस्व ग्राम किला कुम्भलगढ़ की निजी खातेदारी की भूमि (हल्ला पोल से बादशाही बावड़ी के मध्य) का अधिग्रहण प्रस्तावित है। उक्त विषय पर आप अपने मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार अथवा सुझाव की जानकारी इस प्रपत्र पर लिखित रूप में सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण समिति को दे सकते है। आपके कीमती समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।

1) फोर-लेन हाइवे से कुम्भलगढ़ दुर्ग तक सड़क को फोर-लेन बनाया जाए।
2) पर्यटकों के ठहरने हेतु उचित व्यवस्था उनकी स्थिति के अनुसार की जाए, जिससे कम किराए के कमरे उन्हे उपलब्ध हो।
3) फर्जी गाइड/ लपकों पर लगाम लगाई जाए।
4) कुम्भलगढ़ किले के भीतर मंदिरों तथा देव-स्थानों पर शराब पूर्णत: बंद होनी चाहिए।
5) पर्यटक वाहन हेतु सड़क संकेत/ रोड साइनेज मार्गों पर लगाए जाए।
6) केलवाड़ा से कुम्भलगढ़ दुर्ग तक की सड़क को दुरुस्त किया जाए तथा खतरनाक मोड़ो पर सुरक्षा दीवार बनाई जाए।

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा समिति को भूमि अधिग्रहण के सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण के लिए सर्वे हेतु दी गई। उक्त जानकारी मेरे विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक 18/09/19

सुरेश चन्द बायती
(हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान)

(केवल समिति के उपयोग के लिए)

सर्वे दल के सदस्य का नाम देवचंद दुबे संपर्क नम्बर 9456500676
पदनाम सर्वेक्षक प्रधान श्रेणी कार्यालय भा० पु० स० जोधपुर मण्डल

1) यदि उपरोक्त व्यक्ति ने स्वंय फॉर्म नहीं भरा है, तो उसका कारण – ( ) लागु नहीं
( ) निरक्षर ( ) दिव्यांग ( ) वृद्धावस्था (✓) लिखने में असमर्थ ( ) अस्वस्थ

2) पूर्वकथित बिन्दु संख्या 1 लागु होने की दशा में क्या उपरोक्त व्यक्ति को उद्घोषणा पढ़कर बता दी गई –
(✓) हाँ ( ) नहीं ( ) लागु नहीं

देवचंद
(सर्वे दल के सदस्य के हस्ताक्षर)

पृष्ठ 1/1

स्थानीय निवासी श्री सुरेश चन्द्र बायती द्वारा भरा गया प्रपत्र– ग तथा घ

(निजता बनाए रखने के लिए संपर्क नंबर हटा दिया गया है)

पर्यटकों द्वारा सर्वे के दौरान भरे गए 210 सर्वेक्षण प्रपत्र–ख तथा स्थानीय निवासियों द्वारा 427 सर्वेक्षण प्रपत्र–ग की प्रश्नावली पर व्यक्त की गई राय के प्रतिशत की गणना कर विश्लेषण तैयार किया गया तथा नतीजो के परीक्षण में यह तथ्य ध्यान में रखे गए कि पर्यटकों द्वारा अल्प अवधि के वास्तविक अनुभव के आधार पर प्रश्नावली फार्म भरे गए है। इसके ठीक विपरीत, स्थानीय लोगो द्वारा उनके दीर्घकालिक अनुभव पर आधारित राय व्यक्त की गई है।

सर्वेक्षण प्रपत्रों की प्रश्नावली में राय जानने हेतु बहु विकल्प दिए गए थे, परन्तु कुछ व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक विकल्प पर निशान लगा दिए गए, अतः प्रश्नावली के ऐसे बिन्दुओं पर व्यक्त की गई राय को विवादास्पद मानते हुए गणना में शामिल नहीं किया गया।

सर्वेक्षण प्रपत्र–ख (पर्यटकों के लिए) के प्रश्नावली फॉर्म का विश्लेषण रेखाचित्र

प्रश्न – कुम्भलगढ़ में पर्यटन सुविधा के बारे में आपका अनुभव कैसा है?

1. बुरा 2. औसत 3. अच्छा 4. बहुत अच्छा

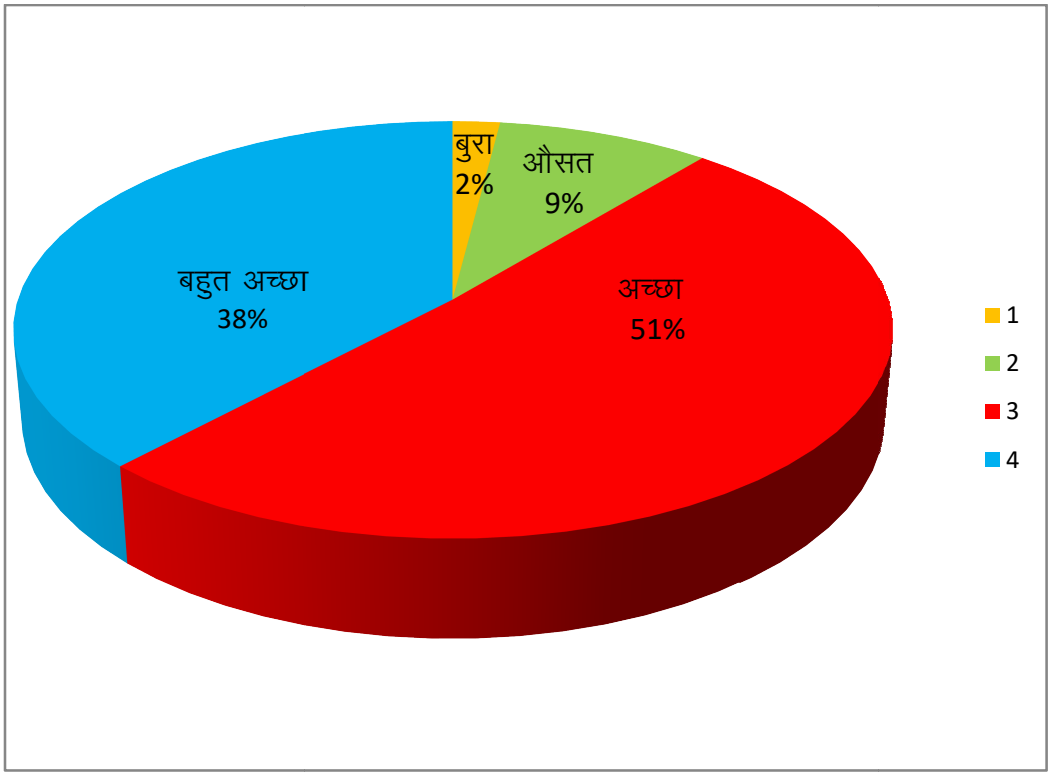

प्रश्न – क्या इस सर्वे से पूर्व आपको ज्ञात था कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है –

1. हाँ 2. नहीं

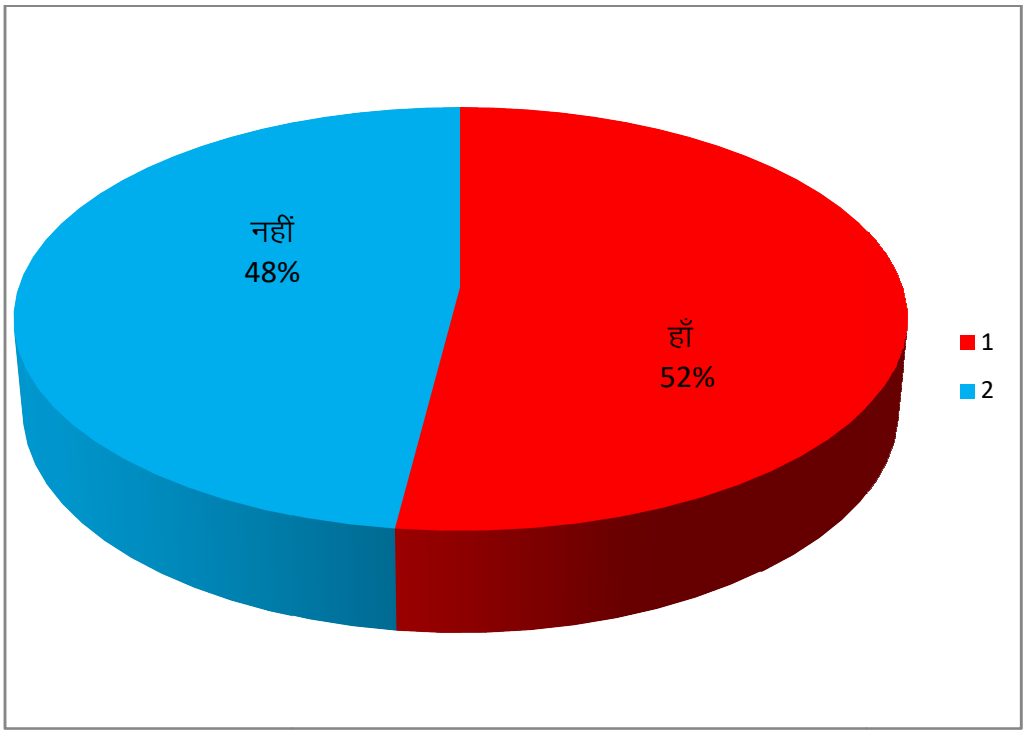

प्रश्न – यदि इस सर्वे से पूर्व आपको ज्ञात था कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, तो इसका स्रोत बताए –

1. स्थानीय लोग 2. एएसआई कार्मिक 3. विज्ञप्ति 4. अधिसूचना 5. समाचार पत्र

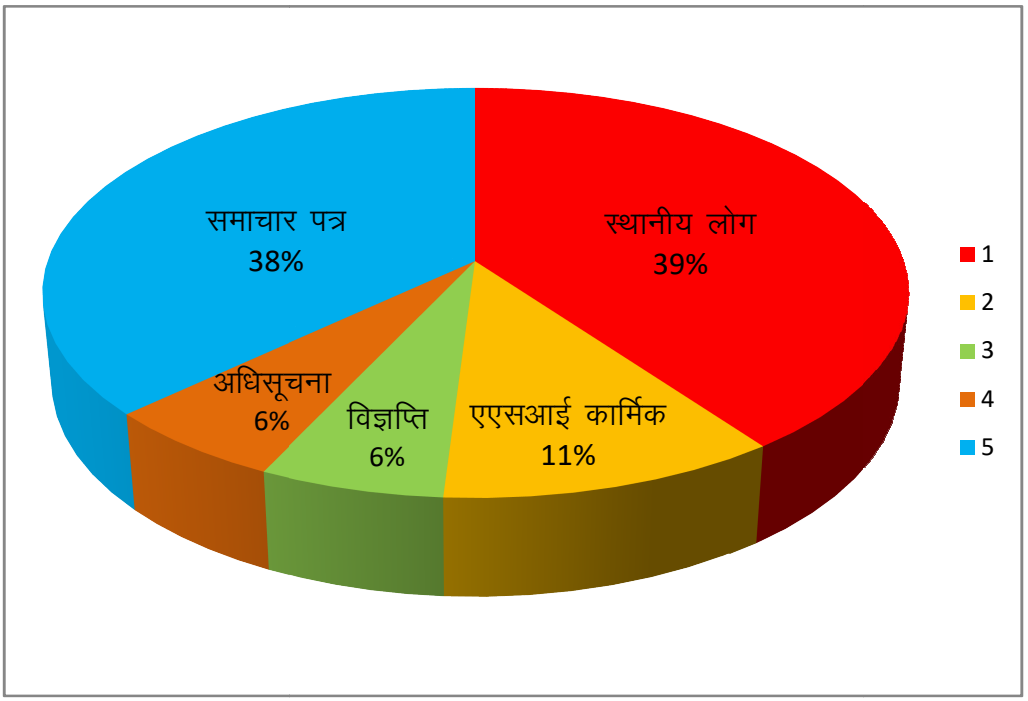

प्रश्न – क्या कुम्भलगढ़ दुर्ग भ्रमण के दौरान आपको वाहन पार्किंग में परेशानी हुई –

1. हाँ 2. नहीं

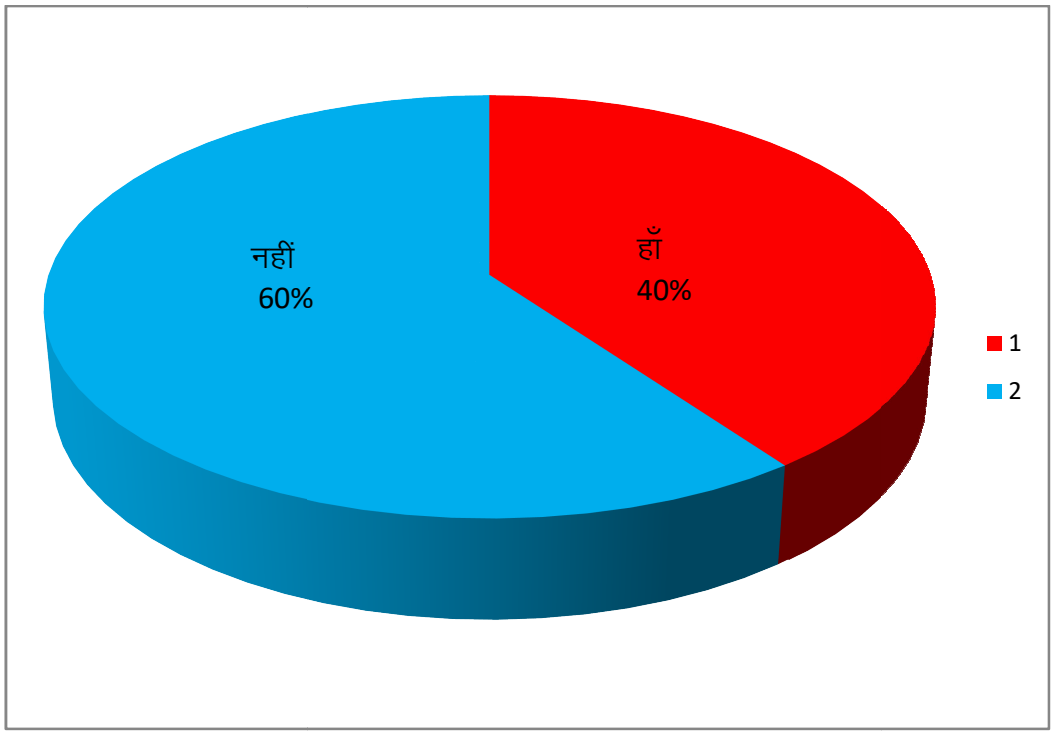

प्रश्न – क्या कुम्भलगढ़ दुर्ग भ्रमण के दौरान महसूस हुआ कि पर्यटकों के वाहनों की तुलना में पार्किंग का स्थान सीमित है –

1. हाँ 2. नहीं

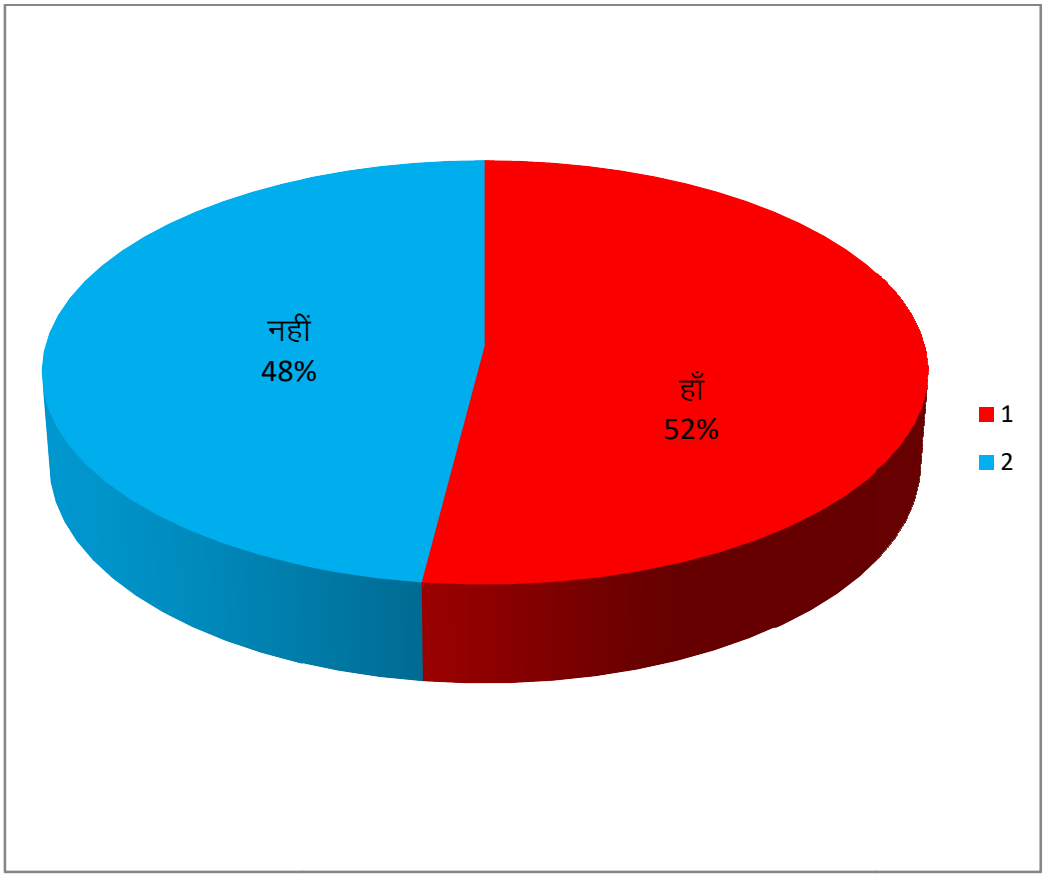

प्रश्न – नीचे उल्लेखित तालिका में परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पूर्वानुमान का उल्लेख है। कृपया प्रत्येक पंक्ति में अंकित दो विकल्पों की तुलना करके किसी एक का चयन करे –

1. पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि
2. कृषि भूमि का नुकसान

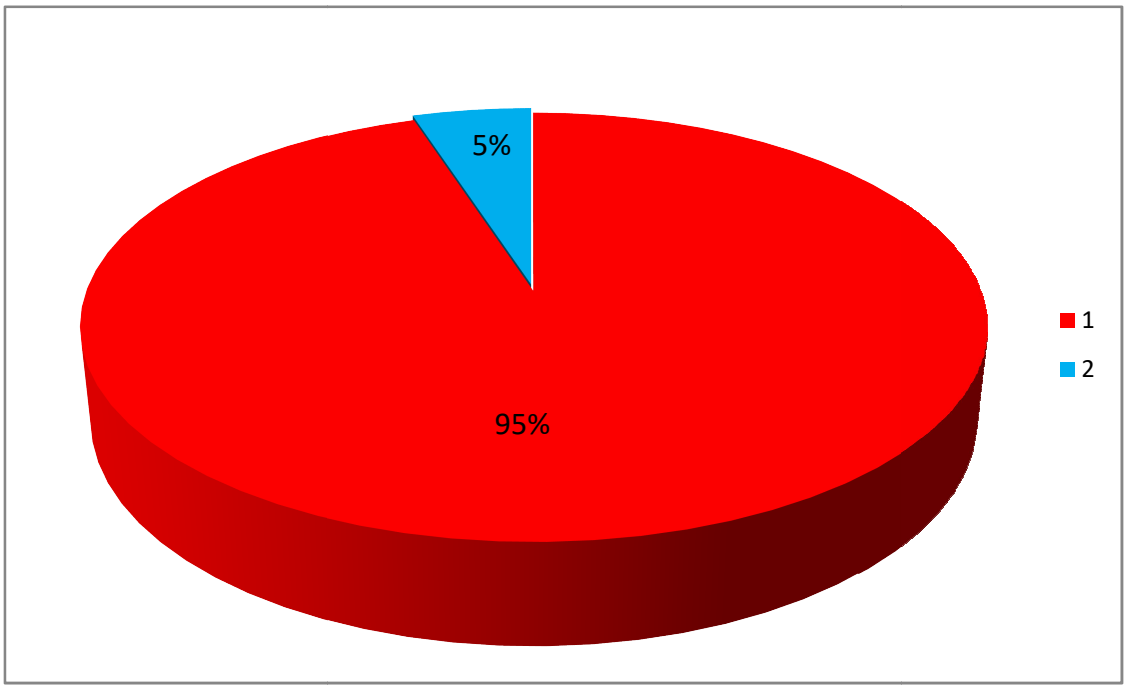

प्रश्न – नीचे उल्लेखित तालिका में परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पूर्वानुमान का उल्लेख है। कृपया प्रत्येक पंक्ति में अंकित दो विकल्पों की तुलना करके किसी एक का चयन करे –

1. स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी
2. खातेदारों को आय में हानि

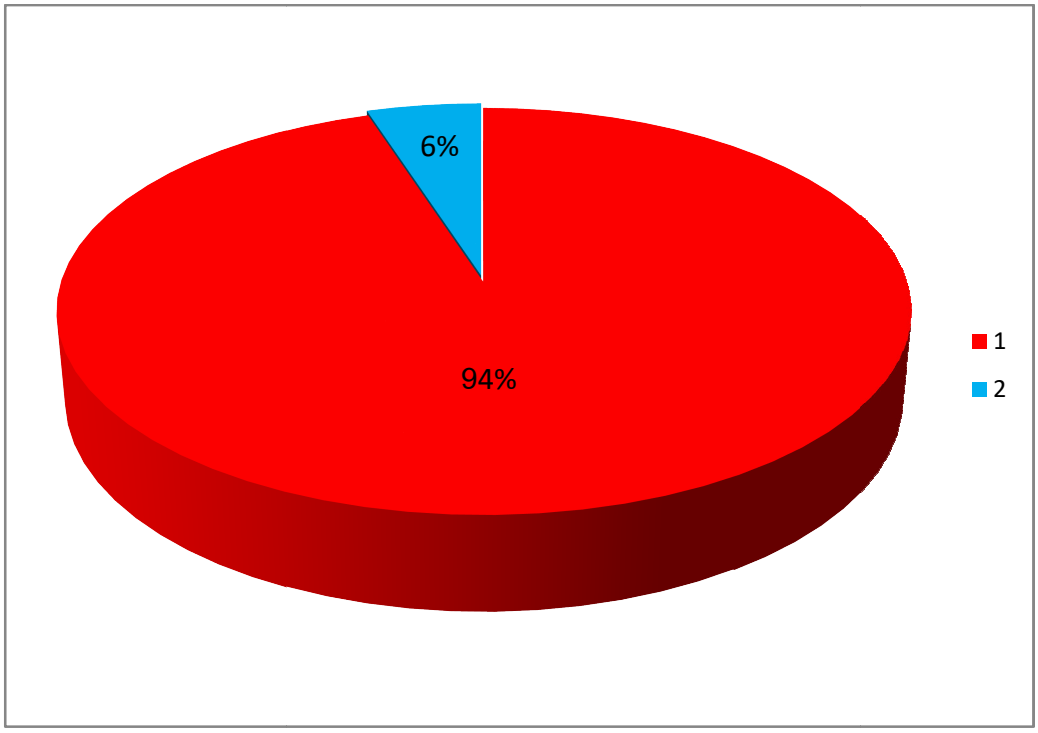

प्रश्न – नीचे उल्लेखित तालिका में परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पूर्वानुमान का उल्लेख है। कृपया प्रत्येक पंक्ति में अंकित दो विकल्पों की तुलना करके किसी एक का चयन करे –

1. यातायात व्यवस्था के अनुकूल
2. पर्यावरण को क्षति

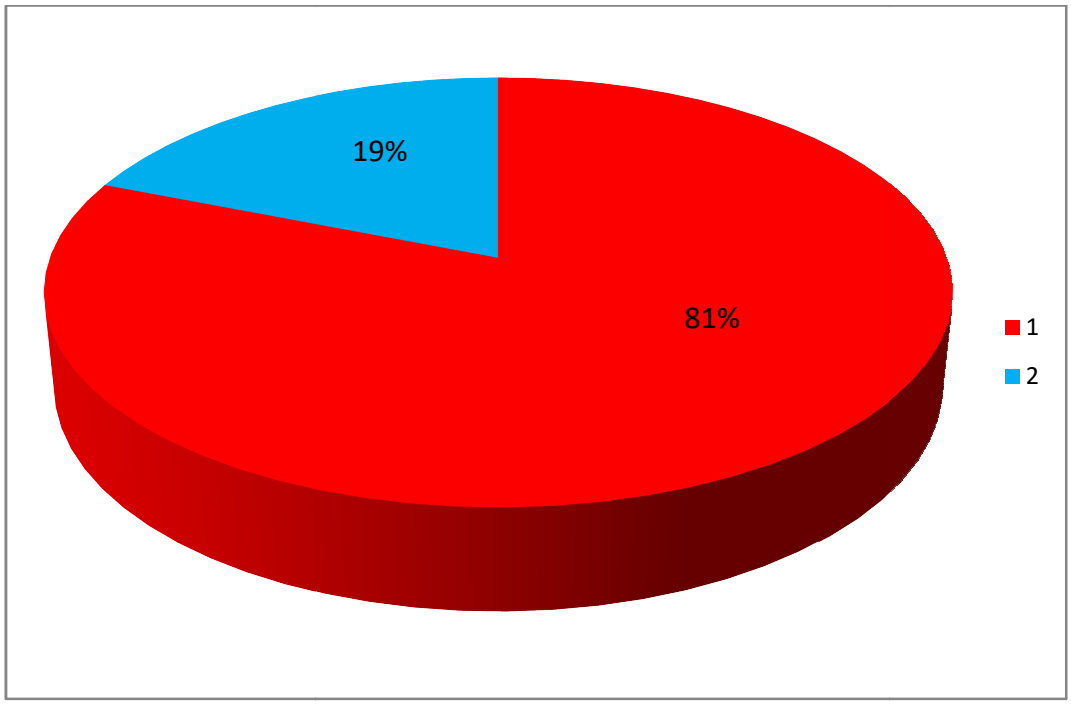

प्रश्न – नीचे उल्लेखित दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करे –

1. उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध होंगे।
2. उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध नहीं होंगे।

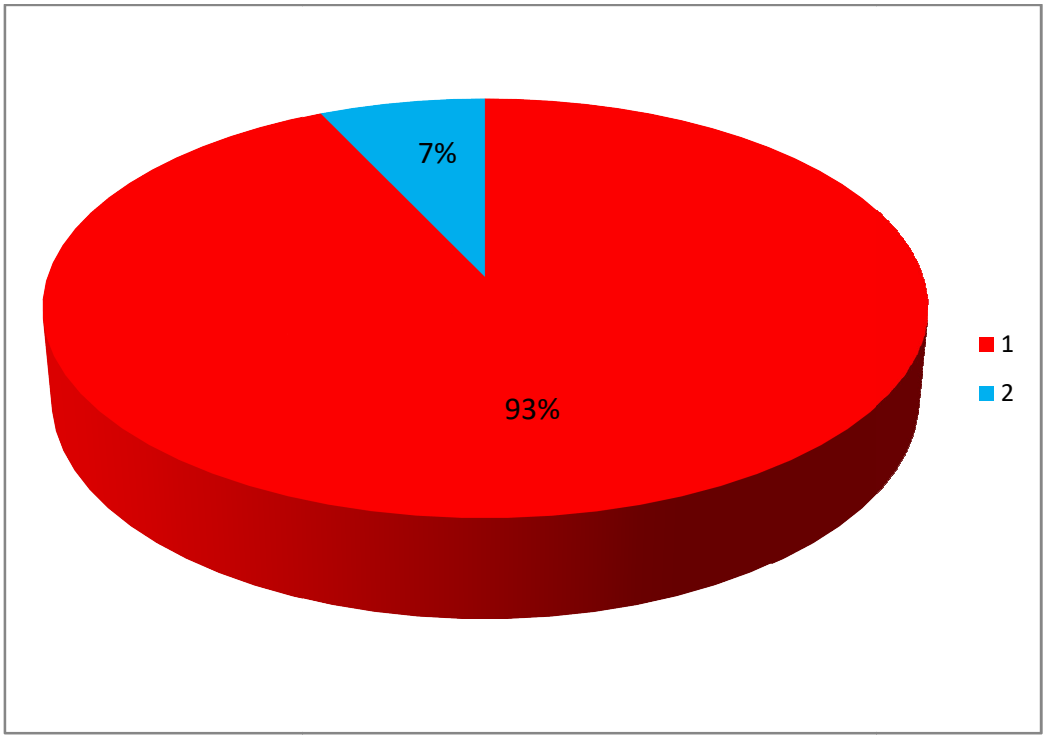

सर्वेक्षण प्रपत्र–ग (स्थानीय निवासियों के लिए) के प्रश्नावली फॉर्म का विश्लेषण

प्रश्न – क्या इस सर्वे से पूर्व आपको ज्ञात था कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है –

1. हाँ 2. नहीं

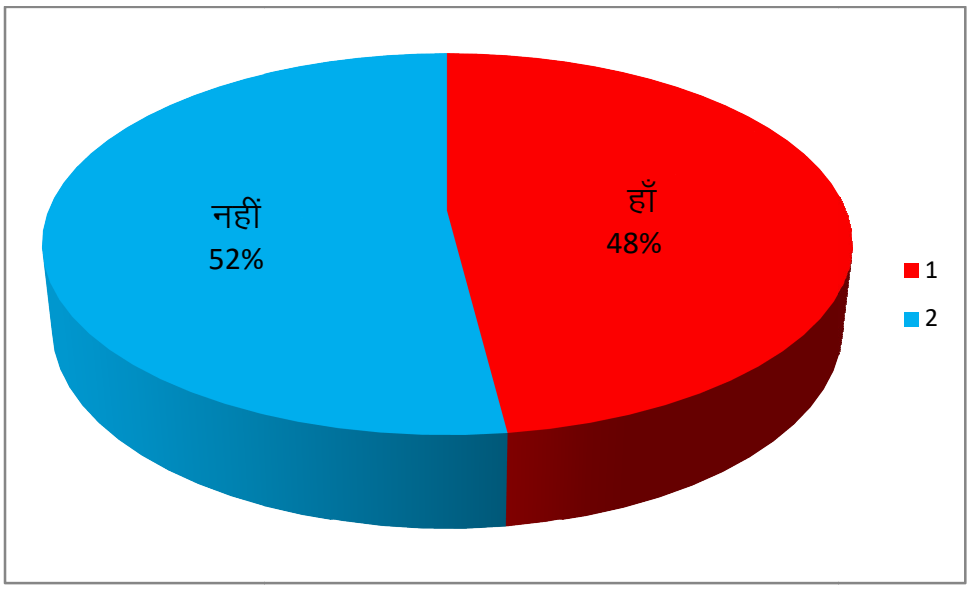

प्रश्न – यदि इस सर्वे से पूर्व आपको ज्ञात था कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, तो इसका स्रोत बताए –

1. स्थानीय लोग 2. एएसआई कार्मिक 3. विज्ञप्ति 4. अधिसूचना 5. समाचार पत्र

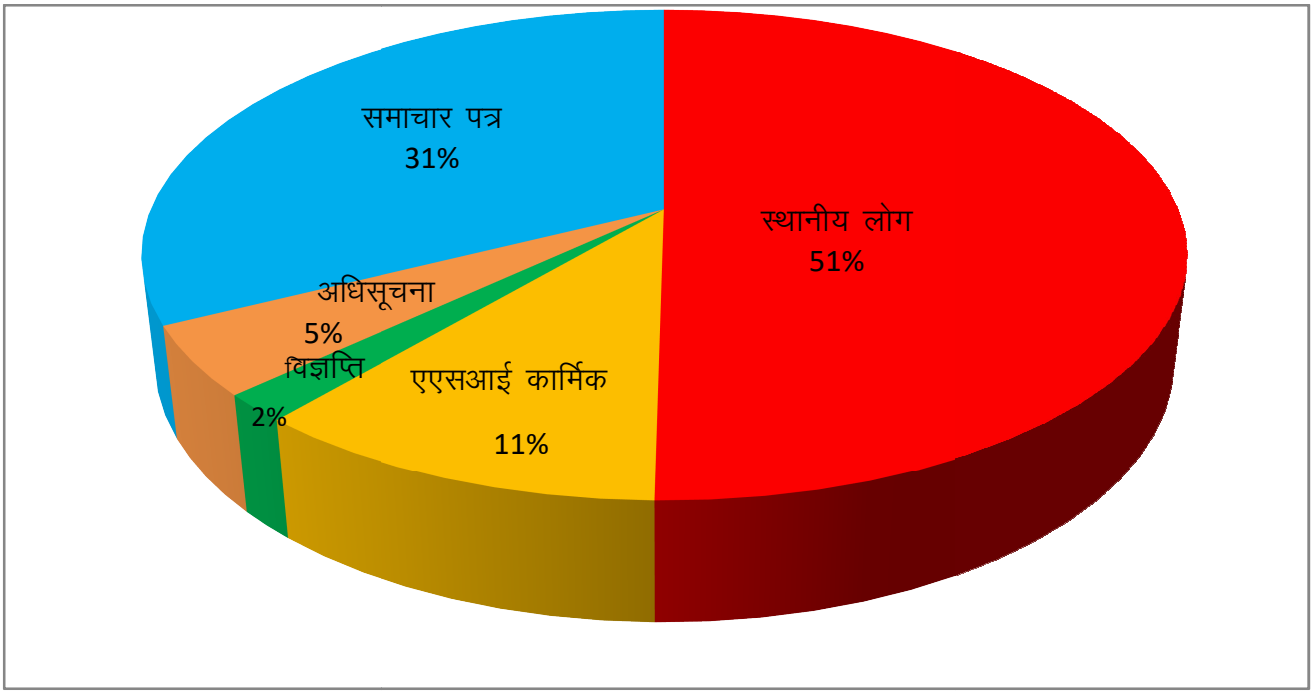

प्रश्न – क्या आपको महसूस हुआ कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों के वाहनों की तुलना में पार्किंग का स्थान सीमित है –

1. हाँ 2. नहीं

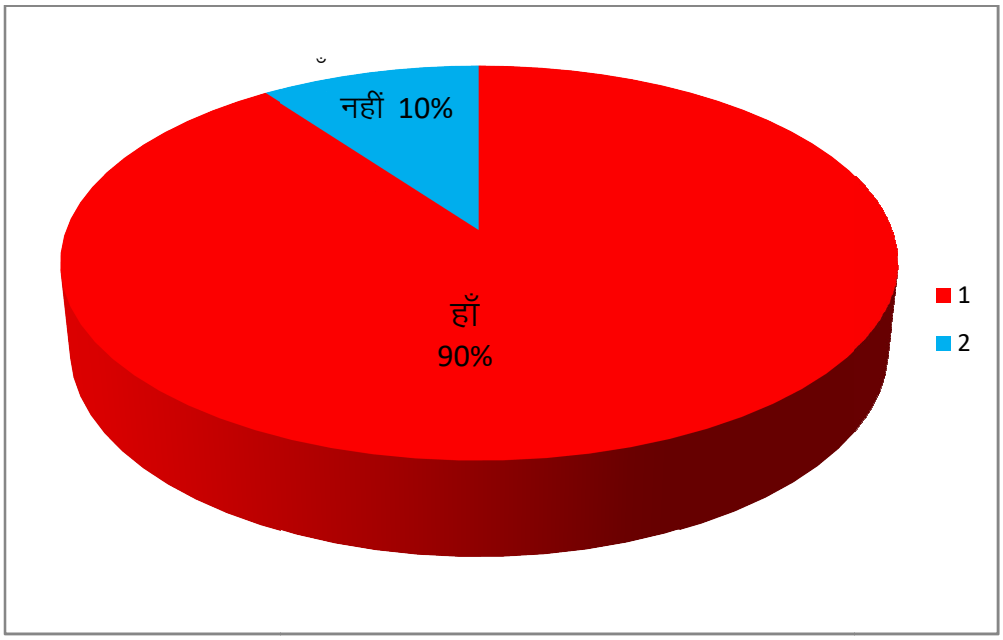

प्रश्न – क्या आपको लगता है कि कुम्भलगढ़ दुर्ग के आस–पास अन्य कोई भूमि विकल्प के रूप में इस परियोजना हेतु उपलब्ध है –

1. हाँ 2. नहीं

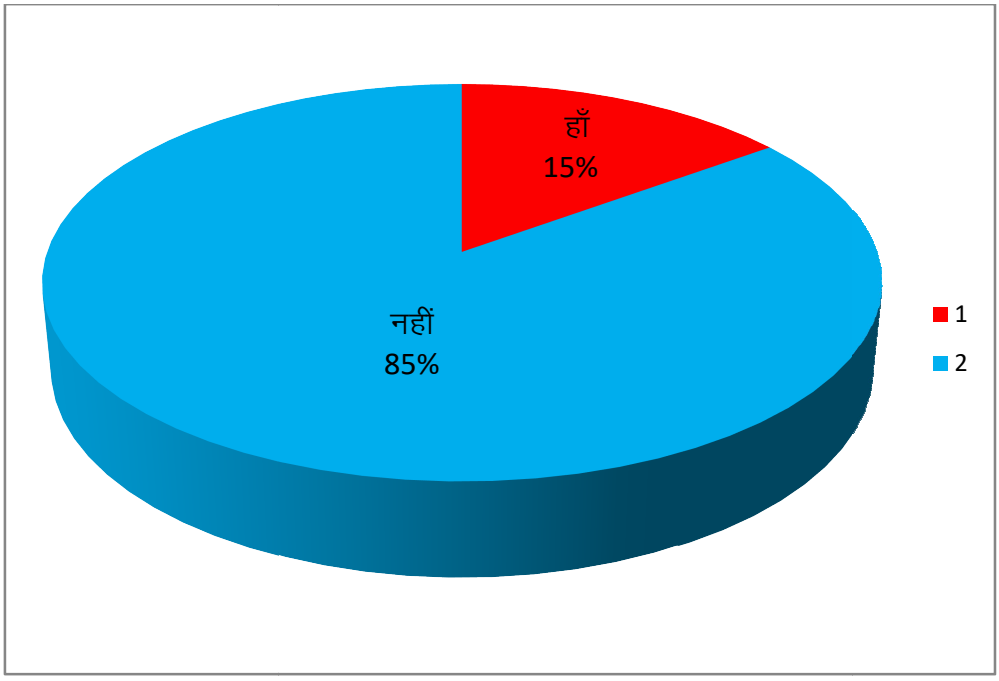

प्रश्न – क्या आपको लगता है कि किसी ऐतिहासिक स्थान के समीप पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करना लोक प्रयोजन के दायरे में आता है –

1. हाँ 2. नहीं

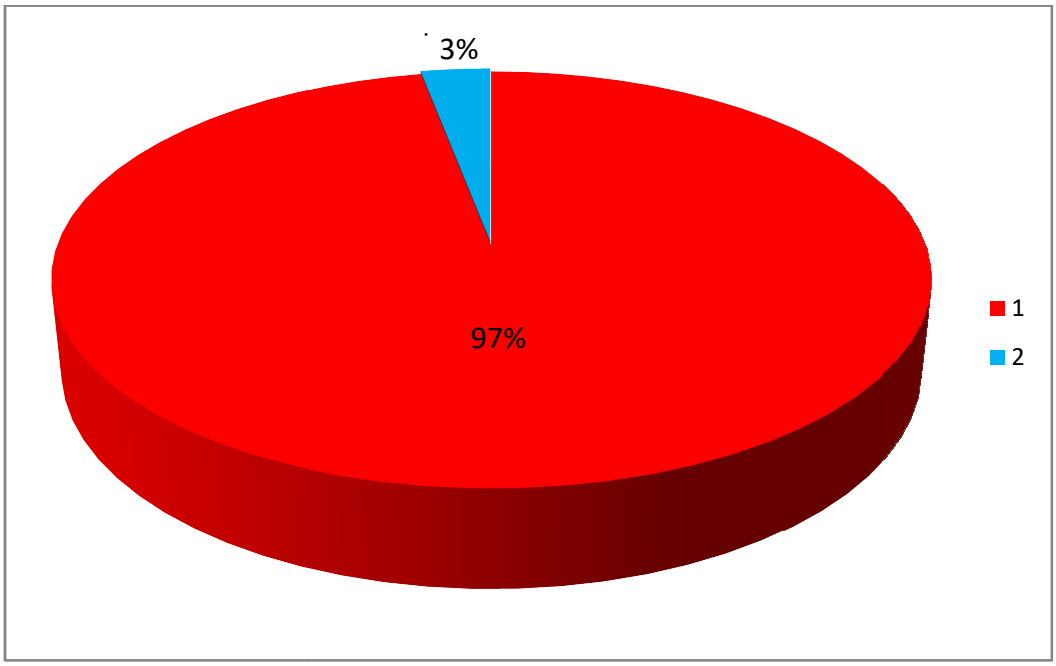

प्रश्न – क्या कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने से स्थानीय लोगो की आमदनी में वृद्धि होगी –

1. हाँ 2. नहीं

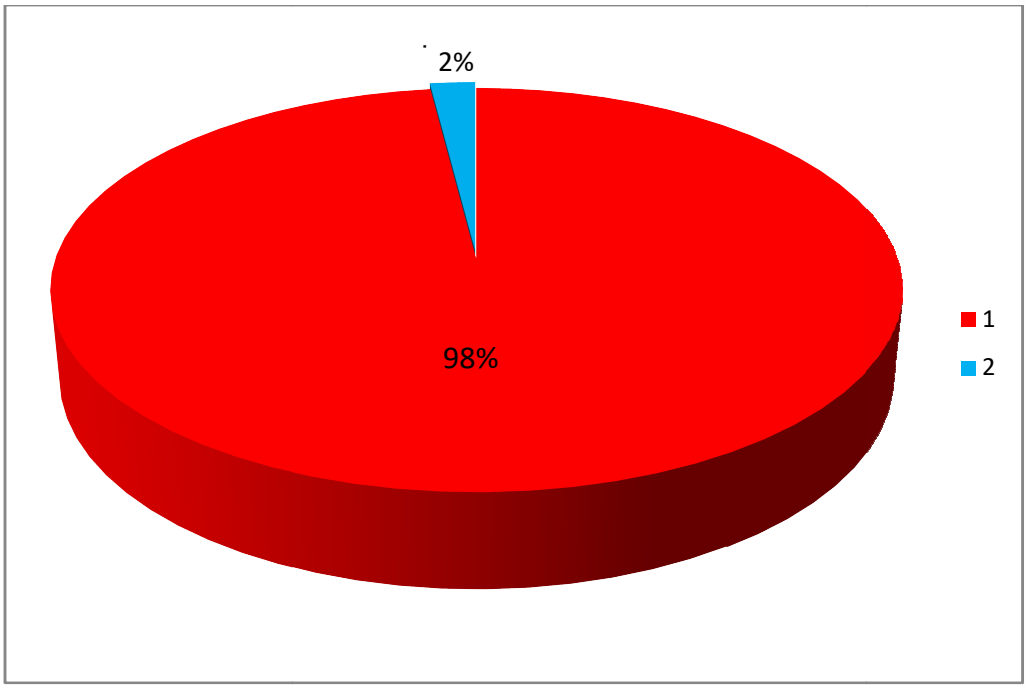

प्रश्न – नीचे उल्लेखित तालिका में परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पूर्वानुमान का उल्लेख है। कृपया प्रत्येक पंक्ति में अंकित दो विकल्पों की तुलना करके किसी एक का चयन करे –

1. पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि
2. कृषि भूमि का नुकसान

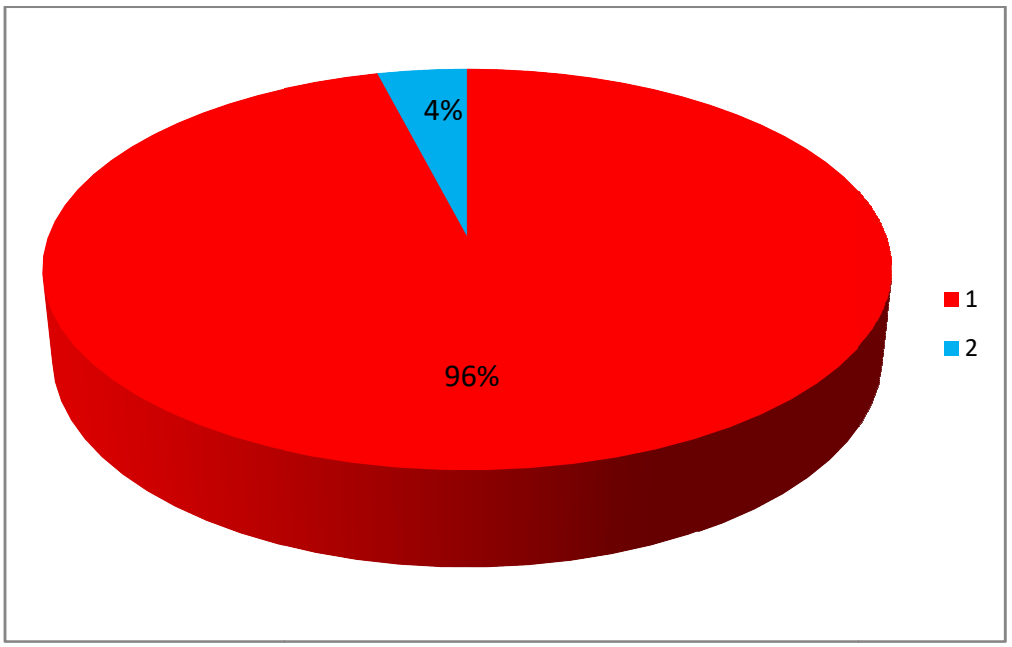

प्रश्न – नीचे उल्लेखित तालिका में परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पूर्वानुमान का उल्लेख है। कृपया प्रत्येक पंक्ति में अंकित दो विकल्पों की तुलना करके किसी एक का चयन करे –

1. स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी
2. खातेदारों को आय में हानि

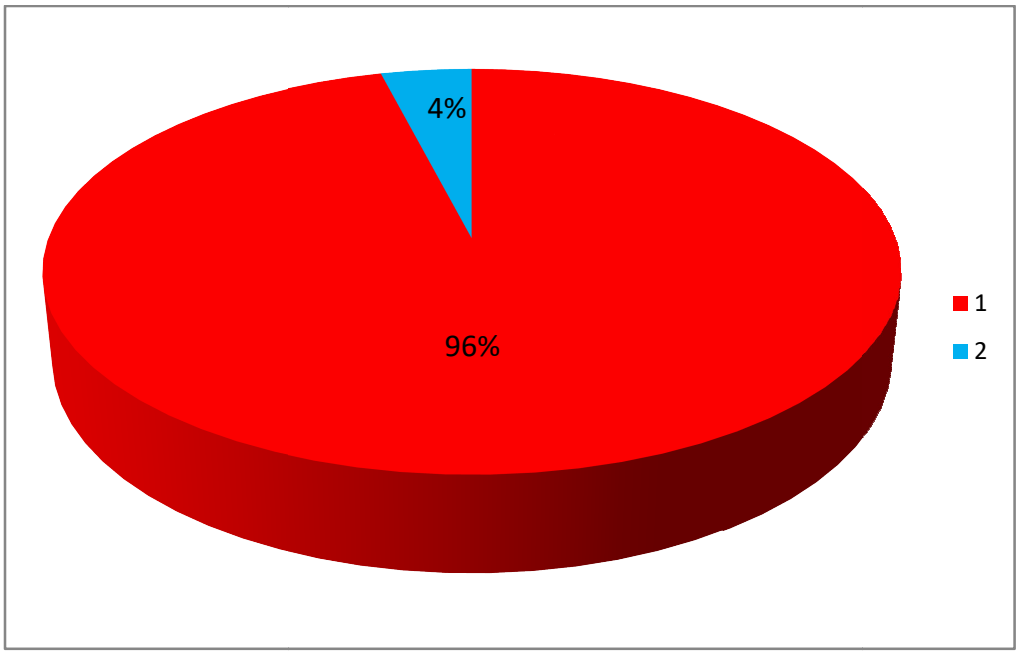

प्रश्न – नीचे उल्लेखित तालिका में परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पूर्वानुमान का उल्लेख है। कृपया प्रत्येक पंक्ति में अंकित दो विकल्पों की तुलना करके किसी एक का चयन करे –

1. यातायात व्यवस्था के अनुकूल
2. पर्यावरण को क्षति

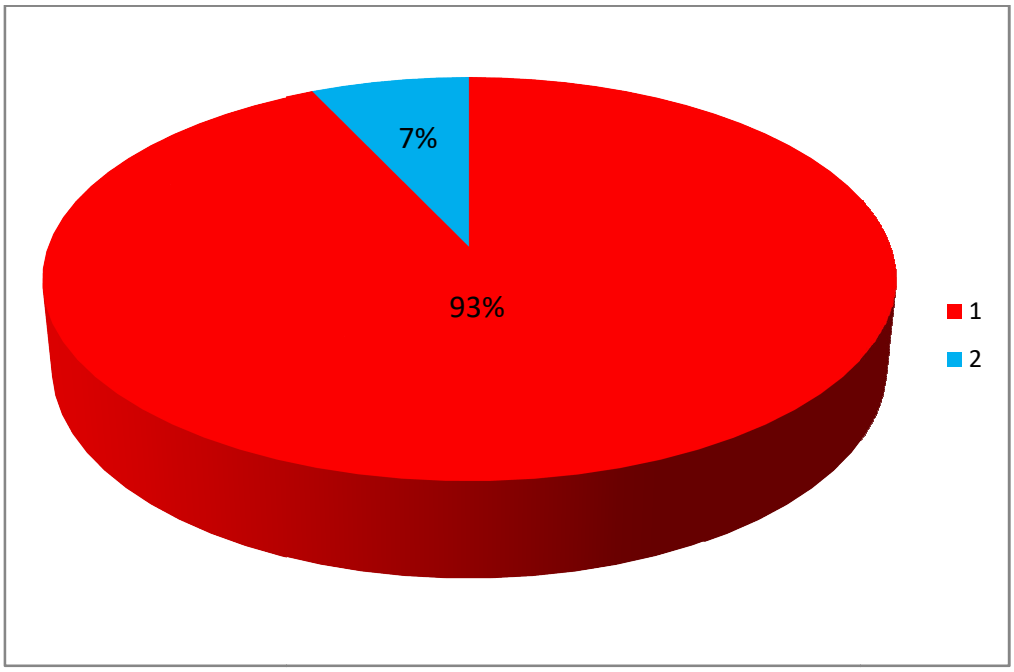

प्रश्न – नीचे उल्लेखित दो विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करे –

1. उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध होंगे।
2. उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध नहीं होंगे।

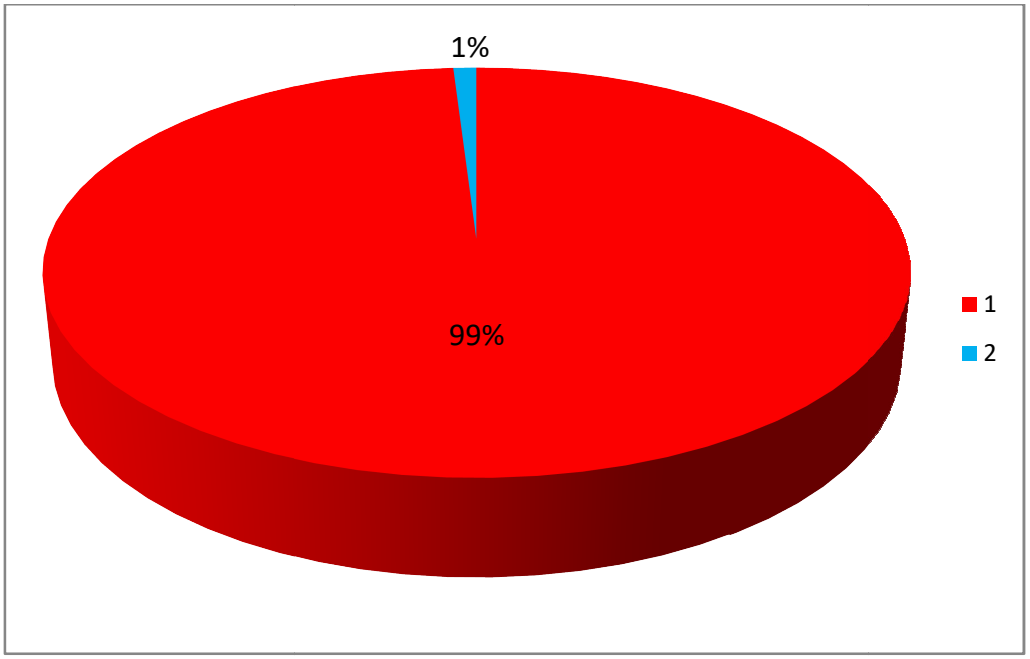

परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण

चुकि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन मौके पर खाली है तथा प्रश्नागत भूमि पर वर्तमान में कोई निवासरत नहीं है, अतः परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या के जनसांख्यिकी विवरण के बारे में ब्यौरा निरंक है। जहाँ तक जिला राजसमन्द की तहसील कुम्भलगढ़ के ग्राम किला कुम्भलगढ़ का प्रश्न है, गाँव की आबादी प्रमुखतः दो भागो विभक्त है। कुम्भलगढ़ दुर्ग में प्रवेश द्वार राम पोल के निकट बस्ती में अधिकांशत मुस्लिम सम्प्रदाय निवास करता है। दुर्ग के गोलेराव मंदिर के समीप स्थित आबादी को भील बस्ती के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिन्दू धर्म से संबद्ध लोग रहते है।

जनगणना 2011 के अनुसार, ग्राम किला कुम्भलगढ़ में कुल 84 परिवार निवासरत है। ग्राम की कुल जनसंख्या 363 व्यक्तियों की है, जिसमें 179 पुरुष तथा 184 महिला सम्मिलित है। गाँव में अनुसूचित जाति का 1 व्यक्ति (पुरुष) तथा अनुसूचित जनजाति के 234 व्यक्ति रहते है, जिनमें से 116 पुरुष तथा 118 महिला है। उक्त गाँव में वस्तुतः इस्लाम धर्म से सैयद, शेख तथा पठान आदि जाति एवम् हिन्दू धर्म से भील, राजपूत, वैष्णव तथा आमेटा आदि जाति के लोग निवास करते है। किला कुम्भलगढ़ में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो कक्षा 01 से 08 तक है, के रिकॉर्ड में कुल 64 विद्यार्थी अध्यनरत है। गाँव के 61.49 प्रतिशत लोग साक्षर है।

गरीबी के स्तर

राजस्थान सरकार के आधिकारिक जन सूचना पोर्टल (http://jansoochna.rajasthan.gov.in) के आकड़ों के अनुसार ग्राम किला कुम्भलगढ़ में 35 परिवारों के पास बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड है, जिसके आधीन कुल 148 व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है। जन सूचना पोर्टल के अनुसार श्री मकबूल खां का परिवार बीपीएल श्रेणी (क्रमांक 200002324668) के अंतर्गत है, जबकि हितधारकों हेतु निर्धारित सर्वेक्षण प्रपत्र–क में श्री मकबूल खां द्वारा बीपीएल कार्ड धारक होने की पुष्टि नहीं की गई। श्री मोहम्मद आलम द्वारा समिति को सूचित किया गया है कि उनका परिवार भीलवाड़ा में बीपीएल राशन कार्ड धारक (क्रमांक 200002542750) है। राजस्थान सरकार के आधिकारिक जन सूचना पोर्टल के आकड़ों के अनुसार ग्राम किला कुम्भलगढ़ में वृद्धजन पेंशन के 16, एकल नारी पेंशन के 04 तथा विशेष योग्यजन पेंशन के 02 लाभार्थी है।

दुर्बल समूह

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कुटुंबो के कुछ सदस्य किला कुम्भलगढ़ में निवास करते है, जिनसे समिति द्वारा जन सुनवाई तथा डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया। उक्त अधिकांश हितधारक निम्न मध्यम/ मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते है तथा दो प्रभावित परिवारों का गरीबी रेखा के नीचे होना संज्ञान में आया है। आर्थिक स्थिति के अनुसार सभी की दुर्बल समूह में गणना की जाती है। उक्त हितबद्ध व्यक्तियों को भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने की दशा में उनके परिवार के सदस्यों यथा स्त्रियों, वृद्ध तथा बच्चो पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

रिश्तेदारी के नमूने तथा कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका

ग्राम किला कुम्भलगढ़ में अधिकांश व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते है तथा अल्प संख्या में एकल परिवार भी पाए गए है। कतिपय मामलों में संयुक्त परिवारों में यह भी देखने को मिला है कि एक ही घर में सगे भाइयो ने आपसी सहमति से रसोई अलग कर ली है, जिससे आपस में परस्पर मनमुटाव कम से कम हो। प्रायः परिवार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आधीन है, जिसमें ज्येष्ठ पुरुष ही घर के समस्त जरुरी फैसले लेता है। इस ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के सदस्य एक–दुसरे को मान देते है तथा त्योहारों और विशेष अवसरों को मिलकर मानते है। परिवार में महिलाओ की स्थिति आम तौर पर साधारण है। भले ही, ग्रामीण परिवेश की व्यवस्थाओं तथा संयुक्त परिवार की परम्पराओ के कारण स्त्रियो को आगे बढ़ने का ज्यादा अवसर नहीं मिला, परन्तु अनेक महिलाएं गृह प्रबंधन के अतिरिक्त पशुपालन, कृषि, निर्माण कार्यो में मजदूरी, सुखी लकड़ियाँ तथा मवेशी के लिए चारा लाने समेत अन्य कार्य भी संपादित करती है।

सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन

परियोजना क्षेत्र तथा ग्राम किला कुम्भलगढ़ में कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कार्यरत नहीं है।

प्रशासनिक संगठन

ग्राम किला कुम्भलगढ़ ग्राम पंचायत गवार के आधीन है तथा ग्राम पंचायत गवार की पंचायत समिति कुम्भलगढ़ है। ग्राम पंचायत में सरपंच ज्येष्ठ होता है, जिसके उच्च स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिसका प्रमुख प्रधान होता है। पंचायत समिति जिला परिषद् के आधीन होती है, जिसमें सर्वोच्च पद जिला प्रमुख का होता है। उपरोक्त में से किसी का भी कार्यालय परियोजना क्षेत्र में नहीं है।

राजनीतिक संगठन

परियोजना क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक संगठन का अस्तित्व नहीं है।

सिविल सोसाइटी संगठन और सामाजिक आंदोलन

केलवाड़ा से सेवा मंदिर तथा Me to We आदि संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के कल्याण, जनहित के कार्यो में क्रियाशील है। ग्राम किला कुम्भलगढ़ में कोई भी सामाजिक आंदोलन गतिमान है।

भूमि का उपयोग और जीविका

जनगणना 2011 के अनुसार, ग्राम किला कुम्भलगढ़ में 23 हैक्टेयर खेती योग्य बंजर भूमि है। गैर कृषि उपयोगी भूमि का क्षेत्रफल 148 हैक्टेयर है। 52 हैक्टेयर स्थायी चारागाह और अन्य चराई भूमि के उपयोग में है। 73 हैक्टेयर भूमि वन क्षेत्र में निहित है, जबकि 27 हैक्टेयर भूमि बंजर और अनुपजाऊ है। कुल असिंचित भूमि का क्षेत्रफल 13 हैक्टेयर है। गाँव तथा आसपास की भूमि की मृदा उपजाऊ है तथा अधिकतर भू–भाग वन अच्छान्दित क्षेत्र है, जो विभिन्न प्रकार के पेड़–पौधे, वनस्पति तथा वृक्षो से ढका हुआ है। फसल का उत्पादन वर्षा पर निर्भर है। जून से सितम्बर महीने के मध्य बारिश के तुरंत बाद खेतो में मक्का बोया जाता है। गेहूँ की पैदावार नवम्बर से मार्च माह तक की अवधि में होती है। धान, जौ, सरसों, चना, मूंगफली, सोयाबीन की खेती भी की जाती है। फलों में सीताफल, बेर, आम तथा जामुन सरलता से लगते है। आम की कैरी का उत्पादन भी होता है।

उक्त गाँव में कुल 287 पशु है, जिसमें से 77 गाय वंश, 97 भैंस वंश तथा 113 बकरी प्रजाति के पशु है। जनगणना 2011 के आकड़ों के अनुसार, ग्राम किला कुम्भलगढ़ में 145 व्यक्ति कृषक के तौर पर कार्य करते है। राजस्थान सरकार के आधिकारिक जन सूचना पोर्टल पर प्रदर्शित आकड़ों के अनुसार ग्राम किला कुम्भलगढ़ के 65 व्यक्ति महात्मा गाँधी नरेगा में श्रमिक के तौर पर पंजीकृत है, जिसमें से 40 व्यक्तियों द्वारा मनरेगा योजना के तहत काम करके वर्तमान वित्तीय वर्ष में रोजगार प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, कुछ लोग दुकान/ रेस्टोरेंट संचालन, सफारी वाहन संचालन तथा निर्माण कार्यो में मजदूरी तथा राजमिस्त्री आदि कार्य भी करते है।

पुरुष प्रधान सामाजिक व्यव्यस्था प्रभावी होने के कारण घर से बाह्य कार्य पुरुषो द्वारा संपादित किए जाते है, जबकि घरेलु दैनिक कार्य महिलाओं द्वारा किया जाना प्रचलन में है। हालाँकि अनेक परिवारों में महिलाएं पशुपालन करती है तथा कृषि कार्य में घर के पुरुष सदस्यों को सहयोग प्रदान करती है। पारंपरिक जीवन शैली के तहत परिवार में

ज्येष्ठ महिला को कम गृह कार्य करना पड़ता है। आदरस्वरुप घर की बहु गृहस्थी के रोजमर्रा के ज्यादातर कार्य पूर्ण करती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त परिवार में सबसे छोटी बहु सास और जेठानी से अधिक कार्यो का निपटान करती है। इसी प्रकार, किशोर या व्यस्क पुत्री अपनी माता को घरेलू कार्यो में सहयोग देती है। जहाँ तक प्रवास का प्रश्न है, जन सुनवाई तथा डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान यह पाया गया कि भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों में से कई पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर तथा गुजरात राज्य के शहरों में रहते है। इस प्रवास का प्रमुख कारण यह है कि अन्य स्थानीय लोग की भांति अपनी संतान की उच्च शिक्षा, रोजगार तथा व्यापार के लिए उनके द्वारा मूल निवास छोड़ने का निर्णय लिया गया।

जैसा कि पूर्व में इंगित किया गया है कि राजस्थान सरकार के आधिकारिक जन सूचना पोर्टल के आकड़ों के अनुसार ग्राम किला कुम्भलगढ़ में 35 परिवारों के पास बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड है, जिसके आधीन कुल 148 व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है, जिससे स्पष्ट होता है कि गाँव की स्थानीय आबादी का एक भाग चिंताजनक स्थिति में है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कुटुंबो के कुछ सदस्य किला कुम्भलगढ़ में निवास करते है, जिनसे समिति द्वारा जन सुनवाई तथा डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया। उक्त अधिकांश हितधारक निम्न मध्यम/ मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते है तथा दो प्रभावित परिवारों का गरीबी रेखा के नीचे होना संज्ञान में आया है। आर्थिक स्थिति के अनुसार सभी की दुर्बल समूह में गणना की जाती है। डोर–टू–डोर सर्वे में ग्राम आरेट की भागल, किला कुम्भलगढ़, बिड की भागल, गवार तथा मुख्य केलवाड़ा बाजार व आसपास के आबादी क्षेत्रो को सम्मिलित किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि स्थानीय लोगों के जीवन निर्वाह का स्तर साधारण है तथा लोग सादगी पसंद है।

ग्राम किला कुम्भलगढ़ के निवासी प्रधानतः खेती–बाड़ी के कार्य में रूचि रखते है। आजीविका का यह प्रमुख साधन है, जो उनके द्वारा पीढ़ियों से वंशानुगत किया जाता रहा है। खाध सुरक्षा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत खाद्यान्नों की खरीद की जाती है। समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों की कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से क्रय किए

जाने का प्रावधान है। हालाँकि फसल की उपज कम होने के कारण क्षेत्र के किसान इस शासकीय योजना का लाभ नहीं के बराबर लेते है।

स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

स्थानीय स्तर पर उद्योग–धंधो का अभाव है, जिसके फलस्वरूप इस व्यवसाय में रोजगार के अवसर उपलब्ध नही है। किला कुम्भलगढ़ में निवासरत गिने–चुने लोगो द्वारा चौपहिया वाहन क्रय करने हेतु बैंक से ऋण लिए जाते है। उक्त वाहनो का प्रयोग टैक्सी के रूप में पर्यटकों को वन क्षेत्र में जंगल सफारी कराने हेतु किया जाता है। कृषि कार्य के अतिरिक्त, कुछ लोग दुकान/ रेस्टोरेंट संचालन, सफारी वाहन संचालन तथा मनरेगा योजना, निर्माण कार्यो में मजदूरी तथा राजमिस्त्री आदि कार्य भी करते है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रतिदिन मजदूरी की दर रु. 192/– नियत है। अनेक परिवारों में महिलाएं निर्माण कार्यो में मजदूरी, पशुपालन करती है तथा कृषि कार्य में घर के पुरुष सदस्यों को सहयोग प्रदान करती है।

कारक, जो स्थानीय जीविका में योगदान करते है

गाँव के आसपास का अधिकतर भू–भाग वन आच्छादित क्षेत्र है, जो विभिन्न प्रकार के पेड़–पौधे, वनस्पति तथा वृक्ष से ढका हुआ है। इससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है तथा प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल का संचय होता है। पेड़–पौधों की अधिकता अच्छी वर्षा में सहायक है। वनीय क्षेत्र से सुखी लकड़ियाँ तथा मवेशी के लिए चारा भी उपलब्ध होता है। निजी आस्तियाँ के रूप में केवल एक कुआं परियोजना क्षेत्र में अवस्थित है। ग्राम किला कुम्भलगढ़ में गोलेराव मंदिर के पास स्थित बामना बावड़ी, मामादेव मंदिर कुण्ड, हल्ला पोल बावड़ी, श्री बाघ सिंह की कृषि भूमि के समीप स्थित बावड़ी से मोटर से पानी सप्लाई करके खेतो में सिचाई की जाती है। ग्राम किला कुम्भलगढ़ के समीपवर्ती इलाको में रहट, चड़स, ट्यूबवेल तथा निजी कुंओ से सिचाई होती है।

ग्राम किला कुम्भलगढ़ से नजदीकी प्रमुख बाजार केलवाड़ा 07 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ स्थानीय लोग प्रायः अपने दुपहिया वाहन से अथवा पैदल जाते है। ग्राम किला कुम्भलगढ़ से लगभग 02 किलोमीटर दूर स्थित महाराणा प्रताप सर्किल से बस तथा जीप केलवाड़ा के लिए मिल जाती है। किला कुम्भलगढ़ तथा केलवाड़ा को आपस में जोड़ने वाला मोटर मार्ग सिंगल लेन रोड़ है।

दुर्ग कुम्भलगढ़ इस क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसके भ्रमण हेतु प्रतिवर्ष लाखो की संख्या में सैलानी आते है। कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों के आवागमन से

स्थानीय लोगो को प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है। केलवाड़ा को किला कुम्भलगढ़ से जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर कई होटल व रेस्टोरेंट बन चुके है तथा कई अन्य निर्माणाधीन है, जिनके निर्माण कार्य में लोगो को रोजगार मिलना स्वाभाविक है। इसी प्रकार, निर्मित होटलों में मानवशक्ति और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति भी स्थानीय स्तर से होती है। ग्राम किला कुम्भलगढ़ के भील बस्ती के कई निवासी निर्माण कार्यो में राजमिस्त्री तथा मजदूर के रूप में कार्य करके रोजगार प्राप्त करते रहे है। महाराणा प्रताप सर्किल पर कई स्थानीय लोगो द्वारा ट्रेवल एजेंसी, होटल और रेस्टोरेंट तथा दुकानों का संचालन किया जाता है। पर्यटकों को वन क्षेत्र में जंगल सफारी कराने से भी स्थानीय लोगो को आय होती है, जिसके अंतर्गत आगंतुक दानीभट्टा गेट के मार्ग पर लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तक प्राकुतिक सौन्दर्य का आनंद लिया करते है। वर्तमान में ग्राम किला कुम्भलगढ़ में किसी प्रकार का जीविका संप्रवर्तन कार्यक्रम गतिमान नहीं है, ना ही कोई सहकारी और अन्य जीविका संबंधी एसोसिएशन कार्यरत है।

जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन कृषि भूमि है तथा भूमि से हितबद्ध अनेक कुटुंब के सदस्य कृषि पर आजीविका के लिए आश्रित है। यधपि परियोजना क्षेत्र की भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, फिर भी भूमि पर आम और इमली आदि के फलदार पेड़ विधमान है, जिनसे भूमि से हित रखने वाले व्यक्तियों को आर्थिक लाभ मिलता है। साथ ही, भूमि पर उगने वाली घास मवेशियों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल होती है। निजी आस्तियाँ के रूप में केवल एक खुला कुआं परियोजना क्षेत्र में अवस्थित है। जन सुनवाई तथा डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान हितधारको द्वारा अवप्तिधीन भूमि के एवज में उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की, जिसमें भूमि पर विधमान संरचनाओं और जमीन पर मौजूद पेड़–पौधों का प्रतिकर दिए जाने की मांग भी शामिल है। ग्राम किला कुम्भलगढ़ की समस्त निजी जमीन शिकमी काश्तकार वर्ग की है, जिसका भूमि बंदोबस्त कार्य राजस्व विभाग के आधीन आता है।

भूमि मौके पर खाली है तथा जमीन पर कोई घर–मकान, सामुदायिक और नागरिक स्थान, भौतिक अवसंरचना, लोक सेवा अवसंरचना अथवा स्त्रियों के लिए सामाजिक मेल–मिलाप के स्थान स्थित नहीं है। अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन में श्री महादेव जी नीलकंठ जी स्थान देह के स्वामित्व के खसरा नंबर 578 की भूमि उपरोक्त मंदिर के नाम दर्ज है, जिसके संबंध में रिपोर्ट में पहले ही चर्चा की गई है।

दुर्ग में अवस्थित गणेश मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, पितलिया देव मंदिर, मामादेव मंदिर, बावन देवरी तथा गोलेराव मंदिर समूह धार्मिक प्रकार के स्थल है। कुम्भलगढ़ ग्राम किला कुम्भलगढ़ की आबादी को दुर्ग के भीतर स्थित्त मामादेव मंदिर कुण्ड और बड़वा बावड़ी से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। गाँव में एकीकृत सीवर प्रबंध नहीं है। ग्राम किला कुम्भलगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय राम पोल के निकट स्थित है, जिसमे विद्यार्थी कक्षा 01 से 08 तक की शिक्षा ग्रहण करते है। अन्य नजदीकी शासकीय विद्यालय ग्राम आरेट की भागल और बिड की भागल में स्थित है, जहाँ क्रमशः 8वीं तथा 5वीं कक्षा तक की शिक्षा का अध्ययन होता है। नजदीकी उप स्वास्थ्य केन्द्र, आगनबाड़ी केन्द्र तथा लोक वितरण केन्द्र (सरकारी राशन की दुकान) ग्राम आरेट की भागल में स्थित है। क्षेत्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा में स्थित है। ग्राम किला कुम्भलगढ़ से 08 किलोमीटर दूर बरदणा में 'वेरो का मठ' में प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में लगने वाला मेला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जो महिलाओं के सामाजिक मेल–मिलाप का प्रमुख स्थान है। दुर्ग से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर उदावर गाँव में परशुराम महादेव मंदिर में सावन माह में सालाना मेला लगता है, जहाँ स्त्रियाँ बड़ी संख्या में एकत्रित होती है।

क्षेत्र में प्रायः पारिवारिक झगड़ें, चोरी, घरेलु कलह, जमीन संबंधी विवाद जैसी घटनाएँ घटित होती है, जबकि संगठित अपराध के मामले नहीं के बराबर है। पुलिस थाना केलवाड़ा में स्थित है, जबकि किला कुम्भलगढ़ में पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी स्थापित है। तहसील तथा उपखण्ड स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ को क्रमशः कार्यपालक तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के संवैधानिक प्राधिकार प्राप्त है।

महत्त्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

भूमि, जीविका और आय पर समाघात

हितधारक कुटुंबो के सदस्यों द्वारा अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर 4–5 वर्षो पूर्व तक कृषि कार्य किया जाता था, जिससे निश्चित ही उन्हें आर्थिक लाभ होता था। यधपि वर्तमान में परियोजना क्षेत्र की भूमि पर किसी प्रकार का कोई फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, फिर भी भूमि पर आम और इमली आदि के फलदार पेड़ विधमान है, जिनसे भूमि से हित रखने वाले व्यक्तियों को आर्थिक लाभ मिलता है। साथ ही, भूमि पर उगने वाली घास मवेशियों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल होती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण पृष्टभूमि, क्षेत्र में उच्च

शिक्षा सुविधा का आभाव, आर्थिक रूप से निर्बलता तथा क्षेत्र में उधोग–धंधे नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों की कमी के कारण स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन खेती–बाड़ी है, जो उनके द्वारा पीढ़ियों से वंशानुगत किया जाता रहा है। उक्त समस्त कुटुंब की आर्थिक स्थिति दुर्बल है। स्थानीय लोगों के जीवन निर्वाह का स्तर साधारण है। हालाँकि उचित प्रतिकर दिए जाने की स्थिति में भू–अर्जन से स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन, दरिद्रता का जोखिम होने की संभावना नहीं है। खेती, पशुपालन तथा निर्माण कार्यो में रोजगार के अतिरिक्त, क्षेत्र में स्त्रियो की जीविका के विकल्प मौजूद नहीं है।

भौतिक संसाधनों पर समाघात

भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन कृषि भूमि है, जिसके अर्जन से उर्वर मृदा को क्षति पहुचेगी। अधिग्रहित करके प्रस्तावित परियोजना का निर्माण किए जाने से भूमि में निर्मित खुले कुएं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परियोजना निर्माण के दौरान विभिन्न प्रकार की सामग्री स्थल पर भंडारित की जाएगी, जिसके कण हवा में घुलकर वायु को प्रदूषित करेंगे। चुकि परियोजना का उद्देश्य वाहन पार्किंग स्थापित करने का है, अतः भारवाहक वाहन निर्माण सामग्री स्थल पर पहुँचाने हेतु निरंतर आवागमन करेंगे, जिससे हानिकारक धुएँ की मात्रा बढ़ जाएगी, जो स्थल के आस–पास स्थित वन क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है। चुकि भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है तथा प्रश्नगत भूमि पर कोई सामान्य संपति प्राकृतिक संसाधन मौजूद नहीं है, अतः इस परिपेक्ष्य में कोई समाघात होने का अंदेशा नहीं है।

निजी आस्तियों, लोक सेवाओ और उपयोगिकताओं पर समाघात

भूमि मौके पर खाली है तथा जमीन पर कोई स्वास्थ्य और शिक्षा केन्द्र, घर–मकान, स्थानीय सेवा से सम्बद्ध संरचना, बिजली तथा जलापूर्ति संबंधित निर्माण सड़क विधमान नहीं है। उक्त भूमि का कोई भी भाग कोई सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था के आधीन नहीं है। निजी आस्तियाँ के रूप में केवल एक कुआं परियोजना क्षेत्र में अवस्थित है।

स्वास्थ्य समाघात

चुकि जमीन मौके पर खाली है, अतः किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है। साथ ही, स्त्रियो और वृद्ध के स्वास्थ्य पर कोई समाघात होना परिलक्षित नहीं है।

संस्कृति और सामाजिक संसंजन पर समाघात

जमीन मौके पर खाली होने के कारण, किसी भी स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का रूपांतरण दृष्टिगोचर नहीं है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण तथा परियोजना निर्माण से किसी प्रकार के जनसांख्यिकी परिवर्तन, आर्थिक–पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव तथा संन्नियमों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर समाघात नहीं होगा। विस्थापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होने के कारण, इससे होने वाले तनाव तथा पारिवारिक एकजुटता से पृथक्करण का समाघात होने के कोई संकेत नहीं है। परियोजना से किसी भी रूप में अपराध और अवैध क्रियाकलाप तथा स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोतरी नहीं होने का अनुमान है।

परियोजना चक्र के विभिन्न प्रक्रमों पर समाघात

पूर्व सन्निर्माण चरण

परियोजना निर्माण के दौरान विभिन्न प्रकार की सामग्री स्थल पर भंडारित करने हेतु विभिन्न भारवाहक वाहन स्थल पर आवागमन करेंगे, जिससे सड़क मार्ग के बार–बार अवरुद्ध होने की संभावना है। जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले भी उल्लेख किया गया है कि किला कुम्भलगढ़ तथा केलवाड़ा को आपस में जोड़ने वाला मोटर मार्ग सिंगल लेन रोड़ है, अतः सड़क अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में दुर्ग तक आने–जाने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ग्राम किला कुम्भलगढ़ में जमीन को क्रय करके भूमि में पूंजी निवेश किया जाना प्रचलन में नहीं है, अतः लाभकारी निवेश में गिरावट, भूमि में सट्टेबाजी तथा इन क्रियाकलापों से होने वाले अनिश्चितता के तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

सन्निर्माण चरण

चुकि जमीन मौके पर खाली है, अतः किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, अतः विस्थापन और पुनःअवस्थापन की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राम कुम्भलगढ़ दूरस्थ गाँव के प्रवर्ग में आता है, अतः परियोजना के निर्माण हेतु प्रवासी कार्यशक्ति की बड़ी संख्या में यहाँ आने की संभावना नहीं है। पूर्व में रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है कि केलवाड़ा को किला कुम्भलगढ़ से जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर कई होटल व रेस्टोरेंट निर्माणाधीन है, जिनके निर्माण कार्य में मानवशक्ति की आपूर्ति भी स्थानीय स्तर से होती है। स्थानीय श्रमशक्ति की तुलना में किसी अन्य स्थान से

कार्यशक्ति को लाने पर वित्तीय भार भी बढ़ेगा। यधपि कतिपय विशिष्ट निर्माण कार्यो के लिए दक्ष बाह्य कार्य शक्ति का आगमन होगा।

परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल के समीप आबादी की बसावट नहीं है, स्थल पर सन्निर्माण की क्रियाओं से स्वास्थ्य पर समाघात होना संभावित नहीं है।

प्रवर्तन चरण

परियोजना पूर्णतः निर्मित हो जाने की स्थिति में निर्माण कार्यो में लगे श्रमिको को इस स्थल पर रोजगार मिलना समाप्त हो जाएगा। परियोजना के अंतर्गत कुम्भलगढ़ दुर्ग पर नवीन पर्यटक वाहन पार्किंग स्थापित हो जाने से एक तरफ यातायात व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, वही दूसरी ओर किले के भीतर रह रहे स्थानीय लोगो को भी मार्ग पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। सुव्यवस्थित पार्किग सुविधा उपलब्ध हो जाने से पर्यटक क्षेत्र में ज्यादा देर तक ठहरेंगे, जिससे होटल और रेस्टोरेंट में खाध पदार्थ सहित स्थानीय लोगो को वस्तुओं की बिक्री बढ़ने से आर्थिक लाभ होगा। उक्त परियोजना से सामाजिक संगठन का कोई नया पैटर्न प्रभावी होने का अंदेशा नहीं है।

कार्य से हटाने वाला चरण

परियोजना एक ऐसे प्रयोजन हेतु प्रस्तावित है, जिसकी प्रतिस्पर्धा की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न नहीं होने की स्थिति में किसी अन्य के लिए आर्थिक अवसरों में हानि होना संभव नहीं है। परियोजना के अंतर्गत कुम्भलगढ़ दुर्ग पर नवीन सुव्यवस्थित पर्यटक वाहन पार्किंग उपलब्ध हो जाने से पर्यावरण के निम्नीकरण होने की कोई संभावना नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि परियोजना के क्रियान्वयन से पर्यटक वाहनों की संख्या तथा उनसे होने वाला वायु प्रदुषण नहीं बढ़ेगा, अपितु पार्किंग की व्यवस्था सुनियोजित हो जाएगी।

भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन दुर्ग के प्रवेश द्वार राम पोल से लगभग 01 किलोमीटर दूर स्थित है और पर्यटकों को नवीन पार्किंग से टिकिट काउंटर तक लाने–ले जाने हेतु पर्यावरण हितैषी परिवहन व्यवस्था लागू की जानी होगी, जिसके अंतर्गत बैटरी संचालित गाड़ियॉ अथवा ऊंट तथा घोड़े की सवारी आदि भी समाविष्ट किए जा सकते है। प्रतिवर्ष लाखो की संख्या में आने वाले पर्यटकों को यह सुविधा प्रदान करने हेतु एक निश्चित शुल्क का निर्धारण सक्षम स्तर से किया जाना चाहिए तथा स्थानीय लोगों को इस काम में रोजगार दिया जाना चाहिए।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समाघात

भू–अर्जन से कृषि भूमि का नुकसान, हितधारकों को भूमि से होने वाली आय में हानि तथा भूमि में निर्मित खुले कुएं का अस्तित्व समाप्त होना प्रत्यक्ष समाघात के अंतर्गत आते है। पर्यावरण को क्षति अप्रत्यक्ष समाघात के आधीन है।

अंतरीय समाघात

चुकि जमीन मौके पर खाली है तथा परियोजना क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवासरत नहीं है, अतः स्त्रियों, बालको, वृद्धों और निशक्त लोगों के स्वास्थ्य पर कोई समाघात होना परिलक्षित नहीं है।

संचित समाघात

वर्तमान में ग्राम किला कुम्भलगढ़ में कोई अन्य परियोजनाएं अस्तित्व में नहीं है, जिनके निवारणीय और संभाव्य समाघातो का प्रश्नगत परियोजना के अभिज्ञात समाघात के साथ विश्लेषण किया जा सके। हितधारको के अलावा परियोजना क्षेत्र से स्थानीय अथवा क्षेत्रीय रूप में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है।

परियोजना का मूलाधार तथा लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्तता

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2(1)(b)(iv) के अंतर्गत पर्यटन परियोजना को लोक प्रयोजन के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल किया गया हैं। कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करना परियोजना का विशुद्ध उद्देश्य है, जिसके क्रियान्वयन से पर्यटकों के लिए नवीन अभिवर्धित पार्किंग स्थल की स्थापना होगी तथा पर्यटकों को ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अनुकल्पो पर विचार

समिति द्वारा डोर–टू–डोर सर्वे के लिए तैयार किए गए सर्वेक्षण प्रपत्र–ग में स्थानीय निवासियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह यह राय व्यक्त करे कि कुम्भलगढ़ दुर्ग के आस–पास अन्य कोई भूमि विकल्प के रूप में इस परियोजना हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं। उत्तर सकारात्मक होने की दशा में अवस्थिति बताने का भी विकल्प दिया गया था। कुछ व्यक्तियों द्वारा कुम्भलगढ़ दुर्ग के आस–पास अन्य कोई भूमि विकल्प के रूप में इस परियोजना हेतु उपलब्ध होने का पक्ष लिया गया, परन्तु उनके द्वारा अवस्थिति का वर्णन नहीं किया गया। हालाँकि परियोजना हेतु वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता श्री हसन खां शेख द्वारा व्यू पॉइंट फोर्ट के सामने, श्री नईमुद्दीन शेख व श्री सोहन लाल गामेती द्वारा

हनुमान पोल के समीप, श्री श्याम सुन्दर समधानी द्वारा वन विभाग की भूमि तथा श्री दिलीप सिंह द्वारा महाराणा प्रताप सर्किल के पास सर्वेक्षण प्रपत्र–ग में बताई गई, जिनका स्थल निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 22.10.19 को किया गया। मौका मुआयना तथा सुझावों पर सम्यक विचारोपरांत यह पाया गया कि सुझाए गए दोनों स्थल परियोजना के उद्देश्य हेतु उपयुक्त नहीं है।

अनुकल्पो की परीक्षा

परियोजना हेतु वैकल्पिक भूमि की तलाश के लिए दिनांक 22.10.19 को समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। कुम्भलगढ़ दुर्ग के पहुँच मार्ग पर हनुमान पोल से पहले दाहिनी ओर निजी खातेदारी की भूमि है, परन्तु यह जमीन मौजूदा रोड़ के लेवल से काफी नीचे है, जिसमें परियोजना स्थापित करने से पूर्व अत्यधिक मिट्टी का भराव करना होगा, जिस कारणवश लागत में अत्यंत वृद्धि हो जाएगी, अतः यह भूमि परियोजना हेतु उचित नहीं है। महाराणा प्रताप सर्किल कुम्भलगढ़ किले के प्रवेश द्वार से लगभग 1.6 किलोमीटर दूर स्थित है। अत्यधिक दूरी के कारण इसे परियोजना से संगत नहीं पाया गया।

दैनिक भास्कर

उदयपुर, बुधवार 23 अक्टूबर, 2019 | 04

कुंभलगढ़ दुर्ग की नई पार्किंग के लिए अधिकारियों ने जगह का किया निरीक्षण

कुम्भलगढ़. दुर्ग की नई पार्किंग के लिए अधिकारियों ने स्थान का किया निरीक्षण

भास्कर न्यूज | कुंभलगढ़

कुंभलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण में मंगलवार को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए गठित समिति की बैठक एसडीएम परसाराम टांक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राजस्व ग्राम किला कुंभलगढ़ की निजी खातेदारी की भूमियां की 11 बीघा 5 बिस्वा का अधिग्रहण भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है,.परियोजना के तहत पर्यटकों को पार्किंग सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

एसडीएम परसाराम टांक ने बताया कि समिति की लगभग 2 घंटे चली। बैठक में खाताधारकों, पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों से प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों पर नियमानुसार सुनवाई की गई। समिति ने मौके पर जाकर वैकल्पिक स्थल की तलाश के लिए कुंभलगढ़ किले के प्रमुख सड़क मार्ग का निरीक्षण भी किया। वहीं दुर्ग की नई पार्किंग के लिए अधिकारियों ने अलग-अलग स्थान का निरीक्षण किया। समिति ने समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा रिपोर्ट शीघ्र ही उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी। बैठक में बीडीओ नवलाराम चौधरी, तहसीलदार भंवरलाल चौपड़ा, प्रधान बाबूसिंह, पुरातत्व विभाग जोधपुर के डॉ. वीएस बडीगेर, आरपी सीबीईओ कुंभलगढ़ ललितकुमार श्रीमाली तथा वन विभाग कुंभलगढ़ किशोरसिंह मौजूद थे।

किले के बाहरी ओर का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय भू–भाग तथा वन आच्छादित है, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (यथा संशोधित 1988) के प्रावधान लागु होते है, जिनके तहत वनीय क्षेत्र में निर्माण कार्य पर पूर्णतया प्रतिबंध है, अतः अन्य कोई वैकल्पिक भूमि परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं है।

समिति द्वारा स्थल निरीक्षण

परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

तालिका 1.4

क्रम संख्या	सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
1	पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि	कृषि भूमि का नुकसान
2	स्थानीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता में सहायक	हितधारकों को आय में हानि
3	यातायात व्यवस्था के अनुकूल	भूमि में विधमान खुले कुएं का अस्तित्व समाप्त
4	नवीन अभिवर्धित सुव्यवस्थित पार्किंग स्थल की स्थापना	पार्किंग स्थल से दुर्ग की दूरी में वृद्धि
5	ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात	पर्यावरण को क्षति
6	पर्यावरण हितैषी परिवहन व्यवस्था से स्थानीय को रोजगार	मुआवजा राशि का मौज–शौक, व्यसन आदि में दुरुपयोग होने की आशंका

परियोजना के विवरण का ब्यौरा

भूमि हेतु याचक विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, जोधपुर मण्डल द्वारा समिति को अवगत कराया है कि आतिथि तक विचाराधीन भूमि अवाप्ति हेतु आवश्यक सैद्धांतिक स्वीकृति महानिदेशक कार्यालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से प्राप्त हुई है, परन्तु परियोजना की क्षमता, लागत, अवस्थान, आकार, जोखिम का ब्यौरा, सन्निर्माण की अवस्थाएं, मूल डिजाईन की विशिष्टियां, सुविधाओं का आकार और प्रकार, सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता और कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थाई) का विवरण तैयार नहीं है।

चुकि परियोजना का उद्देश्य पार्किंग निर्माण है, अत किसी भी प्रकार के उत्पाद अथवा उत्पादन लक्ष्य के बारे में सूचना निरंक है। समिति की कार्यवाही से पूर्व अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि तथा परियोजना के सापेक्ष में कोई सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण नहीं हुआ है, अतः कोई तकनीकी साध्यता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

लागू होने वाले विधान और नीतियां

ग्राम किला कुम्भलगढ़ में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित अधिनियम तथा नियमावली लागू होंगे :–

1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 यथा संशोधित 2015.

2) राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता नियम, 2016 यथा संशोधित 2018.

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति के सभी सदस्यों की अहर्ता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित

तालिका 1.5

क्रम संख्या	पूरा नाम / लिंग	पद, विभाग	वर्तमान कार्यालय में कितनी अवधि से इस पद पर है	शैक्षिक योग्यता	विशेषज्ञता (कार्य अनुभव तथा पद पर आधारित)	अतिरिक्त प्रभार होने की स्थिति में मूल विभाग का सुसंगत ब्यौरा
1)	श्री परसाराम टाक (पुरुष)	उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़	अगस्त, 2018 से	एम.ए. (अंग्रेजी साहित्य)	राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	––
2)	श्री भंवर लाल चोपड़ा (पुरुष)	तहसीलदार, कुम्भलगढ़	सितम्बर, 2019 से	सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा	राजस्व कार्य	––
3)	श्री बाबु सिंह दसाणा (पुरुष)	प्रधान, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़	फरवरी, 2015 से	10वीं	ग्रामीण मामलों के जानकार	––
4)	डॉ. वि. एस. बडिगेर (पुरुष)	अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल	मई, 2017 से	एम.ए., एम. फिल., पुरातत्त्व में डिप्लोमा, पुरालेख में डिप्लोमा, पी.एचडी.	इतिहास तथा पुरातत्त्व	––
5)	श्री यादवेन्द्र सिंह चुण्डावत (पुरुष)	उप वन संरक्षक, राजसमन्द	23 नवम्बर, 2019 से	बी. टेक.	वन और वन्यजीव प्रबंधन	सहायक वन संरक्षक, सादड़ी
6)	श्री भूपेन्द्र सिंह राठौड़ (पुरुष)	उप निदेशक कृषि विस्तार, राजसमन्द	विगत 01 माह से	एम. एस.सी. (कृषि)	कृषि व उद्यानिकी क्षेत्र में 22 वर्ष का अनुभव	––

7)	श्री ओंकार बेरवाल (पुरुष)	कार्यपालक इन्जिनियर, जल संसाधन विभाग, राजसमन्द	सितम्बर, 2016 से	बी. ई. (सिविल)	जल संसाधन विकास कार्य	––
8)	श्री प्रहलाद कुमार बुनकर (पुरुष)	कार्यपालक इन्जिनियर, लोक निर्माण विभाग, आमेट	अक्टूबर, 2019 से	बी. ई. (सिविल)	भवन एवं सड़क निर्माण कार्य में 35 वर्ष का अनुभव	––

सामाजिक समाघात निर्धारण की सूचना संग्रहण हेतु प्रयोग की गई प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन

बैठक –

दिनांक 17.07.2019 को प्रथम बैठक के बाद समिति द्वारा स्थल निरीक्षण करके अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का भौतिक रूप से जायजा लिया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान जमीन की भोगौलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल, वास्तविक अवस्था तथा निर्मित संरचनाओं का गहनता से अवलोकन किया। क्षेत्रीय पटवारी, गवार की सहायता से राजस्व भू–चित्र का मिलान मौके से किया गया तथा जमीन की सीमाओं का संदर्भ लिया गया।

समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 08.08.19 में भू–अर्जन हेतु प्रभावी नियम व कानून के प्रावधानों पर चर्चा हुई। अधिग्रहण मामलो से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर समिति के सदस्यों द्वारा आपस में विचारो का आदान–प्रदान किया गया तथा परियोजना से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में आगे की कार्यवाहियों का निर्धारण किया गया।

समिति की तृतीय बैठक दिनांक 22.10.19 में हितधारको के मंतव्य/ दृष्टिकोण/ विचार अथवा सुझाव का प्रसंज्ञान लिया गया, जो जन सुनवाई के दौरान तथा उपरांत प्राप्त पत्रों में उल्लेखित थे। हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा फॉर्म–घ भरकर व्यक्त किए गए सुझाव/आपत्ति पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

परामर्श की उक्त कार्यवाहियों से अधिग्रहण की प्रक्रिया, परियोजना के प्रभाव तथा प्रभावितों के रुझान आदि जानकारियों से समिति अवगत हुई।

प्रत्यक्ष संवाद –

जनसुनवाई दिनांक 08.08.19 में उपस्थित लोगो को प्रश्नागत भूमि की आवश्यकता, उपयोगिता तथा प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा से अवगत कराया गया। समिति द्वारा अवाप्ति के आधीन आ रही जमीन के खसरा नम्बरों, क्षेत्रफल और मौका स्थिति की जानकारी लोगो की दी गई। जनसुनवाई में उपस्थित लोगो के मन में भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर कई सवाल थे, जिन्हें उन्होंने प्रश्नो के रूप में समिति के सामने रखा। सर्वाधिक सवाल भूमि अधिग्रहण के एवज में मिलने वाले मुआवजे की गणना को लेकर थे, जिसके सापेक्ष में समिति द्वारा बताया गया कि अधिनियम में मुआवजे की गणना का सिद्धांत स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा जमीन के मुआवजे के अतिरिक्त भूमि पर निर्मित संरचनाओ तथा फलदार पेड़ो का भी मूल्यांकन निश्चित कर प्रतिकर दिया जाएगा।

सार्वजनिक सुनवाई की उक्त कार्यवाही से समिति तथा हितधारको के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे प्रभावित कुटुंब के सदस्यों के विचारो से समिति परिचित हुई।

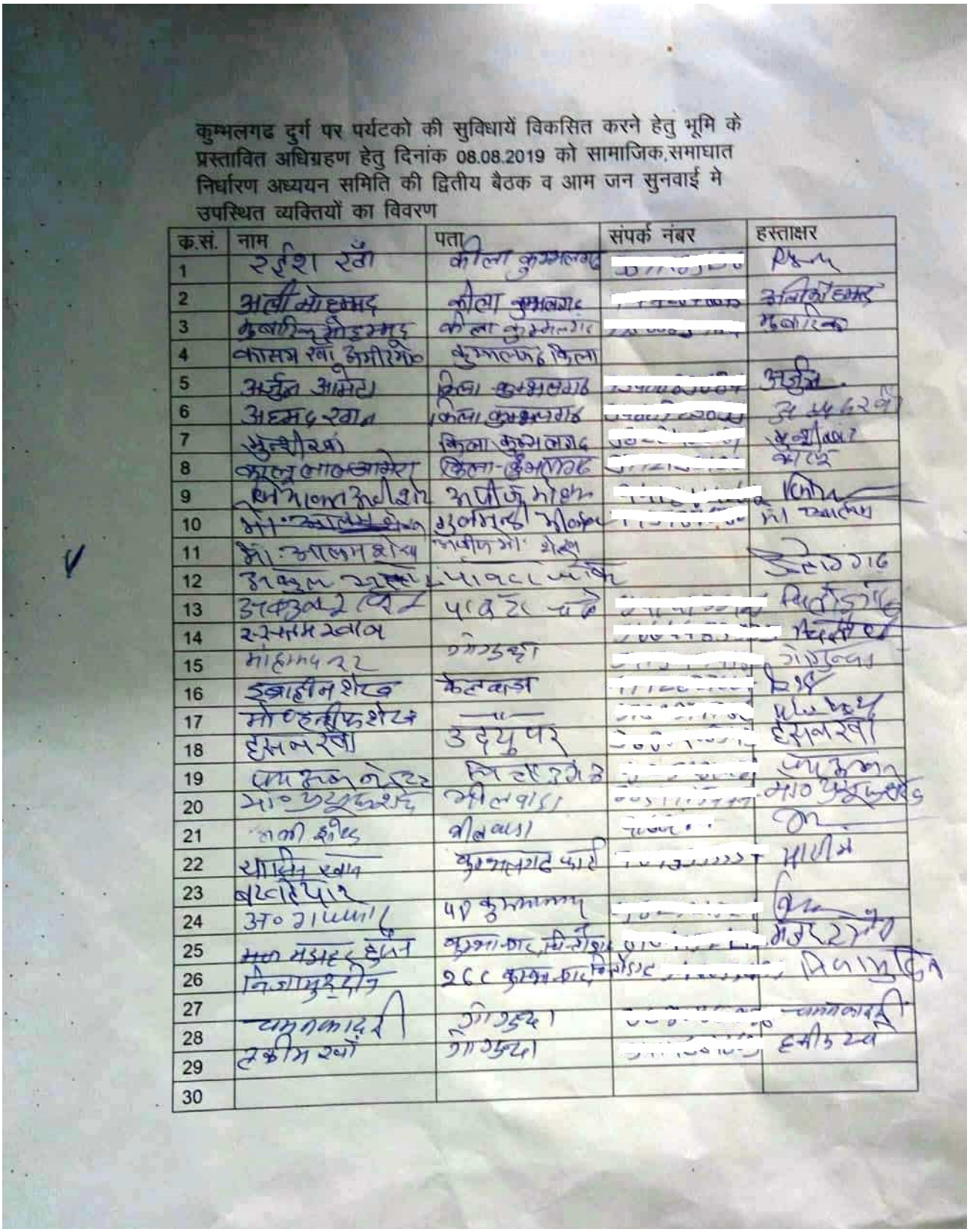

कुम्भलगढ दुर्ग पर पर्यटको की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु दिनांक 08.08.2019 को सामाजिक,समाघात निर्धारण अध्ययन समिति की द्वितीय बैठक व आम जन सुनवाई मे उपस्थित व्यक्तियों का विवरण

क.सं.	नाम	पता	संपर्क नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची

(निजता बनाए रखने के लिए संपर्क नंबर हटा दिए गए है)

प्रश्नावली द्वारा साक्षात्कार –

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के विभागीय कार्मिकों द्वारा दिनांक 16.09.2019 से 20.09.2019 तक ग्राम आरेट की भागल, किला कुम्भलगढ़, बिड की भागल, गवार तथा मुख्य केलवाड़ा बाजार व आसपास के आबादी क्षेत्रो में स्थानीय निवासियों से 427 तथा दुर्ग के भ्रमण हेतु आने वाले पर्यटकों से 210 एवम् हितधारको से 09 प्रपत्र व्यक्तिगत संपर्क करके आग्रह के आधार पर डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान प्रश्नावली फार्म के कुल 646 सर्वेक्षण प्रपत्र भरवाए गए। सर्वे की कार्यवाही के पश्चात् हितधारको द्वारा 05 सर्वेक्षण प्रपत्र भरकर उपलब्ध कराए गए।

उक्त सर्वेक्षण से लोगो को ज्ञात हुआ कि सरकार द्वारा क्षेत्र में पर्यटन सुविधा संबंधी एक नई परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। प्रश्नावली में आवश्यकतानुसार हितबद्ध व्यक्तियों से व्यक्तिगत तथा स्थानीय लोगो व पर्यटकों से परियोजना संबंधी बिन्दुओ पर राय ली गई। भूमि अधिग्रहण तथा परियोजना पर लोगो के विचारो का विश्लेषण करने से सामाजिक समाघात तय करने में समिति को उल्लेखनीय सहायता मिली।

नमूना प्रणाली का उपयोग

भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों में से कई पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर तथा गुजरात राज्य के शहरों में रहते है, जिनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सुनवाई में प्रतिभाग किया गया, परन्तु प्रभावित क्षेत्र के दायरे में नहीं होने के कारण डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान उनसे संपर्क नही किया जा सका। दूसरी ओर, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कुटुंबो के कुछ सदस्य किला कुम्भलगढ़ में निवास करते है, जिनसे समिति द्वारा जन सुनवाई तथा डोर–टू–डोर सर्वे के दौरान व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया। अतः स्थानीय स्तर पर रह रहे प्रभावितों की राय को नमूनाकरण पद्धति के तहत समिति द्वारा ग्रहण किया गया है।

सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन

यह सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की रिपोर्ट बनाने हेतु निम्नलिखित स्रोतों से जानकारी एकत्र की गई :–

1) जनगणना, 2011.
2) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, भारत सरकार.
3) जन सूचना पोर्टल, राजस्थान सरकार. (http://jansoochna.rajasthan.gov.in)
4) राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार.

5) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार.

5) द एनशियेंट एंड हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स एंड आरक्योलोजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट, 1951.

6) राजस्थान भू–राजस्व (सर्वे, अभिलेख तथा बन्दोबस्त) (सरकारी) नियम, 1957 तथा भू–प्रबंध नियमावली.

7) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवम् अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 तथा संबद्ध नियम, 1959.

8) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 1988.

9) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 यथा संशोधित 2015.

10) राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता नियम, 2016 यथा संशोधित 2018.

11) डोर–टू–डोर सर्वे.

भूमि तालिका की सूची

तालिका 1.6

जिला / तहसील / ग्राम	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	लोक प्रयोजन का विवरण
राजसमन्द / कुम्भलगढ़ / किला कुम्भलगढ़	572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 / 1 और 595 / 2	11 बीघा 05 बिस्वा	बीड I, बीड II, हकत 1, हकत 2, खादी I, खादी II, खलिहान	कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु।

प्राथमिक स्रोत–नक्शे से वर्ण

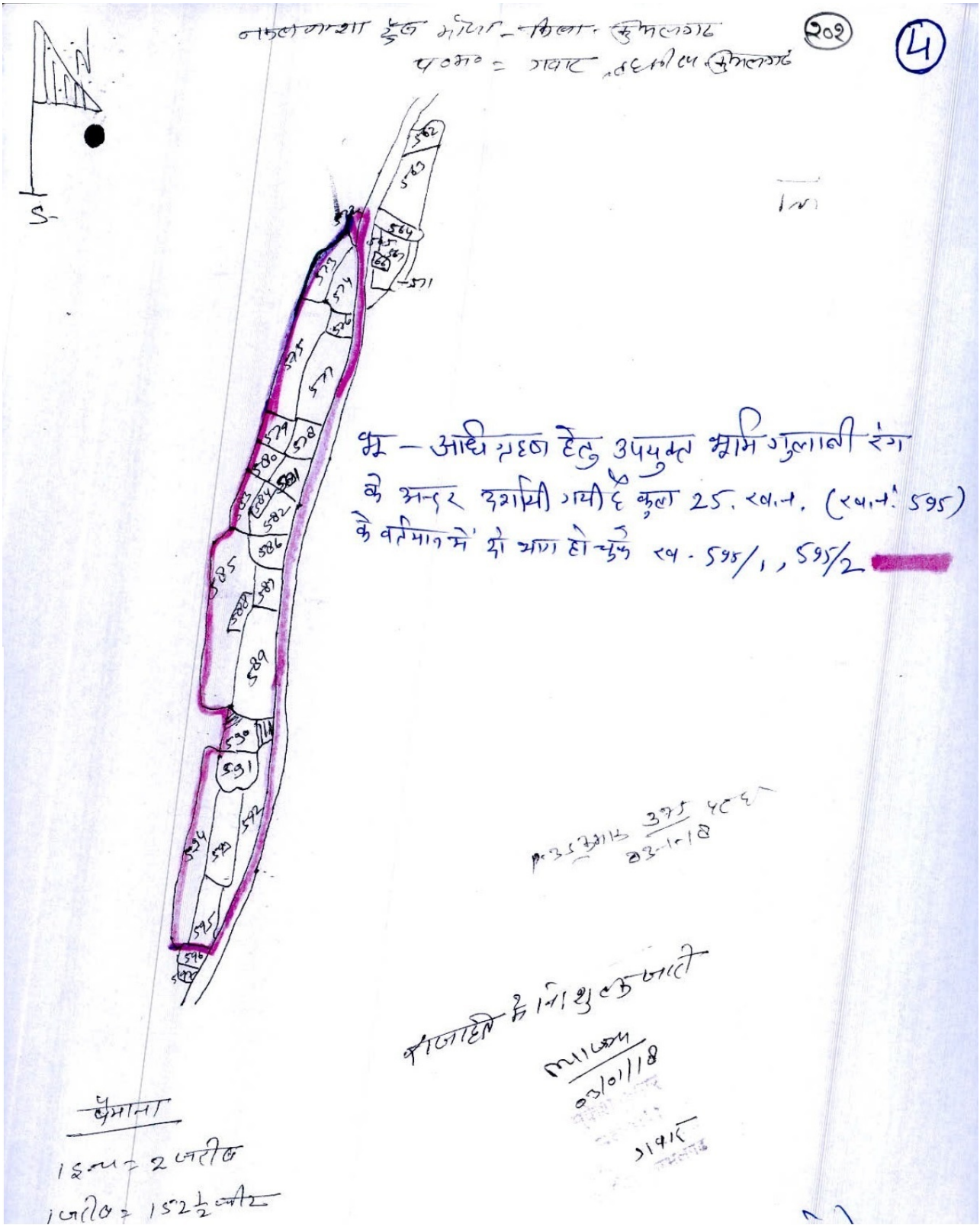

ग्राम किला कुम्भलगढ़, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द का राजस्व नक्शा

परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र

(अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है)

चुकि जमीन मौके पर खाली है तथा परियोजना क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवासरत नहीं है। किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं होने के कारण विस्थापन और पुनःअवस्थापन की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी। भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन ही व्यवहारिक तौर पर परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र है।

परियोजना के लिए कुल आपेक्षित भूमि

ग्राम किला कुम्भलगढ़ के 25 खसरा नम्बरों में निहित निजी खातेदारी की 11 बीघा 05 बिस्वा परियोजना के लिए कुल आपेक्षित भूमि है।

वर्तमानं में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो की परियोजना क्षेत्र के आस पास है, का उपयोग

इस प्रकार की कोई भूमि परियोजना क्षेत्र के आस पास उपलब्ध नहीं है।

भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे, पर या अर्जित है और परियोजना के लिए आपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लाट का आशयित उपयोग

विभाग के पास परियोजना के लिए कोई भूमि पहले से मौजूद नहीं है। परियोजना की क्षमता, लागत, अवस्थान, आकार, डिजाईन की विशिष्टियां, सुविधाओं का आकार और प्रकार और सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता का विवरण तैयार नहीं है।

परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रयोजित भूमि का परिमाण और स्थान

महाराणा प्रताप सर्किल से कुम्भलगढ़ दुर्ग की ओर पहुँच मार्ग पर बढ़ने पर हल्ला पोल नामक प्रवेश द्वारा स्थित है। हल्ला पोल को पार करते ही बाएं हाथ पर वन विभाग की भूमि है, जिस पर बावड़ी स्थित है। उक्त बावड़ी से सटी हुई भूमि, जिसके पूर्व दिशा में सड़क तथा पश्चिम दिशा में वन विभाग की चारदीवारी है, परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रयोजित भूमि है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 11 बीघा 05 बिस्वा है।

भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग तथा आवासीय सदनों की संख्या

परियोजना क्षेत्र की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत भूमि की किस्म बीड वर्ग की है तथा इस प्रकार की भूमि को अकृषित क्षेत्र (सुखी बिना काश्त की भूमि) के तहत रखा जाता है। जिस क्षेत्र को घास उगाने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, उसे बीड

कहते है। बीड की दो अन्य उपश्रेणियाँ है, जिसमें बीड प्रथम में वह भूमि होती है, जहाँ घास प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो तथा काटी जाए। जहाँ घास काटी नहीं जाती किन्तु मवेशी चराई करते है, ऐसी भूमि बीड द्वितीय उपश्रेणी की होती है। हकत तथा खादी किस्म की भूमि असिंचित कृषि भूमि के अंतर्गत आती है, जो पैदावार योग्य होती है। पशुओ की चराई के लिए निश्चित जमीन को चारागाह कहा जाता है, जो सुखी कृषि अयोग्य भूमि होती है।

हितधारक कुटुंबो के सदस्यों द्वारा अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर 4–5 वर्षो पूर्व तक कृषि कार्य किया जाता था, जिससे निश्चित ही उन्हें आर्थिक लाभ होता था। यधपि वर्तमान में परियोजना क्षेत्र की भूमि पर किसी प्रकार का कोई फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, फिर भी भूमि पर आम और इमली आदि के फलदार पेड़ विधमान है, जिनसे भूमि से हित रखने वाले व्यक्तियों को आर्थिक लाभ मिलता है। साथ ही, भूमि पर उगने वाली घास मवेशियों के चारे के रूप में भी इस्तेमाल होती है। भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन पर आवासीय सदन मौजूद नहीं है।

भूमि का आकार, वर्गीकरण तथा स्वामित्व क्रम

तालिका 1.7

क्र. स.	खसरा नं.	क्षेत्रफल			भूमि का वर्गीकरण	काश्तकार का नाम
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी		
1	572	0	7	–	बीड II	कालू लाल अर्जुन लाल पिता मांगी लाल गीतादेवी पत्नी मांगी लाल ब्राहमण सा. देह. (लीज हेमेन्द्र सिंह सोलंकी निः 3/143 नाकोडा नगर सेक्टर नम्बर–03 हिरण मगरी उदयपुर लीज दिनांक 27.10.15 के 19 वर्ष 11 माह तक)
2	573	0	0	10	हकत 2	
3	574	0	9	–	खादी II	
4	575	0	17	10	बीड II	
5	576	0	4	–	खादी II	
6	577	0	14	–	बीड II (0–02) खादी II (0–12)	
7	579	0	5	–	बीड II	
8	578	0	5	–	बीड II (0–01) खादी II (0–04)	श्री महादेव जी नीलकंठ जी स्थान देह
9	580	0	5	–	बीड II	महुम्मद खाँ पिता अलाबक्स मुसलमान सा.देह
10	581	0	7	–	बीड I (0–01) खादी I (0–06)	
11	582	0	8	–	बीड II (0–07) खादी II (0–01)	चमनसिंह पिता मेताबसिंह राजपूत सा. देह
12	583	0	1	–	खादी II	
13	584	0	7	–	बीड II	
14	585	0	9	–	बीड II	अब्दुल हकिम बाबुबसीर पिता सरदार मुहम्मद बाबुबसीर पिता सरदार मुहम्मद मुसलमान सा.देह हि.ब.
15	586	0	6	10	खादी I	
16	587	0	6	–	खादी I	

17	588	0	3	10	हकत 1	
18	589	1	2	—	खादी II	
19	590	0	7	—	खलिहान (0—02) बीड II (0—05)	
20	591	0	7	—	बीड II	इब्राहीम मुहम्मद हसन पिता रहीम बक्ष 1/2 गफूर मुहम्मद पिता लाल मुहम्मद शब्बीरमोहम्मद नीजामुद्दीन रईसा बेगम संजीदा बेगम पिता अलाउद्धीन बीबन पत्नी अलाउद्धीन मोहम्मद युसुफ मोहम्मद आलम मोहम्मद लियाकत आबेदा बानु कनीजा बानु शकीला बानु जमीला बानु पिता अजीज मुहम्मद जेतनबानो पत्नी अजीज मुहम्मद 1/2 चमन कादरी हकीम खां मोहम्मद नुर जमिला सलमा पि. अमिर मोहम्मद मो. खातुनबेगम पत्नी अमिर मोहम्मद 1/2 मुस्लमान सा.केलवाडा ना.न.174,175 विरासत
21	592	0	12	—	बीड II	
22	593	0	13	10	खादी II	
23	594	0	19	—	बीड II	
24	595/1	0	4	—	हकत 1	
25	595/2	0	5	—	हकत 2	
कुल क्षेत्रफल		11	5	0	11 बीघा 05 बिस्वा	

भूमि के स्वामित्व पर अन्य जानकारी

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कुटुंबो के कुछ सदस्य किला कुम्भलगढ़ में निवास करते है, जिन्होंने सार्वजनिक सुनवाई तथा डोर—टू—डोर सर्वे में समिति को भूमि अवाप्ति के एवज में मुआवजा का जायज हकदार बताया, परन्तु किसी भूखण्ड के वास्तविक मालिकाना हक का निर्धारण किया जाना समिति के कार्यक्षेत्र के परिधि में नहीं है।

उदाहरण के लिए, श्री मुश्ताक खान द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम किला कुम्भलगढ़ के राजस्व अभिलेखों में खसरा नंबर 580 और 581 के खातेदार महुम्मद खान है, जो श्री मुश्ताक खान के पिता के सगे चाचाजी थे। खातेदार श्री महुम्मद खान अपने जीते—जी उक्त भूमि श्री मुश्ताक खान के पिता को सुपुर्द कर गए थे और तभी से जमीन पर श्री मुश्ताक खान के पिता और उनके बाद श्री मुश्ताक खान और अन्य दो भाईयों का हक है।

इसी प्रकार, मकबूल खां द्वारा भू—अर्जन के मुआवजे का दावा करते हुए बताया गया कि ग्राम किला कुम्भलगढ़ के खसरा नंबर 591 से 595 की भूमि उनके परिवार द्वारा 1970 के दशक में क्रय की गई थी, परन्तु जमीन शिकमी कास्तकार वर्ग की होने के कारण नामांतरण नहीं हो सका। जबकि राजस्व अभिलेखों में उल्लेखित खसरा नंबर 591, 592, 593, 594 और 595 के खातेदार तथा उनके अन्य पारिवारिक सदस्य सार्वजनिक सुनवाई में भूमि के बदले उचित मुआवजे की मांग कर चुके है।

एक अन्य खातेदार श्री चमनसिंह पिता मेताबसिंह (खसरा नंबर 582 से 584) के बारे में यह बताया गया कि दशको से उनके परिवार के किसी सदस्य के पते की कोई जानकारी किसी को नहीं है।

किला कुम्भलगढ़ की समस्त निजी खातेदारी भूमि शिकमी काश्तकार वर्ग की है तथा इस प्रकार की भूमि का क्रय–विक्रय के आधार पर नामांतरण नहीं होता किन्तु विरासत में दाखिल–खारिज संभव है। यह भूमि केवल खातेदार के उपयोग–उपभोग हेतु होती है।

भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षो से भूमि का अंतरण और उपयोग

अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व, अंतरण तथा उपयोग में कोई नए परिवर्तन नहीं हुए है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भूमि के वर्गीकरण के अनुसार प्रति इकाई दर निर्धारित की जाती है, जिसमें समय–समय पर वृद्धि समीक्षा उपरांत की जाती है। ग्राम किला कुम्भलगढ़ में प्रचलित वर्तमान डीएलसी दर दिनांक 13.02.18 से प्रभावी है, जिसके अनुसार कृषि प्रवर्ग में बीड/ मगरी (बाहरी) की प्रति बीघा दर 24,354 रुपए है, जबकि असिंचित (बाहरी) की प्रति बीघा दर 93,951 रुपए है। परियोजना क्षेत्र की भूमि बीड और असिंचित वर्ग के अंतर्गत है।

प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का प्राक्कलन और प्रगणन

तालिका 1.8

निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार है –	
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि परियोजना के लिए आपेक्षित है)।	तालिका 1.7 में जमाबंदी के अनुसार खातेदारों का ब्यौरा उल्लेखित है।
किराएदार है अथवा प्रयोजन के लिए आपेक्षित भूमि के अधिभोगी है।	जमीन मौके पर खाली है तथा परियोजना क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवासरत नहीं है।
अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके अपने किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है।	परियोजना क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवासरत नहीं है।
सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी।	अवाप्ति हेतु प्रस्तावित भूमि में कोई सामान्य भूमि स्रोत नहीं है।
समूचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गयी है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है।	परियोजना क्षेत्र की भूमि पर लागु नहीं है।

भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षो या उससे अधिक समय से रह रहे है।	ऐसे परिवारों के संबंध में जानकारी निरंक है।
अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षो से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है।	प्रभावित कुटुंबो के सदस्यों द्वारा अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर 4–5 वर्ष पूर्व से कृषि कार्य नहीं किए जाते है, अतः हितधारक आंशिक रूप से ही भूमि पर जीविका हेतु आश्रित है।
परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है)।	ऐसे परिवारों की संख्या शून्य है।

सामाजिक समाघात

समाघातों की पहचान करने के लिए कार्यढांचा और दृष्टीकोण

विस्तृत स्थल भ्रमण, घर–घर सर्वेक्षण और विषय केन्द्रित समूह विचार–विमर्श जैसी विधियों का प्रयोग करके परियोजना की किस्म के अनुसार संख्यात्मक और मात्रात्मक डाटा का संग्रहण तथा विश्लेषण किया गया। समस्त सम्बद्ध भूमि अभिलेखों और डाटा का फील्ड सत्यापन के उपरांत उपलब्ध आंकड़ो और सांख्यिकियों, क्षेत्र निरीक्षण और परामर्श पर आधारित प्रभावित क्षेत्र की रूपरेखा तैयार की गई।

जन सुनवाई में यह सुनिश्चित किया गया कि प्रभावित व्यक्ति सभी सहभागी कार्यवाहियों को समझ सके तथा अपने विचार व्यक्त कर सके। सार्वजनिक सुनवाई में प्रभावित पक्षकारो द्वारा उठाए गए प्रश्नो और प्रसंगों का संज्ञान लिया गया। उक्त प्रक्रियाओं में एकत्रित आंकड़ो के आधार पर और प्रभावित परिवारों से परामर्श करके प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन से सहयुक्त सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक समाघातों की प्रकृति, विस्तार और गहनता की पहचान करके निर्धारण किया गया।

हितधारको से प्राप्त सभी आक्षेप तथा सुझावों पर प्रभावी अधिनियमों के आलोक में लिखित रूप में विचार किया गया तथा तथ्यपरक प्रत्युत्तर रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए। सभी सुसंगत सूचना और विश्लेषण के आधार पर संक्षिप्त, परन्तु स्पष्ट तौर पर समाघात प्रतिवेदन में लेखबद्ध किए गए।

परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघात का विवरण

तालिका 1.9 नकारात्मक समाघात

क्रम संख्या	निर्माण के पूर्व	निर्माण के दौरान	संचालन
1	कृषि भूमि का अर्जन	धूल से वायु प्रदुषण	पार्किंग स्थल से दुर्ग की दूरी में वृद्धि
2	भूमि में निर्मित संरचनाओं का अर्जन	निर्माण कार्यो से ध्वनि प्रदुषण	पर्यावरण को क्षति
3	– –	भूमि पर मौजूद फलदार वृक्षों तथा पेड़–पौधों का कटान	– –

तालिका 1.10 सकारात्मक समाघात

क्रम संख्या	निर्माण के पूर्व	निर्माण के दौरान	संचालन
1	– –	स्थानीय श्रमशक्ति को निर्माण कार्यो से रोजगार	पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि
2	– –	– –	स्थानीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता में सहायक
3	– –	– –	यातायात व्यवस्था के अनुकूल
4	– –	– –	नवीन अभिवर्धित सुव्यवस्थित पार्किंग स्थल की स्थापना
5	– –	– –	ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात
6	– –	– –	पर्यावरण हितैषी परिवहन व्यवस्था से स्थानीय को रोजगार

तालिका 1.11 समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची

क्रम संख्या	क्षेत्र	परियोजना से समाघात
1	भूमि	हां, कृषि भूमि का नुकसान होगा।
2	जीविका और आय	हां, एक ओर खातेदारों को आय में हानि होगी, वही दूसरी तरफ परियोजना के क्रियान्वयन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
3	भौतिक संसाधन	नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4	निजी आस्तियां	हां, भूमि में निर्मित एक खुला कुंआ प्रभावित होगा।
5	लोक सेवा और उपयोगिकता	हां, पर्यटकों के लिए नवीन अभिवर्धित पार्किंग स्थल की स्थापना होगी तथा ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी।
6	स्वास्थ्य	आंशिक, परियोजना के आस–पास वनीय क्षेत्र होने के कारण वायु प्रदुषण कम असरकारक होगा।

7	संस्कृति	नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
8	सामाजिक एकजुटता	नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9	लिंग आधारित समाघात	नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें

लोक प्रयोजन का निर्धारण

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2(1)(b)(iv) के अंतर्गत पर्यटन परियोजना को लोक प्रयोजन के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल किया गया हैं। कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करना परियोजना का विशुद्ध उद्देश्य है, जिसके क्रियान्वयन से पर्यटकों के लिए नवीन अभिवर्धित पार्किंग स्थल की स्थापना होगी तथा पर्यटकों को ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा।

निम्न–विस्थापित अनुकल्प

चुकि जमीन मौके पर खाली है, अतः किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

भूमि की निम्नतम आवश्यकता

इस रिपोर्ट में तालिका 1.2 का संज्ञान लेने पर यह निर्धारित होता है कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर भारतीय पर्यटकों की संख्या वर्ष 2014 में 2,63,300 व्यक्ति थी, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 5,20,514 व्यक्ति हो गई। सैलानियों की संख्या के अनुपात में पर्यटन वाहन की तादाद में भी वृद्धि होना स्वाभाविक बात है। इस तथ्य को लेकर कोई संशय नहीं है कि दिन–प्रतिदिन सड़को पर वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। भविष्य में इसी अनुपात से गाड़ियों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है, अतः दूरदर्शिता की दृष्टि से परियोजना के क्षेत्रफल की समीक्षा करने पर प्रस्तावित भूमि को न्यूनतम सीमा में पाया गया है।

सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता

यह भूमि प्रभावित कुटुंबों के लिए पिछले 4–5 वर्षो से आजीविका का प्राथमिक स्रोत नहीं है। भूमि मौके पर खाली होने तथा विगत कुछ वर्षो से जमीन पर कोई कृषि कार्य संपादित नहीं होने के कारण सामाजिक समाघात अपेक्षाकृत स्वतः न्यून हो गए है। इस मामले में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पर कार्यवाही करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालाँकि इस प्रतिवेदन में समस्त महत्त्वपूर्ण सकारात्मक तथा नकारात्मक

समाघातों को इंगित किया गया है, फिर भी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि नकारात्मक समाघात की प्रकृति ज्यादा गंभीर और गहनता ज्यादा अधिक नहीं है।

सामाजिक समाघात कम करने की व्यवहार्यता

समिति के आंकलन के अनुसार मुख्य सामाजिक समाघात की पहचान हितधारको की **1) भूमि के अधिग्रहण, 2) भूमि पर मौजूद फलदार वृक्षों व पेड़–पौधों एवम् 3) भूमि पर निर्मित संरचनाओं** के अर्जन के रूप में हुई है। इन प्रभावों का शमन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित प्रतिकर द्वारा किया जाना चाहिए। यह व्यवहारिक रूप से पूरी तरह संभव तथा विधिसम्मत है।

संदर्भ तथा आगे के लिए सूचना

सामाजिक समाघात आंकलन के अंतिम प्रतिवेदन का मूल्यांकन समूचित सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र बहु–विषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा तथा विशेषज्ञ समूह परामर्श की तारीख से दो महीने की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) में अधिसूचना जारी होने पर इस सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण रिपोर्ट में उल्लेखित निष्कर्ष पर आपत्ति की जा सकती है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(4) में उल्लेखित बिन्दुओ पर आख्या निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	बिन्दु	आख्या
क)	इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।	प्रश्नगत भूमि अवाप्ति से कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने का प्रयोजन पूर्ण होता है।
ख)	प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से ऐसे कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है।	तालिका 1.7 में जमाबंदी के अनुसार खातेदारों का ब्यौरा उल्लेखित है। भू–अर्जन से किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।
ग)	ऐसी सार्वजनिक निजी भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिसके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है।	11 बीघा 5 बिस्वा निजी काश्तकारी भूमि तथा 01 खुला कुंआ प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है।
घ)	इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उक्त परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ सीमा तक की ही है।	परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा पूर्णतया यथार्थ सीमा तक की ही है।
ङ)	इस बात का अध्ययन की क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है।	परियोजना निर्माण के लिए अन्य कोई भी वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है।
च)	परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चो का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन।	उक्त भूमि अर्जन संबंधी सामाजिक समाघातो और प्रतिकर भुगतान की तुलना में भूमि अर्जन करके पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओ के लाभ अधिक सिद्ध होंगे।

प्रारूप–4

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

शमन करने के लिए दृष्टिकोण

भारतीय संसद से पारित किसी भी अधिनियम में सबसे पहले प्रस्तावना का उल्लेख होता है, जिससे कानून लागू करने की संकल्पना की जानकारी मिलती है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना में, अन्य बातों के साथ, यह स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत तथा उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है अथवा अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित हैं या इस तरह के अधिग्रहण से प्रभावित हैं। जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नाम से ही स्पष्ट है कि इस कानून का एक प्रधान ध्येय अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिए जाने की है।

भले ही, परियोजना क्षेत्र की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत भूमि की किस्म बीड वर्ग की है तथा शेष जमीन चारागाह, हकत तथा खादी किस्म की भूमि है, परन्तु यह तथ्य भी ध्यान रखने योग्य है कि मगरी अथवा बीड किस्म की भूमि को भी किसान अत्यधिक शारीरिक परिश्रम तथा पूंजी का निवेश करके उपजाऊ बना सकते है, जो प्रश्नागत भूमि के मामले में भी हुआ है। यधपि हितधारक कुटुंबो के सदस्यों द्वारा 4–5 वर्षो से अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता, परन्तु भूमि पर सिंचाई के लिए निर्मित कुंआ इस तथ्य का साक्ष्य है कि प्रभावितों द्वारा यहाँ पहले कृषि कार्य किए जाते रहे है। संदर्भित भूमि पर मौजूद विभिन्न प्रकार के पेड़–पौधे इस बात का संकेत देते है कि भूमि की फलप्रदता आज भी कायम है। कोई दो राय नहीं है कि यह भूमि प्रभावित परिवार के वर्तमान सदस्यों द्वारा क्रय नहीं की गई है, वरन उन्हें विरासत में पूर्वजों से प्राप्त हुई है। कभी परिवार के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन रही इस भूमि से उनका आज भी भावुकतापूर्ण जुड़ाव है। समिति द्वारा प्रकरण में इस मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखा गया है।

समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण से सम्बद्ध – भूमि का सफतापूर्वक अर्जन हो जाने की स्थिति में अपेक्षक विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य उचित पद्धति से कराया जाए, जिससे धुल, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण न्यूनतम हो। केलवाड़ा से दुर्ग तक पहुँच मार्ग सिंगल लेन सड़क है, अतः निर्माण सामग्री की आपूर्ति में लगे भारवाहक वाहनों को आवागमन इस रीति से करना चाहिए कि यातायात बाधित नहीं हो तथा पर्यटकों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। पर्यवेक्षण तथा सावधानी से उपरोक्त समाघातों पर नियंत्रण किया जाना संभव है।

चुकि परियोजना स्थल से कुम्भलगढ़ किले का प्रवेश द्वार लगभग 01 किलोमीटर दूर है, अतः परियोजना में वाहन पार्किंग के साथ ही अन्य समस्त आधारभूत सुविधाएं सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। निश्चित शुल्क का निर्धारण करके, पर्यटकों को नवीन पार्किंग से टिकिट काउंटर तक लाने–ले जाने हेतु पर्यावरण हितैषी परिवहन व्यवस्था लागू की जानी होगी, जिसके अंतर्गत बैटरी संचालित गाड़ियॉ, ई–रिक्शा अथवा ऊंट तथा घोड़े की सवारी और ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी आदि भी समाविष्ट किए जा सकते है।

पूर्वकथित निर्माण कार्य तथा परिवहन व्यवस्था में जहाँ तक संभव हो, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

नवीन पार्किंग स्थल में पीने योग्य पानी के वाटर कूलर तथा पर्यटकों की संख्या के अनुसार शौचालय निहित होना अति–आवश्यक है। प्रकाश व्यवस्था, बैठने हेतु बेंच तथा शेड अथवा छायादार वृक्ष के प्रावधान भी जरूरी है। सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था हेतु उचित प्रबंध आवश्यक है। वयोवृद्ध तथा दिव्यांगो के लिए व्हीलचेयर का प्रबंध भी किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा यहाँ सीसी टीवी लगवाने तथा गार्ड की व्यवस्था किए जाने पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

भूमि अवाप्ति अधिकारी से सम्बद्ध – प्रकरण में जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद सामने आने की संभावना है, अतः ऐसे विवादो को पहले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि मुआवजा भूमि के वैधानिक हकदार को ही दिया जाए।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु दिनांक 08.08.19 को स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में संपन्न हुई जन सुनवाई में हितधारकों द्वारा मुख्य रूप से यह आक्षेप व्यक्त किए गए कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को जमीन को स्थानीय डीएलसी दरों को आधार मानकर प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाता है तथा

ग्राम किला कुम्भलगढ़ में प्रचलित डीएलसी दरें अत्यधिक कम है, अतः प्रभावितों की प्रमुख मांग है कि भूमि की मोटर रोड़ से निकटता और अवस्थिति को ध्यान में रखकर मुआवजा दिया जाना चाहिए।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रमुखतः 1) भूमि के अधिग्रहण, 2) भूमि पर मौजूद फलदार वृक्षों व पेड़–पौधों एवम् 3) भूमि पर निर्मित संरचनाओं का न्यायोचित प्रतिकर दिए जाने से समाघात के प्रभावों को कम किया जा सकता है।

उपाय, जो अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित है

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध 26 में भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा धारा 30(2) में उल्लेखित प्रथम अनुसूची के प्रावधानानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उचित प्रतिकर का निर्धारण किया जाना चाहिए। चुकि जमीन मौके पर खाली है तथा किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, अतः विस्थापन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह परियोजना के प्रस्ताव में पुरःस्थापन करेगा

चुकि जमीन मौके पर खाली है तथा किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, अतः परियोजना के प्रस्ताव में पुरःस्थापन पर अपेक्षित निकाय द्वारा कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन कि वह सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षो पर प्रतिक्रिया देने के लिए वचनबद्ध होगा

अपेक्षित निकाय द्वारा इस सापेक्ष में आश्वस्त किया गया है।

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक शमन निवारण के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय–सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लागत सम्मिलित होने चाहिए

अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में उल्लेखित शमन निवारण के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति है। अधीक्षण पुरातत्त्वविद् को शीघ्रातिशीघ्र परियोजना की रूपरेखा को अंतिम रूप देना चाहिए, जिसमें

सर्वप्रथम यह निश्चित किया जाए कि परियोजना क्षेत्र में किस तरह भूमि का उपयोग विभिन्न सुविधाओं के निर्माण तथा स्थापना हेतु किया जाएगा। तत्पश्चात विस्तृत ड्राइंग, ले–आउट प्लान आदि पर आधारित प्राक्कलन बनाया जाए, जिससे प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए अनुमानित लागत तथा निर्माण में लगने वाले समय का निर्धारण हो सके।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अन्य उत्तरदायित्व भूमि अवाप्ति अधिकारी के कर्तव्यों में निहित है।

....

प्रमाणित किया जाता है कि कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट में कुल 01 से 95 तक पृष्ठ है, जिसमें सामाजिक समाघात प्रबंध योजना भी निहित है। यह प्रतिवेदन समिति के सदस्यों द्वारा पूर्ण निष्पक्षता तथा परस्पर सहमति के आधार पर तैयार किया गया है।

1) उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़
{धारा 4(6) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी}

2) तहसीलदार, कुम्भलगढ़

बाबुसिंह दसाणा
प्रधान
जिला-राजसमन्द (राज.)

3) प्रधान, ग्राम पंचायत समिति, कुम्भलगढ़

अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
जोधपुर मण्डल, जोधपुर

4) अधीक्षण पुरातत्वविद्,
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल

5) उप वन संरक्षक, राजसमन्द

6) उप निदेशक, कृषि विस्तार,
राजसमन्द

7) कार्यपालक इन्जीनियर,
जल संसाधन विभाग, राजसमन्द

8) कार्यपालक इन्जीनियर,
लोक निर्माण विभाग, आमेट

ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट पर जन सुनवाई

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता नियमावली, 2016 के नियम 7(1) के अंतर्गत यह व्यवस्था स्थापित की गई है कि सामाजिक समाघात आकलन प्रतिवेदन के प्रारूप पर जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। सार्वजनिक सुनवाई की तारीख, समय और स्थल की घोषणा की जाएगी और प्रभावित क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में सार्वजनिक सूचना व पोस्टर के माध्यम से, हिंदी भाषा के दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन द्वारा तथा सरकार की वेब साइट पर अपलोड करके तीन सप्ताह पहले प्रचारित की जाएगी। नियम 7(5) के अनुसार जन सुनवाई में अपेक्षक निकाय के उत्तरदायी प्रतिनिधि व पदाभिहित भूमि अर्जन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन कृत्यकारियों का उपस्थित रहना भी अनिवार्य है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 1(51)राज–6/2014/31 जयपुर दिनांक 28.08.15 द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में भूमि अर्जन की कार्यवाही के लिए कलेक्टर के कृत्यों का पालन करने हेतु विशेष रूप से पदाभिहित किया गया है।

भूमि से आशय रखने वाले विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल के अधीक्षण पुरातत्त्वविद् द्वारा दिनांक 03.12.19 को पत्र प्रेषित करके कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय, राजसमन्द से निवेदन किया गया कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के ड्राफ्ट प्रतिवेदन को जनसामान्य के अवलोकन तथा अध्ययन हेतु जिला कार्यालय में उपयुक्त स्थान प्रदान करते हुए कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द की अधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने की सुविधा के साथ अपलोड किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाए, जिसके सापेक्ष में कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द की अधिकारिक वेबसाइट http://rajsamand.rajasthan.gov.in पर रिपोर्ट को पीडीएफ़ फाइल में जनमानस के उपयोगार्थ उपलब्ध कराया गया।

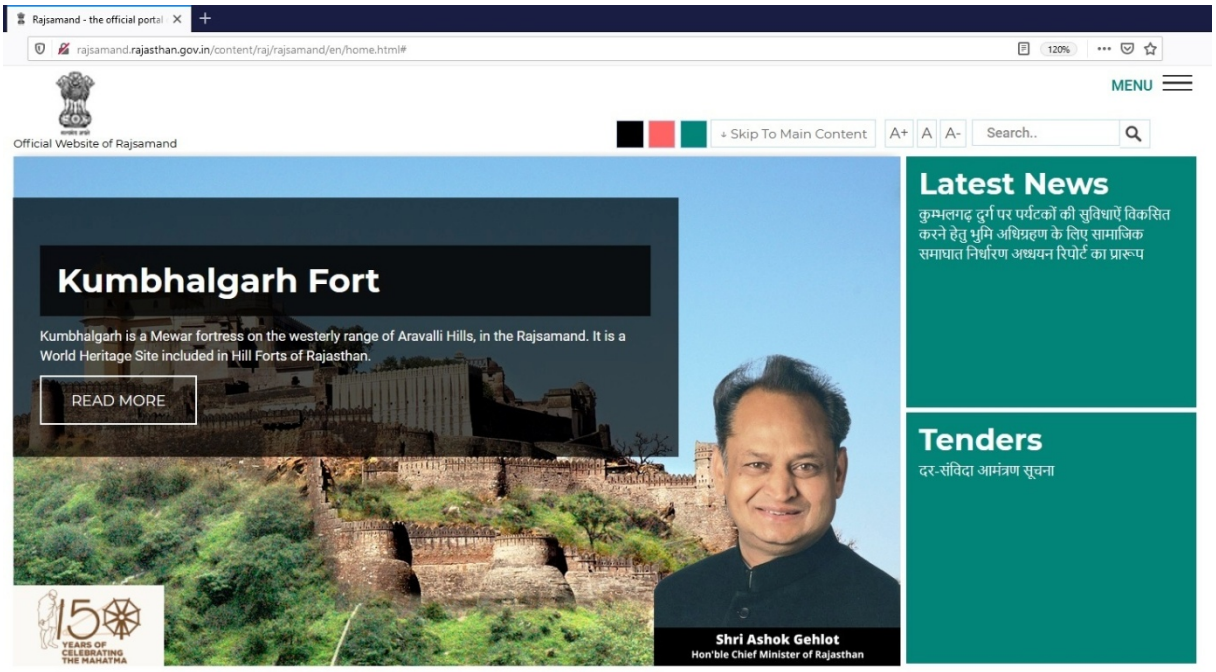

जिला कलक्टर, राजसमन्द की अधिकारिक वेबसाइट का होमपेज स्क्रीनशॉट

साथ ही, अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल द्वारा ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट की प्रतियाँ समिति के समस्त सदस्यों को भी उपलब्ध कराई गई, जिसके आधीन ड्राफ्ट प्रतिवेदन को जनसामान्य के अवलोकन तथा अध्ययन हेतु कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार तथा कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कुम्भलगढ़ में उपयुक्त स्थान प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया।

95 पृष्ठों में समाहित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन के प्रारूप को भूमि हेतु याचक विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट http://www.asijodhpurcircle.in/ पर भी Land Acquisition at Kumbhalgarh Fort शीर्षक के आधीन डाउनलोड करने की सुविधा सहित पीडीएफ़ फाइल में अपलोड किया गया।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन के प्रारूप पर जन सुनवाई दिनांक 26.12.2019 को समय प्रातः 10:00 बजे से स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ पर नियत की गई, जिसके सापेक्ष में हितबद्ध व्यक्तियों और जन सामान्य को सार्वजनिक सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी की सूचना देने हेतु अधीक्षण पुरातत्त्वविद्, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दिनांक 04 दिसम्बर 2019 को प्रकाशित कराई गई।

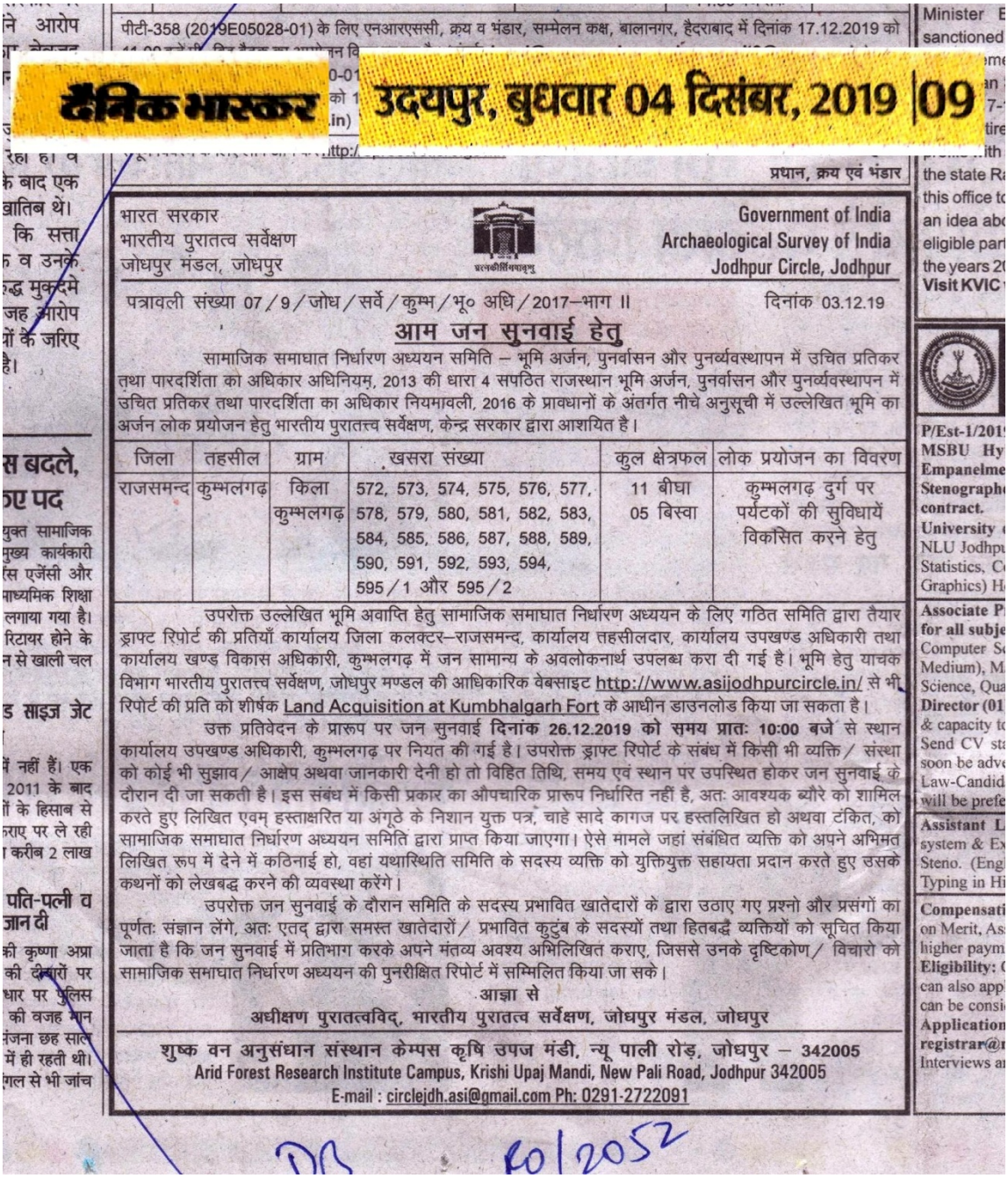

दैनिक भास्कर उदयपुर, बुधवार 04 दिसंबर, 2019 09

पीटी-358 (2019E05028-01) के लिए एनआरएससी, क्रय व भंडार, सम्मेलन कक्ष, बालानगर, हैदराबाद में दिनांक 17.12.2019 को

प्रधान, क्रय एवं भंडार

भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
जोधपुर मंडल, जोधपुर

Government of India
Archaeological Survey of India
Jodhpur Circle, Jodhpur

पत्रावली संख्या 07/9/जोध/सर्वे/कुम्भ/भू० अधि/2017–भाग II दिनांक 03.12.19

आम जन सुनवाई हेतु

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति – भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता को अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, केन्द्र सरकार द्वारा आशयित है।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
राजसमन्द	कुम्भलगढ़	किला कुम्भलगढ़	572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595/1 और 595/2	11 बीघा 05 बिस्वा	कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि अवाप्ति हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए गठित समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रतियाँ कार्यालय जिला कलक्टर–राजसमन्द, कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तथा कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कुम्भलगढ़ में जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी गई है। भूमि हेतु याचक विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट http://www.asijodhpurcircle.in/ से भी रिपोर्ट की प्रति को शीर्षक Land Acquisition at Kumbhalgarh Fort के आधीन डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर जन सुनवाई **दिनांक 26.12.2019 को समय प्रातः 10:00 बजे** से स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ पर नियत की गई है। उपरोक्त ड्राफ्ट रिपोर्ट के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई भी सुझाव/ आक्षेप अथवा जानकारी देनी हो तो विहित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर जन सुनवाई के दौरान दी जा सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार का औपचारिक प्रारूप निर्धारित नहीं है, अतः आवश्यक ब्यौरे को शामिल करते हुए लिखित एवम् हस्ताक्षरित या अंगूठे के निशान युक्त पत्र, चाहे सादे कागज पर हस्तलिखित हो अथवा टंकित, को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मामले जहां संबंधित व्यक्ति को अपने अभिमत लिखित रूप में देने में कठिनाई हो, वहां यथास्थिति समिति के सदस्य व्यक्ति को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करते हुए उसके कथनों को लेखबद्ध करने की व्यवस्था करेंगे।

उपरोक्त जन सुनवाई के दौरान समिति के सदस्य प्रभावित खातेदारों के द्वारा उठाए गए प्रश्नो और प्रसंगों का पूर्णतः संज्ञान लेंगे, अतः एतद् द्वारा समस्त खातेदारों/ प्रभावित कुटुंब के सदस्यों तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जन सुनवाई में प्रतिभाग करके अपने मंतव्य अवश्य अभिलिखित कराए, जिससे उनके दृष्टिकोण/ विचारो को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की पुनरीक्षित रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।

आज्ञा से
अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मंडल, जोधपुर

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान केम्पस कृषि उपज मंडी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर – 342005
Arid Forest Research Institute Campus, Krishi Upaj Mandi, New Pali Road, Jodhpur 342005
E-mail : circlejdh.asi@gmail.com Ph: 0291-2722091

जन सुनवाई हेतु समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित विज्ञप्ति

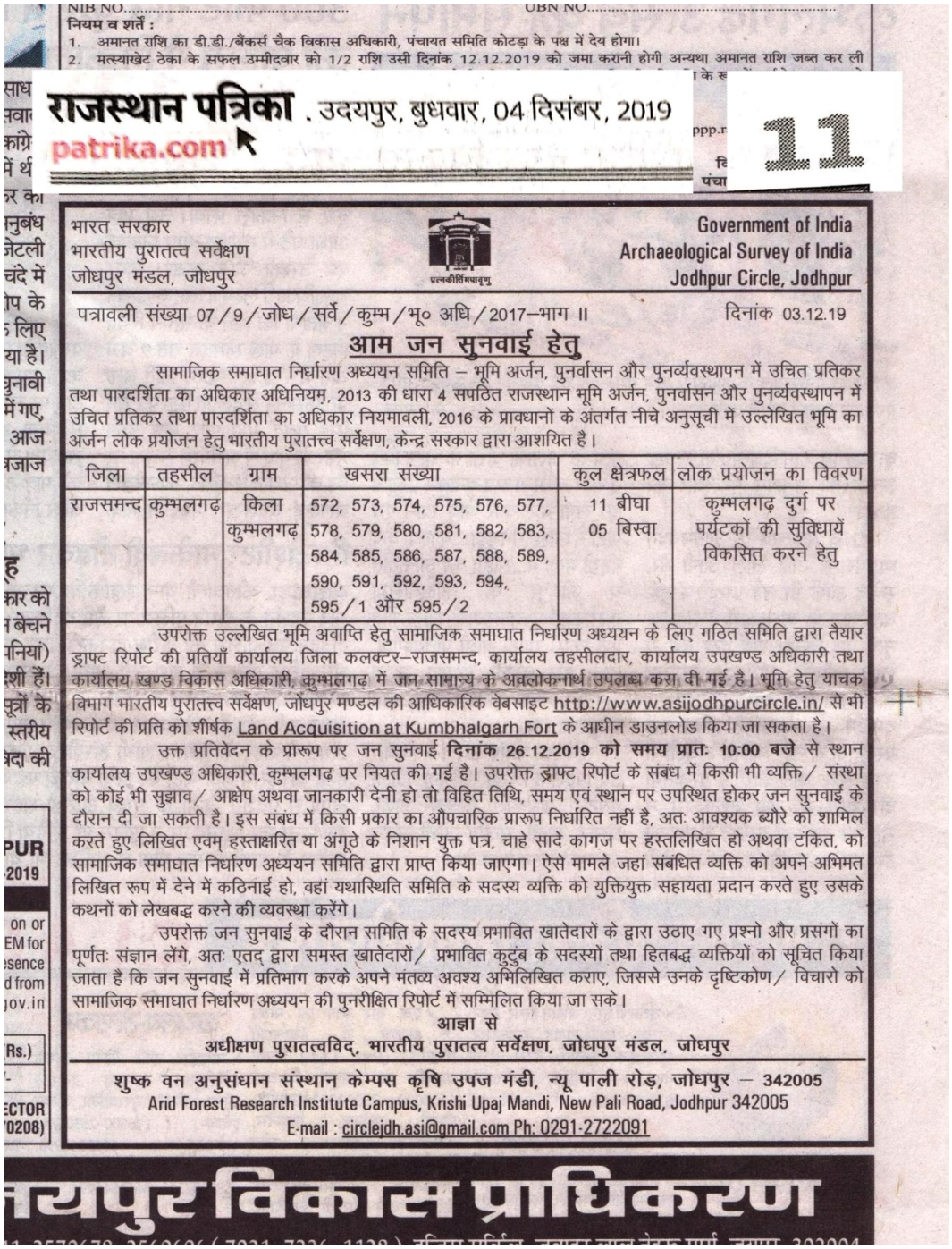

NIB NO.................................... UBN NO....................................

नियम व शर्तें :

1. अमानत राशि का डी.डी./बैंकर्स चैक विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटड़ा के पक्ष में देय होगा।

2. मत्स्याखेट ठेका के सफल उम्मीदवार को 1/2 राशि उसी दिनांक 12.12.2019 को जमा करानी होगी अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली

राजस्थान पत्रिका . उदयपुर, बुधवार, 04 दिसंबर, 2019

patrika.com

11

भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
जोधपुर मंडल, जोधपुर

Government of India
Archaeological Survey of India
Jodhpur Circle, Jodhpur

पत्रावली संख्या 07/9/जोध/सर्वे/कुम्भ/भू० अधि/2017–भाग II

दिनांक 03.12.19

आम जन सुनवाई हेतु

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति – भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, केन्द्र सरकार द्वारा आशयित है।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
राजसमन्द	कुम्भलगढ़	किला कुम्भलगढ़	572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595/1 और 595/2	11 बीघा 05 बिस्वा	कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि अवाप्ति हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए गठित समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रतियाँ कार्यालय जिला कलक्टर–राजसमन्द, कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तथा कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कुम्भलगढ़ में जन सामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी गई है। भूमि हेतु याचक विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट http://www.asijodhpurcircle.in/ से भी रिपोर्ट की प्रति को शीर्षक Land Acquisition at Kumbhalgarh Fort के आधीन डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर जन सुनवाई **दिनांक 26.12.2019 को समय प्रातः 10:00 बजे** से स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ पर नियत की गई है। उपरोक्त ड्राफ्ट रिपोर्ट के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई भी सुझाव/ आक्षेप अथवा जानकारी देनी हो तो विहित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर जन सुनवाई के दौरान दी जा सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार का औपचारिक प्रारूप निर्धारित नहीं है, अतः आवश्यक ब्यौरे को शामिल करते हुए लिखित एवम् हस्ताक्षरित या अंगूठे के निशान युक्त पत्र, चाहे सादे कागज पर हस्तलिखित हो अथवा टंकित, को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन समिति द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मामले जहां संबंधित व्यक्ति को अपने अभिमत लिखित रूप में देने में कठिनाई हो, वहां यथास्थिति समिति के सदस्य व्यक्ति को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करते हुए उसके कथनों को लेखबद्ध करने की व्यवस्था करेंगे।

उपरोक्त जन सुनवाई के दौरान समिति के सदस्य प्रभावित खातेदारों के द्वारा उठाए गए प्रश्नो और प्रसंगों का पूर्णतः संज्ञान लेंगे, अतः एतद् द्वारा समस्त खातेदारों/ प्रभावित कुटुंब के सदस्यों तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जन सुनवाई में प्रतिभाग करके अपने मंतव्य अवश्य अभिलिखित कराए, जिससे उनके दृष्टिकोण/ विचारो को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की पुनरीक्षित रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके।

आज्ञा से

अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मंडल, जोधपुर

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान केम्पस कृषि उपज मंडी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर – 342005
Arid Forest Research Institute Campus, Krishi Upaj Mandi, New Pali Road, Jodhpur 342005
E-mail : circlejdh.asi@gmail.com Ph: 0291-2722091

जन सुनवाई हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञप्ति

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के अधीनस्थ कार्मिको द्वारा ड्राफ्ट रिपोर्ट पर आगामी जन सुनवाई का पोस्टर व सार्वजनिक सूचना दिनांकित 03.12.19 जन सामान्य की जानकारी हेतु कार्यालय जिला कलक्टर–राजसमन्द, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार तथा कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, कुम्भलगढ़ के सूचना पट्ट पर भी चस्पा करने के साथ ही कुम्भलगढ़ दुर्ग के आस पास तथा प्रभावित क्षेत्र में चस्पा किए गए।

कुम्भलगढ़ दुर्ग टिकट काउंटर पर चस्पा जन सुनवाई का पोस्टर व सार्वजनिक सूचना

केलवाड़ा बाजार में चस्पा जन सुनवाई का पोस्टर व सार्वजनिक सूचना

इसके अलावा, सार्वजनिक सूचना की छायाप्रतियाँ कुम्भलगढ़ दुर्ग में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा भी स्थानीय खातेदारों/ प्रभावित कुटुंब के सदस्यों तथा हितबद्ध व्यक्तियों में वितरित की गई। सार्वजनिक सूचना की प्रति को भूमि हेतु याचक विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट http://www.asijodhpurcircle.in/ पर भी Land Acquisition at Kumbhalgarh Fort शीर्षक के आधीन डाउनलोड करने की सुविधा सहित अपलोड किया गया।

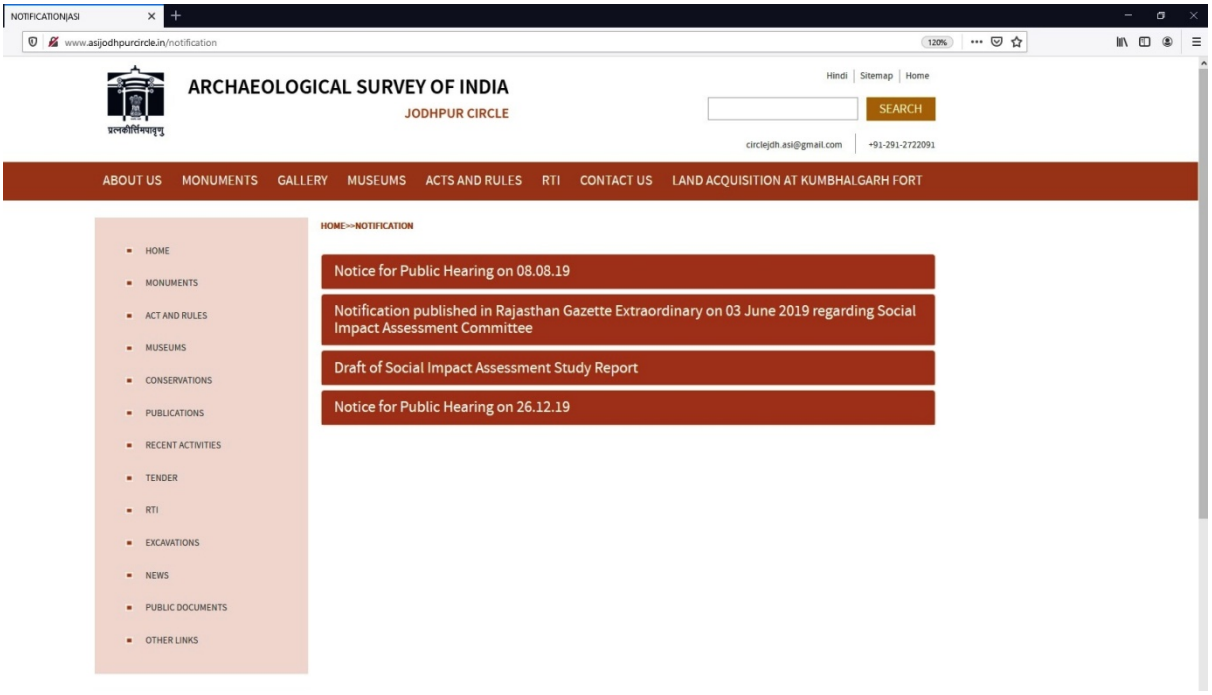

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट

जन सुनवाई दिनांक 26.12.2019 के कार्यवृत्त

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन के प्रारूप पर जन सुनवाई दिनांक 26.12.19 को स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में संपन्न हुई। जन सुनवाई में पदाभिहित भूमि अर्जन पदाधिकारी श्री परसाराम टाक, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ तथा श्री भंवर लाल चोपड़ा, तहसीलदार, कुम्भलगढ़ व अपेक्षक निकाय भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल के उत्तरदायी प्रतिनिधि अधीक्षण पुरातत्त्वविद् डॉ. वि. एस. बडिगेर द्वारा प्रतिभाग किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग, कुम्भलगढ़ से मुंशी श्री परस राम शर्मा, जल संस्थान विभाग, आमेट से सहायक अभियंता श्री अमित कुमार बोहरा, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़ से विकास अधिकारी श्री नवलराम चौधरी तथा प्रधान श्री बाबु सिंह दसाणा भी सार्वजनिक सुनवाई में मौजूद रहे। भूमि से आशय रखने वाले विभाग भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल से वरिष्ठ संरक्षण

सहायक, सर्वेक्षक, छायाकार आदि अधीनस्थ तकनीकी कर्मचारी भी जन सुनवाई में सम्मिलित हुए।

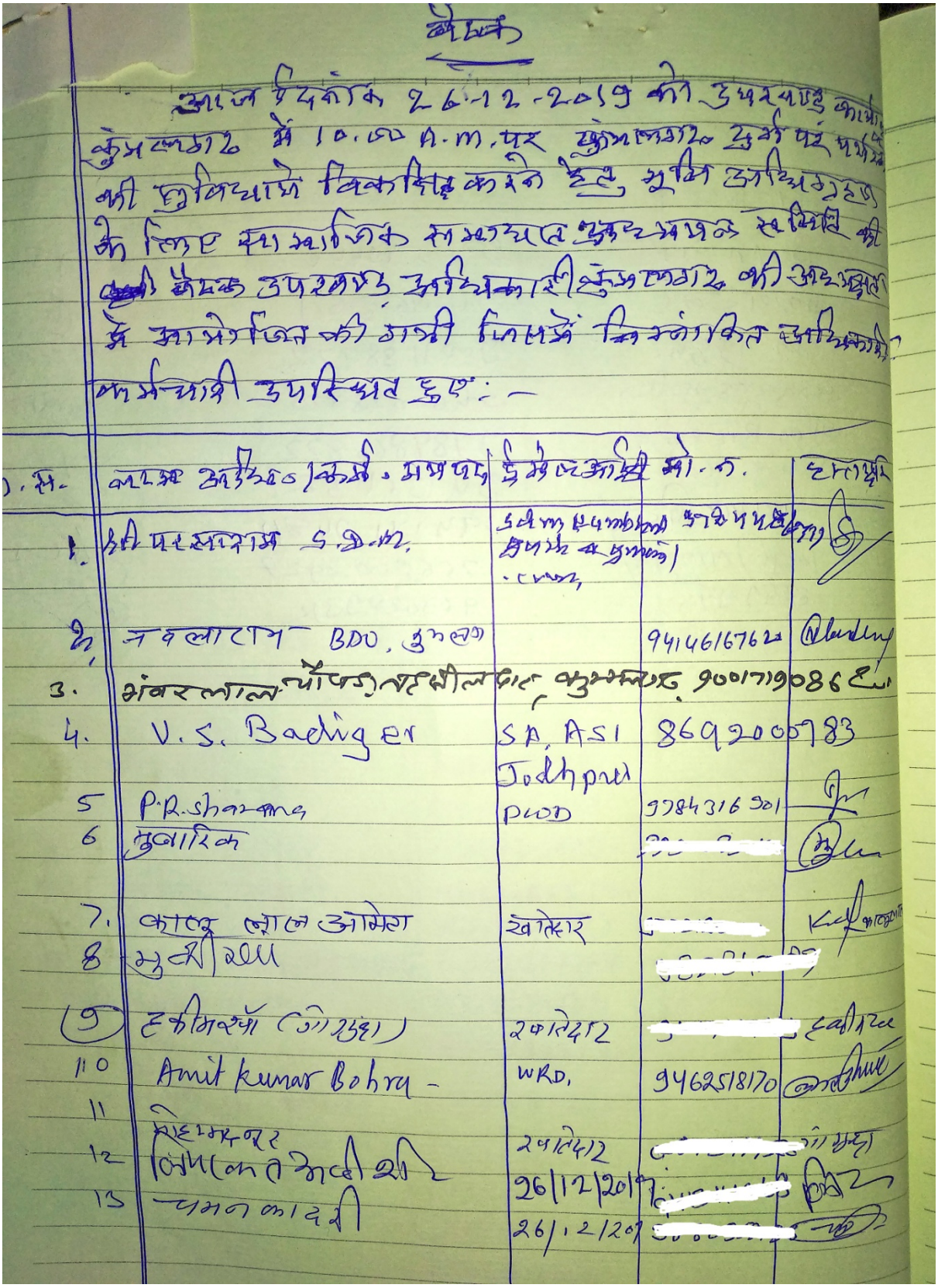

बैठक

आज दिनांक 26-12-2019 को उपखण्ड कार्यालय कुम्भलगढ़ में 10.00 A.M. पर कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधाओं विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण समिति की बैठक उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी जिसमें निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए :-

क्र.सं.	नाम अधि०/कर्म० मय पद	विभाग/आईडी	मो.नं.	हस्ताक्षर
1.	श्री परसाराम S.D.M.	उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़		
2.	जगलाराम BDO, कुम्भलगढ़		9414616762	
3.	भंवरलाल चौपड़, तहसीलदार, कुम्भलगढ़		9001719086	
4.	V.S. Badiger	SA, ASI Jodhpur	8692005783	
5	P.R. Sharma	PWD	9784316901	
6	मुबारिक		[redacted]	
7.	कालू लाल ओमेगा	खातेदार	[redacted]	
8	मुकीम		[redacted]	
9	हकीम खाँ	खातेदार	[redacted]	
10	Amit Kumar Bohra	WRD.	9462518170	
11				
12		खातेदार 26/12/2019	[redacted]	
13	चमन कादरी	26/12/2019	[redacted]	

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची

(निजता बनाए रखने के लिए संपर्क नंबर हटा दिए गए है)

सर्वप्रथम उपस्थित व्यक्तियों को अवगत कराया कि ड्राफ्ट रिपोर्ट को नियमानुसार प्रकाशित करने के उपरांत, सर्व साधारण को विभिन्न उचित माध्यमों द्वारा सार्वजनिक सुनवाई आयोजन की जानकारी दी गई हैं। प्रतिवेदन के प्रारूप पर सभी उपस्थित हितधारको से टिप्पणी, आक्षेप अथवा सुझाव आपेक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त, यह अपेक्षा भी की गई कि प्रतिवेदन के प्रारूप में यदि कोई त्रुटि या गलत आंकड़े हो तो उन्हें इंगित किया जाए, जिससे रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हुए गलतियों को सुधारा जा सके।

सबसे पहले, श्री चमन कादरी हाल निवासी उदयपुर द्वारा अपने विचार रखते हुए कहा गया कि – *"पूर्वजो से हमारी जमीन है .... आज एक गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, जब वह रिटायर होता है, सालो की नौकरी के बाद, उसका भविष्य कितना सुधार जाता है। आने वाली पीढ़ी पेंशन से .... 100 साल .... 80 साल तो निकल ही जाता है। आज हमारी एक बीघे जमीन है .... उसके अलावा किले में कोई जमीन नहीं है .... अगर वही आप हमसे ले लेंगे .... हमारा प्राइस बढ़े या घटे .... हमें क्या बेनिफिट मिलेंगा। यदि मामूली डीएलसी रेट देकर आप ये वर्ल्ड हेरिटेज है .... हमारी एक बीघा जमीन चंद पैसा देकर हमें साइड में कर दोगे तो हमें क्या बेनिफिट होगा। इसके अलावा हमारे पास जमीन भी नहीं है .... हमें क्या बेनिफिट होगा। हम यह चाहते है कि हमें भी एक ऐसा भविष्य मिले जो एक सरकारी सेवक का बनता हो। उस आधार पर हमें भी नवाजा जाए। बाकि आज मामूली डीएलसी से ना तो हमारा भविष्य, ना हमारा सुधार होगा .... ना आने वाली नस्ल का सुधरेगा।"*

श्री हकिम खान हाल निवासी उदयपुर द्वारा अपनी बात निम्नलिखित शब्दों में रखी गई कि – *"एक बात ये है, जैसे कि ये जमीन जो है, पुरातत्त्व विभाग अधिग्रहित कर रहा है, भारत सरकार का। हर भारतीय नागरिक होने के नाते भारत सरकार को समर्पण करना ही चाहिए। जमीन अवाप्त करे .... कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने सर्वेयर सर से बात की थी, आपने कहा वो तो गड्ढा है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है।*

सर्वेक्षक (पुरातत्त्व विभाग) – *नहीं, मैंने ऐसा कब कहा।*

उपखण्ड अधिकारी – *आपको बोलने का मौका देंगे।*

श्री हकिम खान – *खड्डा है, बंजर है, इस तरह से बता के इस तरह से ही मुआवजा देंगे .. ... दिलाएगे तो सर समस्या बनेगी। मेरी राय ये है सर, ये आज विश्व विरासत के अंदर गई है। इस चीज को समझे। विश्व विरासत में जो जमीन आती है .... महाराणा कुम्भा के टाइम छड़ीदार थे .... वफादार थे। उसके हिसाब पास में बसाए, उनकी तरफ से बसाया।*

अपने पड़ोसी छड़ीदारों के साथ में बसाया, हमें दूर भी अलोटमेंट कर सकते थे लेकिन उन्होंने हमारे को अच्छा समझ कर अपने पास .... तब से लेकर अब तक .... और अब इसकी वास्तविकता का मूल्यांकन होने जा रहा है। उस जमीन को वास्तविक मूल्यांकन करके ही इसका हमें सही तरह से आंकलन करके मुआवजा दिया जाए या जस्ट किले के आस–पास ही कही पर भी विस्थापित किया जाए। क्योकि सर जमीन की काफी कीमत है। किले के बाहर जमीन की भी काफी वैल्यूएशन है, इस चीज को भी आप मान रहे है। ये जमीन है .... हल्ला पोल से बादशाही बावड़ी। अच्छा ये जो पार्किंग है तो किले के पीछे भी बहुत सारी जमीन है, पार्किंग घोषित की जा सकती है। अब इसका वास्तविक समय मूल्यवान चीज अब बन रही है और अब अगर अब डीएलसी रेट या इस तरह से करे तो डीएलसी रेट से कोई मामला बनता नहीं। हमारी ये राय है जो आपने सुझाव मांगे थे .... तो मैं सुझाव प्रकट करना चाह रहा हूँ सर, कि इस जमीन के बदले हमें जमीन दी जाए अच्छी किले के बाहर कही। सरकार हमारी जमीन अवाप्त कर सके जो वास्तविक हकदार है, उनकी जमीन अगर अवाप्त कर सकती है तो क्या इसी तरीके से सरकार हमें विस्थापित कर सकती है। नहीं तो उस तरह से हमें व्ययसायीकरण के हिसाब इस चीज का कुछ जमीन का .... मेरी तरफ से सुझाव है ..... ।''

सर्वप्रथम, श्री हकिम खान की सहमति से इस बात का निस्तारण हुआ कि पुरातत्त्व विभाग के सर्वेयर द्वारा भूमि के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। उपरोक्त दोनों हितधारकों को उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में पहले ही उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नगत बिन्दुओं से सुसंगत तथ्य को उल्लेखित किया गया है। उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट करते हुए बताया गया कि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन मौके पर खाली है तथा किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, अतः इस मामले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR Act, 2013) में वर्णित द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि के बदले जमीन की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का ध्यान प्रतिवेदन के प्रारूप के पृष्ठ 93 और 94 की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें यह वर्णित है कि – ''*सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु दिनांक 08.08.19 को स्थान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में संपन्न हुई जन सुनवाई में हितधारकों द्वारा मुख्य रूप से यह*

आक्षेप व्यक्त किए गए कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को जमीन को स्थानीय डीएलसी दरों को आधार मानकर प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाता है तथा ग्राम किला कुम्भलगढ़ में प्रचलित डीएलसी दरें अत्यधिक कम है, अतः प्रभावितों की प्रमुख मांग है कि भूमि की मोटर रोड़ से निकटता और अवस्थिति को ध्यान में रखकर मुआवजा दिया जाना चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रमुखतः 1) भूमि के अधिग्रहण, 2) भूमि पर मौजूद फलदार वृक्षों व पेड़–पौधों एवम् 3) भूमि पर निर्मित संरचनाओं का न्यायोचित प्रतिकर दिए जाने से समाघात के प्रभावों को कम किया जा सकता है।''

अन्य बिन्दु हेतु उपस्थित पदाधिकारियों की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ 92 के अंश का संदर्भ दिया गया, जिसका उद्धरण है कि – *''कोई दो राय नहीं है कि यह भूमि प्रभावित परिवार के वर्तमान सदस्यों द्वारा क्रय नहीं की गई है, वरन उन्हें विरासत में पूर्वजों से प्राप्त हुई है। कभी परिवार के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन रही इस भूमि से उनका आज भी भावुकतापूर्ण जुड़ाव है। समिति द्वारा प्रकरण में इस मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखा गया है।''* प्रतिवेदन के प्रारूप के उपरोक्त उद्धरण के पाठन से उपस्थित व्यक्ति संतुष्ट दिखे। उपखण्ड अधिकारी द्वारा कहा गया कि समिति द्वारा इस परियोजना हेतु विकल्प के तौर पर अन्य स्थल की तलाश की गई, परन्तु कोई अन्य वैकल्पिक जगह को उपयुक्त नहीं पाया गया।

उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा श्री कालू लाल आमेटा को अवगत कराया गया कि रिपोर्ट में मंदिर की भूमि को अर्जन से मुक्त रखने संबंधी उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर समिति द्वारा विचार किया गया है तथा भूमि के राजस्व नक्शे व स्थल निरीक्षण के उपरांत समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचीं है कि मंदिर के स्वामित्त्व की जमीन को अधिग्रहित किया जा सकता है। साथ ही, श्री कालू लाल आमेटा को सूचित किया गया कि समिति का निष्कर्ष अंतिम निर्णय नहीं है तथा उनके द्वारा इस विषय में धारा 11 में अधिसूचना जारी होने पर पुनः आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। श्री कालू लाल आमेटा द्वारा यह जानकारी चाही गई कि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अलावा, उक्त स्थल के निकट उनकी अन्य भूमि भी मौजूद है, जिसे वह विकसित करना चाहते है। इस परिपेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी द्वारा उन्हें अवगत कराया कि केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण हेतु संसद द्वारा पारित कानूनों के प्रावधानानुसार कुम्भलगढ़ दुर्ग के भीतर संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार नवनिर्माण की अनुमति अनुमन्य नहीं है, जबकि कुम्भलगढ़ दुर्ग के बाहर 300 मीटर परिधि क्षेत्र में

नवनिर्माण/ मरम्मत का कार्य सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकता है।

जन सुनवाई में उपस्थित श्री मुबारिक मोहम्मद पुत्र मंजूर मोहम्मद द्वारा कुम्भलगढ़ दुर्ग के संरक्षित क्षेत्र में निर्माण कार्यों में पाबंदी, विद्यमान मकानों की मरम्मत तथा नव निर्माण कार्यो के संबंध में अपनी बात रखी गई, जिस पर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल के अधीक्षण पुरातत्त्वविद् द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को अवगत कराते हुए बताया गया कि सम्पूर्ण कुम्भलगढ़ दुर्ग पर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल एवम् अवशेष अधिनियम, 1958 यथा संशोधित 2010 तथा संबद्ध नियम, 1959 लागु होते है। अधीक्षण पुरातत्त्वविद् द्वारा कहा गया कि कुम्भलगढ़ दुर्ग की प्राचीन चारदीवारी के भीतर स्थित सम्पूर्ण भू–भाग उक्त केन्द्रीय संरक्षित स्मारक का संरक्षित क्षेत्र है तथा संरक्षित क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति स्वयं की भूमि होने पर भी 01 फीट गहराई तक खुदाई करके कृषि कार्य ही कर सकता है, भूमि का उपयोग किसी अन्य रीति से नहीं किया जा सकता। संरक्षित सीमा से 100 मीटर परिधि का क्षेत्र प्रतिषिद्ध और प्रतिषिद्ध क्षेत्र से 200 मीटर परिधि का भू–भाग विनियमित क्षेत्र होता है। स्मारक के प्रतिषिद्ध तथा विनियमित क्षेत्र में मरम्मत तथा निर्माण कार्य की अनुमति देने हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण गठित है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जोधपुर मण्डल के अधिकार क्षेत्र में कुम्भलगढ़ दुर्ग के अतिरिक्त, जैसलमेर तथा चित्तौड़गढ़ किले नामक स्मारकों के संरक्षित क्षेत्र में भी आबादी निवासरत है।

जन सुनवाई में अपनी बात रखते हुए श्री मुबारिक मोहम्मद

श्री मुबारिक मोहम्मद द्वारा सूचित किया गया कि मकान के मरम्मत कार्य के सापेक्ष में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर वह माननीय न्यायालय की शरण में चले गए तथा प्रकरण विगत 03 वर्षो से कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही, उनके द्वारा शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन तथा व्यापारिक गतिविधियों का मुद्दा भी उठाया गया। अधीक्षण पुरातत्त्वविद द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया कि केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए प्रभावी कानून में बिना अनुमति के किया गया निर्माण कार्य अनाधिकृत है तथा अवैध निर्माणकर्ता को कैद, जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाने का प्रावधान है। कुम्भलगढ़ दुर्ग स्मारक भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन होने के कारण, संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती है।

श्री मुबारिक मोहम्मद द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कुम्भलगढ़ दुर्ग में अवस्थित आबादी में निवासरत लोगों तथा पुरातत्त्व विभाग के विभागीय पदाधिकारियों के मध्य निरंतर संवाद स्थापित होना चाहिए, जिससे अनावश्यक गतिरोध को समाप्त किया जा सके। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अधीक्षण पुरातत्त्वविद् द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित वरिष्ठ संरक्षण सहायक, उप मण्डल उदयपुर को निर्देशित किया गया कि वह नियमित अंतराल

पर कुम्भलगढ़ दुर्ग की आबादी के स्थानीय लोगों के साथ मंत्रणा करे तथा प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त जोधपुर मण्डल कार्यालय को प्रेषित करे।

अधीक्षण पुरातत्त्वविद् द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कानून को धरातल पर प्रभावी रूप से लागु करना विभाग की जिम्मेदारी है। निर्माण कार्यो पर रोक के कारण स्कूल में शौचालय नहीं होने के विषय में अधीक्षण पुरातत्त्वविद् द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई कि इस प्रकार की वास्तविक समस्यों पर यदि स्थानीय निवासी कोई प्रस्तुतिकरण देना चाहे, तो उसे महानिदेशक कार्यालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा आम जन सुनवाई में मौजूद लोगों को आश्वस्त किया गया कि संबंधित को उचित प्रतिकर दिलाए जाने हेतु हरसंभव प्रयास किए जाएगे। मुआवजा राशी का वितरण अवाप्त खसरे की जमाबंदी के अनुसार सभी खातेदारों को उनके हिस्से के आधार पर किया जाएगा।

सार्वजनिक सुनवाई को संबोधित करते हुए उपखण्ड अधिकारी श्री परसाराम टाक

जन सुनवाई में उपस्थित कुछ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में वह उदयपुर क्षेत्र में निवासरत है तथा इसी कारणवश डोर–टू–डोर सर्वे की प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा हितधारको के लिए निर्धारित सर्वेक्षण प्रपत्र नहीं भरे जा सके। उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रभावित क्षेत्र में ही किए जाने के प्रावधान है, हालांकि पुनरीक्षित प्रतिवेदन तैयार होने से पूर्व प्रश्नावली फॉर्म स्वीकार किए जाने में कोई बाधा नहीं है।

निम्नलिखित हितधारको द्वारा जन सुनवाई के दौरान सर्वेक्षण प्रपत्र–क भरकर व्यक्तिगत जानकारी दी गई तथा फॉर्म–घ भरकर सुझाव/आपत्ति व्यक्त किए गए :–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	टिप्पणी
01	सर्वेक्षण प्रपत्र–क (हितधारको के लिए)	कुल 03 सर्वेक्षण प्रपत्र	1) सर्व श्री चमन कादरी, मोहम्मद नूर और हकिम खान (खसरा नंबर 591 से 595 से संबंधित)

श्री मोहम्मद नूर द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र–क में सूचित किया गया है कि उनका परिवार उदयपुर में बीपीएल राशन कार्ड धारक (क्रमांक 200002776334) है।

फॉर्म–घ भरकर व्यक्त किए गए सुझाव/आपत्ति के सापेक्ष में संसद द्वारा पारित अधिनियमों के आलोक में बिन्दुवार तथ्यात्मक प्रत्युत्तर तैयार किए गए है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	सुझाव/आपत्ति	तथ्यात्मक प्रत्युत्तर
सर्व श्री चमन कादरी, मोहम्मद नूर और हकिम खान		
01	जो भूमि अवाप्त की जा रही है, उसमें मुझ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि भी आ रही है, जिसमें वर्तमान में हमारा परिवार कृषि कार्य करता है तथा उसकी होने वाली उपज में ही हमारे परिवार का पालन–पोषण होता है और इसके अलावा आय का हमारे पास कोई और जरिया नहीं है, इसलिए हमारी जमीन को अधिग्रहण नहीं किया जाकर कृषि उपयोग हेतु हमारे पास रहने दी जावे, जिससे हरियाली रहेगी व पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। यदि अति आवश्यक हो तो हमें किले की भूमि के आस–पास ही भूमि के बदले भूमि दिलाई जाए ताकि मेरे परिवार कृषि कार्य से महरूम न हो। यदि सरकार अधिग्रहण करना ही चाहती है तो हमें हमारी भूमि की (बाजारू कीमत) व्यावसायिक दर से मुआवजा दिलाया जाए क्योकि हमारी जमीन के आस–पास बड़ी–बड़ी रियासी होटले तथा रिसोर्ट को हुए है, जो व्यावसायिक उपयोग की होटले है, इसलिए हमारी जमीन को भी व्यावसायिक की ही माना जाना आवश्यक है और उसी दर से मुआवजा दिलाया जाए क्योकि उक्त भूमि विश्व विरासत के अंतर्गत बहुमूल्य कीमती जमीन है। इसको आप नजरअंदाज ना करे।	सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन के प्रारूप के पृष्ठ 71 से 73 के अवलोकन से यह स्थापित होता है कि समस्त अनुकल्पो पर विचार के उपरांत समिति इस निष्कर्ष पहुँचीं है कि अन्य कोई वैकल्पिक भूमि परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं है। चुकि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन मौके पर खाली है तथा किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, अतः भूमि मालिक को अधिग्रहित जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन दिए जाने की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन के प्रारूप के पृष्ठ 93 और 94 में यह उल्लेखित है कि – *"प्रभावितों की प्रमुख मांग है कि भूमि की मोटर रोड़ से निकटता और अवस्थिति को ध्यान में रखकर मुआवजा दिया जाना चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रमुखतः 1) भूमि के अधिग्रहण, 2) भूमि पर मौजूद फलदार वृक्षों व पेड़–पौधों एवम् 3) भूमि पर निर्मित संरचनाओं का न्यायोचित प्रतिकर दिए जाने से समाघात के प्रभावों को कम किया जा सकता है।"*

उपरोक्त के अतिरिक्त, श्रीमती मुनी बेगम निवासी उदयपुर का एक पत्र डाक द्वारा दिनांक 02.12.19 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ में प्राप्त हुआ। जन सुनवाई के दौरान एक पत्र दिनांक 26.12.19 श्री चमन कादरी निवासी उदयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन पत्रों में उल्लेखित सुझावों व आपतियों का ब्यौरा तथा तथ्यात्मक प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	सुझाव/आपत्ति	तथ्यात्मक प्रत्युत्तर
01	श्री चमन कादरी द्वारा यह बताया कि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित उनकी कृषि भूमि के बदले उन्हें किले के आस–पास भूमि उपलब्ध कराई जाए। भूमि की (बाजारू कीमत) व्यावसायिक दर से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है।	चुकि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित जमीन मौके पर खाली है तथा किसी भी हितधारक व्यक्ति के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, अतः भूमि मालिक को अधिग्रहित जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन दिए जाने की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन के प्रारूप के पृष्ठ 93 और 94 में यह उल्लेखित है कि – *"प्रभावितों की प्रमुख मांग है कि भूमि की मोटर रोड़ से निकटता और अवस्थिति को ध्यान में रखकर मुआवजा दिया जाना चाहिए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रमुखतः 1) भूमि के अधिग्रहण, 2) भूमि पर मौजूद फलदार वृक्षों व पेड़–पौधों एवम् 3) भूमि पर निर्मित संरचनाओं का न्यायोचित प्रतिकर दिए जाने से समाघात के प्रभावों को कम किया जा सकता है।"*
02	श्रीमती मुनी बेगम हाल निवासी उदयपुर द्वारा सूचित किया गया है कि वह मुन्सी आमिर मोहम्मद की पुत्री होने के कारण अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि की वारिस है, उनके पिता के मृत्यु के बाद भूमि अन्य के नाम दर्ज है, जिस पर न्यायालय में वह वाद पेश कर रही है। उनके द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान रोके जाने हेतु लिखा गया है।	राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण (म्युटेशन) संबंधी कार्यवाही सक्षम राजस्व प्राधिकारियों के अधिकार–क्षेत्र का मामला है। इसके अतिरिक्त, जमीन के मालिकाना हक पर किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा ही विधिसम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है। किसी भूखण्ड के वास्तविक हकदार का निर्धारण किया जाना सामाजिक समाघात अध्ययन निर्धारण के कार्यक्षेत्र के दायरे में नहीं है।

जन सुनवाई के उपरांत हुई चर्चा में, उपखण्ड अधिकारी तथा अधीक्षण पुरातत्त्वविद् के मध्य सहमति बनी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु गठित समिति द्वारा तैयार प्रारूप प्रतिवेदन को यथावत रखते हुए पुनरीक्षित रिपोर्ट के रूप में परिवर्तित किया जाए। पुनरीक्षित रिपोर्ट के अंतिम पृष्ठ के बाद आज आयोजित जन सुनवाई के कार्यवृत्त को प्रतिवेदन के भाग के रूप में जोड़ दिया जाए, जिससे समिति द्वारा तैयार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन के प्रारूप पर आयोजित जन सुनवाई में हुई कार्यवाही

की स्पष्ट जानकारी पाठक को सुलभ हो सके। वार्ता में यह भी निर्धारित किया गया कि यधपि सर्वे के दौरान पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों द्वारा भरे गए क्रमशः 210 सर्वेक्षण प्रपत्र–ख और 427 सर्वेक्षण प्रपत्र–ग संख्या में अधिक होने के कारण रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने संभव नहीं है, हालाँकि हितधारको द्वारा भरे गए 17 सर्वेक्षण प्रपत्र–क की प्रतियाँ रिपोर्ट में अनुसंलग्नक–1 पर दी जाए। इसी प्रकार, विभिन्न तिथियों में प्राप्त पत्रों की छायाप्रतियाँ क्रमानुसार रिपोर्ट के साथ अनुसंलग्नक–2 के तौर पर प्रेषित की जाए। हितधारको के बीपीएल परिवार राशन कार्ड की प्रतिलिपियों को अनुसंलग्नक–3 में प्रस्तुत किया जाए। तीनो अनुसंलग्नको के लिए 03 पृथक सूची भी नत्थी की जाएगी। दिनांक 08.08.19 तथा दिनांक 26.12.19 को संपन्न हुई जन सुनवाईयों की विडियो रिकॉर्डिंग डी.वी.डी. में रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जाए।

रिपोर्ट के साथ आज की जन सुनवाई के कार्यवृत्त तथा अन्य संलग्नक अभिलेख सुव्यवस्थित ढंग से संलग्न किए जाए, जिससे सम्पूर्ण रिपोर्ट एकल दस्तावेज के रूप में एकीकृत हो सके। डोर–टू–डोर सर्वे के मूल सर्वेक्षण प्रपत्रों को अधीक्षण पुरातत्त्वविद् उनके कार्यालय रिकॉर्ड में संचित रखेंगे तथा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की पुनरीक्षित रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, जन सामान्य को उपलब्ध कराने तथा कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट महोदय, राजसमन्द को प्रस्तुत करने के संबंध में अधीक्षण पुरातत्त्वविद् द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

1) उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़
{धारा 4(6) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी}

2) तहसीलदार, कुम्भलगढ़

3) प्रधान, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़

4) अधीक्षण पुरातत्त्वविद्,
भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जोधपुर मण्डल

5) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़